खण्ड-276, अंक-2
मंगलवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1890
(18 मार्च, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 276 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १८ मार्च, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४०९

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुर गफ्फार हाशमी, श्री
अब्बुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री
(उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री

केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदासिंह, श्री
गोपाल दत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलीस अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगारे, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री

नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
वंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीराज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल वेहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)

रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरेन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर श्री
राम निहोर राम, श्री
रामपति श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़) (फूलपुर)
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लालाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री

131959

वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्री शचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्लाह, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा—फतेहाबाद)
हुक्म सिंह श्री (जिला आगरा—पश्चिम)

नोट—खाद्य मंत्री श्री मंगलाप्रसाद भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १८ मार्च, १९६९

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

खांडसारी के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने की मांग

**१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि प्रदेश की खांडसारी को अन्य प्रदेशों में जाने देने में रुकावट रखने का क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—

उत्तर प्रदेश की खांडसारी के अन्य प्रदेशों में जाने पर प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार ने लगाया था। चीनी मिलों को गन्ना मिलने में कठिनाई न हो इस कारण यह प्रतिबन्ध लगाया गया था।

**२—श्री गेंदा सिंह—

क्या मन्त्री महोदय इस प्रश्न पर शीघ्र विचार करके रुकावट वाले प्रदेश को वापस कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। निर्णय शीघ्र ही होगा।

श्री गेंदासिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय जब गन्ने की कमी नहीं है तो वे इस नियन्त्रण को शीघ्र क्यों नहीं हटा लेते ?

श्री मंगलाप्रसाद—

यह तो मैंने कहा ही है कि शीघ्र निर्णय होने वाला है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार ने स्वयं लगाया या प्रान्तीय सरकार की सिफारिश पर ?

श्री मंगला प्रसाद—

यह तो बहुत पहले लगा था। १० जून, १९६६ को आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९६५ के अन्तर्गत ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने यह पूछा था कि यह क्या इस सरकार की सिफारिश पर लगा था या किस की सिफारिश पर ?

श्री मंगला प्रसाद—

इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या इस प्रतिबन्ध के बाद प्रान्तीय सरकार ने किसी को खांडसारी बाहर ले जाने के लिये परमिट भी दिये हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद---

ऐसा नियम है, राज्य सरकार परमिट दे सकती है ।

श्री सोहनलाल घुसिया (जिला बस्ती)---

क्या पिछली सरकार ने इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की थी ?

श्री मंगलाप्रसाद---

इसके लिये समय चाहिये ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब तक रहेगा ?

श्री मगला प्रसाद---

इसका फैसला दो ही चार दिन के अन्दर हो जायेगा ।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)---

मानीय मंत्री जी ने फरमाया कि यह प्रतिबन्ध उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर लगाया गया था, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सूचना कहां से प्राप्त करेंगे ?

श्री मंगला प्रसाद---

यह सूचना विभाग से ही प्राप्त करेंगे, बाहर से नहीं ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस नियम के कारण जो चीनी मिलों से बनती है उसके दाम कितने बढ़े और आम खरीदारों को उससे कितना अधिक मूल्य चीनी का देना पड़ा ?

श्री मंगला प्रसाद---

इसके लिये समय चाहिये ।

श्री दीपनारायण (जिला देवरिया)---

क्या खाद्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि खांडसारी के साथ गुड़ पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है और कब से ?

श्री मंगला प्रसाद---

जहां तक गुड़ के संबंध में मुझे मालूम है कि कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने "शीघ्र" शब्द का प्रयोग किया है कि शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जायेगी। क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञान है कि सरकार के इस फैसले से किसानों की खड़ी हुई फसल पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और खेत खाली नहीं हो पा रहे हैं ?

श्री मंगला प्रसाद---

इसी बात को विचार करके ही शीघ्र फैसला करने की बात चल रही है।

थाना सरेनी जिला रायबरेली के अन्तर्गत डकैतिया

**३---श्री गुप्तार सिंह (जिला राय बरेली)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत थाना सरेनी के ग्राम हमीर गांव में दिनांक ३ तथा १४ जनवरी, १९६९ की मध्य रात्रि में श्री भगवती प्रसाद चौधरी के यहां जो डकैती पड़ी है उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

इस डकैती की सूचना प्राप्त होने पर थाना सरेनी पर मुकदमा अपराध संख्या १५ धारा ३९५ कायम हुआ। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं सर्किल इंस्पेक्टर ने किया। विवेचना सर्किल इन्सपेक्टर के संरक्षण में थानाध्यक्ष द्वारा आरम्भ की गई। जांच से घटना का पूर्ण रूप से पता चल गया तथा ८ व्यक्ति इस अभियोग के संबंध में प्रकाश में आये जिनमें से ४ अभियुक्त बन्दी बनाकर जेल रवाना किये जा चुके हैं। शेष अभियुक्तों की खोज जारी है।

**४---श्री गुप्तार सिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी तथा फरवरी, १९६९ में सरेनी थाने के हल्के में कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जनवरी तथा फरवरी वर्ष सन् १९६९ में कुल ३ डकैतियां थाना सरेनी, जिला रायबरेली के अन्तर्गत पड़ीं।

श्री गुप्तारसिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी किस डकैती के पूर्व जिसके यहां डकैती हुई, पड़ोस के कुछ आदमियों ने बाजार में उसको पकड़ा और पकड़कर घर ले गये और घर से उससे दो सौ रुपया वसूल किया और इसलिये वसूल किया कि तुम्हारी आनमाल की हम रक्षा करेंगे और उसके दूसरे दिन कहा कि कुछ और दो। जब उसने हीला-हवाला करके टाल दिया तो उसके पन्द्रह दिन बाद डकैती पड़ी और इसकी जांच तब हुई जब कि इसके बारे में सवाल पूछा गया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

उतने जो अपनी रिपोर्ट लिखाई है उसमे तो यह लिखाया नहीं है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो इब्तदाई रिपोर्ट लिखायी गयी थी, उसमें कितने आदमी नामजद किये गये थे और उनमें से कितने गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

एक भी आदमी नामजद नहीं था । छानबीन के दौरान में ८ आदमियों का पता चला जिनमें से ४ आदमी गिरफ्तार हो चुके और ४ की अभी तलाश जारी है ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राष्ट्रपति शासनकाल में कितनी डकैतियां पड़ीं और उनके बारे में कौन कौन कदम उठाये गय ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

राष्ट्रपति शासन में जनवरी ६८, में २०० डकैतियां पड़ीं जब कि जनवरी, ६९ में १६३ ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय गृहमंत्री बतायेंगे कि पुलिस को यह जानकारी कब हुई कि इस डकैती में ८ आदमी मतलूब हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसकी जांच अभी हो रही है । जांव के दौरान ही पता चला कि इसम ८ आदमी हैं जिनमें से ४ आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, शेष ४, जिनका मै अभी नाम नहीं बताना चाहता, की खोज जारी है ।

श्री हिम्मत सिंह---

इनमें से कितने आदमी इसी गांव के हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

गांव का नाम तइसमें दिया नहीं है, आदमियों के नाम हैं अगर आप नायों से पहचान सकें तो वह मैं आपको बता दूंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैंने निश्चित रुप से पूछा था कि यह जानकारी कब हुई कि इसमें इतने आदमी मतलूब हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गयी, अब द दी जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जब छानबीन हो रही थी, तब इसका पता लगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जो फिगर्स दिये गये हैं, वे एक माह के हैं अथवा वर्ष भर के ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

वह एक माह के है । मैंने जनवरी शब्द स्पष्ट रूप से कहा है ।

श्री दीपनारायण---

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी, थानेदार ने उसको बिल्कुल उल्टी लिखी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

रिपोर्ट में यह कहीं नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जिन लोगों के नाम मिल चुके हैं उनको अदालत में हाजिर करवाने के लिये क्या उपाय किये गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

अभी तो यह केस अन्डर इंवेस्टीगेशन है। जो आदमी पकड़े गये हैं, जेल में बन्द हैं शेष की खोज जारी है ।

श्री हरिनाथ तिवारी---

यह जांच प्रश्न करने के बाद हुई अथवा पहले ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जांच तो पहले से ही हो रही है । कुछ लोग पकड़े भी जा चुके हैं ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

माननीय मंत्री ने बताया कि जनवरी, ६८ में डकैतियों की तादाद ज्यादा थी और जनवरी, ६९ में कम हो गयी यानी पहले डकैतियों की तादाद बढ़ी हुई थी जो आपके शासनकाल में कम हो गयी । इसके अलावा डकैतियां कितनी पड़ीं यह केवल आप उन आंकड़ों की बिना पर कह रहे ह जो पुलिस में दर्ज की गयी है, या उसके अलावा कितनी हुई उनका भी मंत्री जी को पता है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

यह एक शार्टनोटिस क्वेश्चन था । उसके बहत कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी डिटेल की बात पूछ ली जायगी । फिर भी मैंने कुछ फिगर्स मंगा ली थीं । उनमें जनवरी की मैंने पढ़ कर सुना दीं । एक, एक वर्ष की फिगर्स मेरे पास हैं । वह इस प्रकार से ह---सन ६७ में १७९३ और सन ६८ में १७१५ डकैतियां पड़ीं । ६८ में दो डकैतियां ही ज्यादा हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं हैं । दो तो कोई ज्यादा नहीं होतीं, यह फिगर्स मेरे पास हैं । यह तो शार्ट नोटिस क्वेश्चन था, इतने डिटेल में तो नहीं कहा जा सकता और सूचना यदि देंगे तो हम अधिक बता सकेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, मैंने कोशिश की कि माननीय गृह मंत्री जी निश्चत उत्तर दें लेकिन टालने की कोशिश की दोनों बार....

श्री अध्यक्ष---

आप रिमार्क पास न करें, केवल प्रश्न पढ़ें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं फिर अपने प्रश्न को दोहराय देता हूं कि जिन मुलजिमान के नाम मालूम हैं, कौन लोग मतलूब हैं और अभी तक मफरूर हैं और उनको अदालत में हाजिर लाने के लिये क्या उपाय हुये और रिपोर्ट में जो नामजद मुलजिम हैं वह गिरफ्तार हुये और हाजिर हुये या नहीं ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

अब यह तो मेरा दुर्भाग्य है या और क्या कहूं, मैंने तो डेफिनिटली कहा कि कोई नामजद नहीं है जब कोई नामजद है ही नहीं तो फिर कहां से लायें, इस डकैती को अभी बहुत दिन भी नहीं हुये हैं, वह अभी १४ फरवरी को ही हुई है उसके बाद रिपोर्ट होने पर जांच हुई और जो पता चला और उसमें जिन आदमियों के नाम मालूम हुये वह गिरफ्तार करके जेल में बन्द हैं और जो नहीं मिले हैं उनको गिरफ्तार करने की बात है, पूरी जांच के बाद मुकदमा कोर्ट में जायगा और केस चलेगा ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या यह सच है कि रायबरेली की पुलिस के दिल में एक मुलायम कोना इन डकैतों के लिये हैं और वह उनके खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही करने का इरादा भी नहीं रखते हैं ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

बिना नामजद रिपोर्ट के होते हुये भी गिरफ्तारियां की गईं और उसके बाद भी साफ्ट कार्नर की बात आप कहते है तो आप ही जानें ।

श्री चेतराम गंगवार(जिला बरेली)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर काल में मैंने देखा कि किसी साहब को तो तीन-तीन, चार-चार बार प्रश्न करने का अवसर दिया जा रहा है और जिनको आप नहीं जानते हैं उनको अवसर नहीं मिलता, जिनका नाम आप नहीं जानते हैं । उनका नाम आप पूछ लिया करें ।

श्री अध्यक्ष---

वैसा ही हम करते हैं, तभी तो मालूम करके आप का नाम लिया वर्ना मैं आपका नाम नहीं जानता था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मंत्री जी के प्रश्न से संबंधित, मैं फिर अपना प्रश्न दोहरायें देता हूं कि जिन मुलजिमान के बारे में निश्चित जानकारी है और जो मतलूब हैं उनके खिलाफ अदालत में उन्हें हाजिर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई, कोई दफा ८७ या ८८ की कार्यवाही हुई, इसका उत्तर दें ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

अधिष्ठातामंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष---

मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अधिष्ठाता मंडल के लिये मैंने निम्नलिखित माननीय सदस्यों को मनोनीत किया है :

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री नरेंद्र सिंह विष्ट, होतीलाल अग्रवाल, राम सिंह, शिवराज सिंह, धर्मसिंह तथा हरिनाथ तिवारी, ये १० तक हो सकते हैं किन्तु अभी ६ पेश कर दिये हैं और यदि आगे आवश्यकता पड़ी तो मैं उनके भी नाम दे दूंगा ।

चालू सप्ताह के कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय मंत्री इस सप्ताह का कार्यक्रम बतलायेंगे ।

उद्योग मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

विधान सभा का इस सप्ताह का कार्यक्रम निम्नलिखित होगा :

मार्च १८—राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

मार्च १९—वित्तीय वर्ष १९६८-६९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

मार्च २०—राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

मार्च २१— राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विवाद जारी होगा ।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हार्दिक धन्यवाद देता है ।"

राज्यपाल महोदय के भाषण को लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, उस पर विचार किया और इस सदन ने मैं यह समझता हूं कि हृदय से उसका स्वागत किया । १४,१५ महीने के बाद इस सदन के जन प्रतिनिधियों को इस सदन में बैठ कर यह अवसर मिला कि वे इस प्रदेश की सारी बातों पर चर्चा कर सकें, उसकी हालत पर विचार कर सकें और यह अवसर जो उनको मिला है, स्वागत करने योग्य है ।

श्री दीपनारायण (जिला देवरिया)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय सदस्य को पहले प्रस्ताव पेश करना चाहिये था, फिर उसके पश्चात् उस पर चर्चा करनी चाहिये थी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव मौखिक रूप से उपस्थित कर दिया था। आपने सुना नहीं।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा दे तो जो सज्जन बोल रहे हों वे चाहे मिनिस्टर हों अथवा सदस्य, उनका खड़ा रहना उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, उनको बैठना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—

अगर मेरी तरफ इशारा हुआ होता तो मैं अवश्य बैठ जाता। एक आदर का ख्याल होता है। जैसे आप खड़े हुए मैं बैठ गया। मैं उनका भी आदर करता हूं लेकिन उनका व्यवस्था का प्रश्न नहीं था, वह एक तरह से कुव्यवस्था थी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के ऊपर कोई माननीय सदस्य इस तरह कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्वयं ही निर्णय लिया था कि कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता नहीं। उन्होंने जो प्रश्न उठाया था उसका मतलब यह था कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया था जब कि वह कर चुके थे।

श्री महीलाल—

माननीय नेता विरोधी दल ने एक व्यवस्था चाही कि जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाये तो क्या माननीय सदस्य खड़े रह सकते हैं। इस पर आपने व्यवस्था यह दी कि उनको बैठ जाना चाहिये था। इस पर माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैं आपके आदर में वैसे ही बैठ जाता। माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि उनका व्यवस्था का प्रश्न नहीं था जिस समय वह नहीं बैठे थे। इस पर माननीय सदस्य ने कहा कि वह भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं था।

श्री अध्यक्ष—

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो उस पर उनको अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने यह कह दिया तो उन्हें बैठ जाना चाहिये था। अब वे क्यों नहीं बैठे इसका वे एक्सप्लेनेशन देने लगे। व्यवस्था के ऊपर वह नहीं बोल रहे थे। यानी कि व्यवस्था के विरुद्ध तो नहीं बोल रहे थे, वह यह कह रहे थे कि मैं इसलिये नहीं बैठा क्योंकि मैं उसको व्यवस्था का प्रश्न समझा नहीं।

श्री महीलाल—

इस सदन की यह मान्यता रही है कि माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद माननीय सदस्य को कुछ कहने का अधिकार बाकी नहीं रह जाता है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो ठीक है। माननीय गेंदा सिंह, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री गेंदा सिंह—

मैं यह कह रहा था कि जो माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण था उसको बड़े स्वागत के साथ सुना गया और उसमें बातें भी ऐसी थीं कि जो स्वागत करने योग्य हैं। उन्होंने यह स्वयं कहा कि जो यह सदन अब की बैठ रहा है वह दो कामों के लिये बैठ रहा है। यों पूरे भाषण में उन्होंने एक प्रकार से कुछ नीतियों की भी चर्चा की है, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि एक तो लेखानुदान के जरिये काम चलाऊ बजट पेश करने का प्रयास किया जायगा और दूसरे जो सप्लीमेंटरी बजट है उसको पास करने का तो लेखानुदान पर जो काम चलाऊ बजट आयेगा उस पर भी सदन को विचार करने का पूरा अवसर मिलेगा और सप्लीमेंटरी बजट पर भी जिस पर कल दिन भर विचार करेंगे उस पर भी सदन को विचार करने का पूरा अवसर मिलेगा। जो चर्चायें उन्होंने की हैं उनके संबंध में थोड़ी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब पूरा बजट आयेगा उस समय तक फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पूरी-पूरी निकल जायेगी और उस फाइनेंस कमीशन की स्वीकृति के बाद उससे जो धन प्रदेश को मिलेगा उसके बाद सारा खर्चा निश्चित करना आसान होगा, चाहे वह चौथी पंचवर्षीय योजना हो या बहुत से ऐसे व्यय हैं कि जिनको करने के लिए सरकार बचनबद्ध है। उसके लिये प्रयत्न करने का उन्होंने फैसला किया और मैं तो ऐसा समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं उन्होंने बड़ी योग्यता के साथ इस मामले को फाइनेंस कमीशन के सामने रखना चाहा और जो पिछली मर्तबा ११६ करोड़ रुपये की मांग की गयी थी, उसमें केवल ८३ करोड़ रुपये फाइनेंस कमीशन ने दिया था जिसकी वजह से हमारे बहुत से ऐसे व्यय थे जिनको पूरा नहीं किया जा सका यद्यपि उनके लिये सरकार वचनबद्ध थी। अब की मर्तबा फाइनेंस कमीशन से अगर धन ठीक से मिल सका तो उन व्ययों को पूरा करने का प्रयत्न सरकार करेगी और उसके साथ-साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो कुछ भी कदम उठाये जा सकेंगे, उठाये जायेंगे।

नीति वाली बात चाहे वह मुलायम जबान में कही गयी है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत स्पष्ट कहा गया है और उसको खासतौर से मैं नेता विरोधी दल की सेवा में रखना चाहता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों उसको नीति की तरह से मान कर आगे का काम चलायें। वह बात है पिछड़े हुए, दबे हुए लोगों को ऊपर उठाना। सारा सदन दबे हुए लोगों को उठाने के लिए प्रतिज्ञा करके यहां आया हुआ है। हर सदस्य इस काम के लिये बचनबद्ध है और इसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जायेगा। यह राज्यपाल जी के भाषण में हम पाते हैं।

उन्होंने कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ३०५० करोड़ रुपया खर्च करके यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आर्थिक क्षेत्र में आ सकता है। श्रीमन्, हमारी योजना १३५० करोड़ रुपये की थी जो पूरी मंजूर नहीं हो सकी और ९५० करोड़ रुपये की मंजूरी हुई। यह ३०५० करोड़ रुपये चौथी पंचवर्षीय योजना में खर्च करके पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने का एक संकल्प मैं इसमें पाता हूं। मैं समझता हूं कि सबसे मुख्य बात यह है जो राज्यपाल महोदय के भाषण में मुझे मिल रही है और पूरे भाषण को भाष्य समझा जाय तो यह सूत्र है श्रीमन्, मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सदन ने शुरुआत अच्छी की है। आपका चुनाव एक बड़ा भारी एचीवमेंट है, एक बड़ी भारी सफलता है।

यह बात जरूर है कि नेता विरोधी दल और नेता सदन किसी ऐसी बात को मानने में कोताही नहीं करेंगे जो प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली हो। एक बात मुझे लगती है और होता भी है कि थोड़ी उम्र का लिहाज जरूर है दोनों में। अगर अपनी उम्र से ज्यादा उम्र वालों के लिए कोई प्रस्ताव आये तो दोनों बड़ी खुशी के साथ स्वागत करेंगे। कुछ नीचे उम्र आती है तो थोड़ा सा मामला हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत पुरानी बात है। इस बात को राज्यपाल जी ने कहा कि ३०५० करोड़ रुपये इकट्ठा करके सूबे को ऊपर

उठाना कोई नई बात नहीं है। आप इस कुर्सी पर पहले भी विराज चुके हैं। यहां बैठकर स्वर्गीय पंत जी और सम्पूर्णानन्द जी ने भी बचन दिया और इस काम में थोड़ी ढिलाई हुई या परिस्थितिवश मजबूर होकर हम पिछड़ते चले गये। मैं समझता हूं कि दोनों नेता उस समय इधर ही बैठते थे और दोनों ने संकल्प किया है कि इस प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे। लेकिन अब इत्तफ क है कि दोनों नेता दो तरफ बैठ गये हैं। दो तरफ बैठ कर इनसे मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता की मांग है कि राज्यपाल महोदय के इस सेंटेंस को पकड़ लिया जाय और चौथी पंचवर्षीय योजना के भीतर अपने सूबे को इस हद तक ले जाया जाय जहां आज महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात वगैरह पर कैपिटा इनकम में, उद्योगों में, खेती के विकास तथा सिंचाई के विकास में आ गये हैं। ४–५ वर्षों में हमारी गाड़ी चल पड़ेगी।

अब श्रीमन्, मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण को इस दृष्टि से देखा जाय। और इस दृष्टि से हमारे और आप जैसे लोगों का काम है कि गवर्नर साहब का जो भाषण है उस को वास्तविकता में ले आयें। मैं समझता हूं कि यह सदन उसको वास्तविकता में ले आ सकता है। हां, एक बात जरूर है। मेरी तो विनम्र प्रार्थना है कि इस सदन को फूलने-फलने दिया जाय, इस सदन को चलने दिया जाय। एक बड़ी कोशिश होती है कि सदन की बैठक कम से कम हो। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। आपको भी अवसर आयेगा तब मुझे कहिएगा। (व्यवधान) यहां बैठने वाली कुछ सूरतें शंकालु मालूम होती है। भाई पन्नालाल जी को देखने के बाद तो शंका होती है। (व्यवधान) मैंने किया तो किया लेकिन बेमौके नहीं किया। अब इसके आगे नहीं जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

वैयक्तिक छींटें न कसे जांय। आप किसी का नाम न लें।

श्री गेंदा सिंह—

विवेक तो मेरे पास है ही। जो विवेक था उससे किया और आज भी विवेक है मेरे पास। आप बहुत उन शाखाओं में न जायें। इस वक्त आप राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा कर रहे हैं। राज्यपाल जी के भाषण में जो ऐसी बात है जिस पर हमें और आपको चलना चाहिये उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बदकिस्मती से, मैंने देखा है, जो संशोधन पेश किये गये हैं, उनको देखने के बाद मैंने यह पाया कि उसमें कुछ तो मुझे अच्छाई मालूम हुई। बदकिस्मती है कि मुझे अच्छाई सूझ सकी। तो मेरे पास विवेक है। जो अपने विवेक से समझा हूं वह आपके सामने रख रहा हूं। प्रजातंत्र में कोई आदमी परफैक्ट नहीं होता। उसको विचारों के आदान-प्रदान से कुछ लेना पड़ता है। मैं भी छोटा सा एक सदस्य हूं। जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं उसको विवेक की कसौटी पर रख कर देखें और उसके बाद अगर कुछ जंच सके तो मानें। मैं तो आपकी सहायता और सहयोग चाहता हूं। जो राज्यपाल जी ने इस तरफ संकेत किया है, मैं सारे भाषण को उसी में ले आना चाहता हूं। अगले चार पांच वर्षों तक अगर भगवान करे, आपको बैठने का मौका मिले। (व्यवधान) आप बैठे रहेंगे तो हम कहां जायेंगे? अगर यह अवसर मिल सके तो उसमें इसको चरितार्थ करने की कोशिश की जाय। ३,५० करोड़ रुपये कहां से आयेंगे और कहां खर्चा किया जायगा यह तो इसी सदन को तय करना पड़ेगा। यह अभिभाषण जो है इस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि पिछड़े क्षेत्रों को ऊपर उठाओ, पिछड़े लोगों को ऊपर उठाओ। इस काम के लिए द्रव्य इकट्ठा करने की जरूरत है।

मैं आपका ध्यान प्रधान मंत्री माननीया इंदिरा गांधी जी के भाषण की तरफ भी दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने कल परसों दिया। यद्यपि उसका संबंध सारे देश से है और सारे देश में हमारा प्रदेश भी है, उस भाषण में जो विचार व्यक्त किये गये हैं उससे सबसे अधिक अगर किसी को मिलना है तो उत्तर प्रदेश को मिलना है। उसमें यह भी कहा गया है कि प्लानिंग कमीशन एक ऐसी कमेटी की स्थापना कर रहा है कि जो कमेटी इस बात को देखेगी

[श्री गेंदा सिंह]

कि क्षेत्रीय असंतुलन कहां है और उसको दूर करने के लिए वह चेष्टा करेगी कि उस तरह का असंतुलन न बढ़ने पाये। तो श्रीमन, अगर हम पर-कैपिटा इन्कम में देखें नेशनल इन्कम में देखें, तो उसके अनुसार हम बहुत पीछे हैं। केवल बिहार हमसे पीछे है, अन्यथा हमारा प्रदेश सब प्रदेशों से पीछे है। इस पर मैं सदन से विचार करने के लिये कहूंगा और स्वागत करने के लिये भी कहूंगा। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सबसे अधिक जोर जो दिया गया है वह यह है कि खेती पर हमें सबसे अधिक जोर देना है। इस विशाल खेतिहर देश के खेतिहर प्रदेश में खेती पर यदि हम जोर नहीं देते हैं तो हम सदैव बहुत पीछे रहेंगे। अब तक पीछे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ कार्य ऐसे हुए जिनका कुछ प्रकाश प्रदेश की जनता को दिखाई देने लगा है, जिस सम्बन्ध में कुछ संकेत अभिभाषण में किया गया है कि इस धन में से हम अधिक धन उस पर खर्च करेंगे कि किसान को अच्छा बीज मिल सके, पानी समय पर मिल सके, उसे अच्छा उर्वरक मिल सके और उसके पौधों के लिये कुछ किया जा सके तो किया जाए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आज इस प्रकार का प्रयास जारी है। मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले युग में यह सदन और यह सरकार उस मामले में कोई कोर कसर उठा नहीं रखेगी। श्रीमन्, अगर अनाज की उपज बढ़ती है, कृषि का उत्पादन बढ़ता है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो बढ़ती हुई महंगाई को रोक सके, जिससे सस्ते दामों में लोगों को सामान मिल सके। यह ताकत यदि किसी चीज में है तो इसमें है कि खेती का उत्पादन बढ़ सके। श्रीमन्, बड़ा भयानक सूखा और अकाल हमारे प्रदेश में पड़ा, उसको किसने दूर किया ?

एक सदस्य—

संविद ने।

श्री गेंदासिंह—

हां, उसको एक संयोग मिला। किसान की खेती में जो मेहनत थी, उसकी कटनी संविद ने कर ली। क्योंकि किसान ने सारे प्रदेश में मेहनत से, पानी लगाकर, अच्छे किस्म का बीज देकर, अच्छी जोताई देकर जो पैदा किया तो उत्पादन चैत-बैशाख के महीने में हुआ और अच्छा उत्पादन हुआ, तो उस जमाने में संयोग से संविद भी आ गया। तो यह तो केवल संयोग की बात थी।

एक सदस्य—

आपके आते फिर महंगाई आ गयी।

श्री गेंदा सिंह—

मैं आपसे कहता हूं कि संतोष करके आप भी बैठिये। थोड़ी देर देखिये कि भाव नीचे आता है या नहीं। हर दो फसलों के बीच में भाव बढ़ता है। आज आप फसल कटने दें, फिर आप देखें। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि बी० के० डी० के लोग उधर नहीं बैठे हैं, हमारे पुराने लोग ही उधर बैठे हैं, जो कृषि में विश्वास करते थे।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण जारी रखें, उनकी बात का जवाब न दें।

श्री गेंदा सिंह—

मैं, श्रीमन्, जवाब नहीं देता हूं, मैं तो केवल अदब से सुन लेता हूं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये जो सिंचाई पर व्यय, बिजली पर व्यय और रियायतें, कर्ज की सुविधा आदि जो

आवश्यक कदम उठाये जाने हैं, उन सबको राज्यपाल के अभिभाषण में देने की चर्चा की गई है। मैं समझता हूं कि वे भी उठ कर स्वागत करेंगे इस बात का यदि वे दोबारा रात को पढ़ेंगे। इसको कौन नहीं मानता है कि खाद्य का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ा है और उसका परिणाम अच्छा हुआ है। किन्तु उससे भी अच्छा परिणाम आने वाला है। खाद्य के दो हिस्से हैं। एक तो जो खाद्य उत्पादन की बात है जो बढ़ा है और उससे उपभोक्ता को थोड़ी मदद मिली है और खाने वालों को जो शहरों में या गांवों में ही खेती न करने वालों को भी मदद मिली है, किन्तु उसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि उद्योगों की जड़ें भी उसी के आधार पर जमती हैं। छोटे-छोटे और बड़े-बड़े उद्योग सारे प्रदेश में पनप सकें और उपभोक्ताओं की तादाद भी बढ़ सके यह भी खेती रूपी जननी से ही सम्भव है और वही उसको पैदा कर सकती है। मैं समझता हूं कि इस बात के लिये चाहे हम में से कोई किसी तरफ भी बैठा हो, उस को सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

अब आप संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें क्योंकि समय हो रहा है।

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, हरिजनों और पिछड़ी जातियों की तरक्की भी खेती की तरक्की पर ही निर्भर है। अगर खेती की तरक्की होती है तो निश्चित रूप से खेतिहर मजदूरों की आय भी बढ़ेगी। इन सब चीजों की ओर एक उद्देश्य से हम चल रहे हैं और वह यह है कि जो सबसे अधिक पिछड़ा है उस को सब से अधिक बल मिले, वह सब से आगे बढ़े और अगर सब से आगे न बढ़ सके तो जो सब से आगे बढ़े हुये हैं उनके नजदीक तो चला जाय। अगर इसका परिणाम किसी के पक्ष में जाने वाला है तो वह सब से अधिक पिछड़ी हुई जातियों के पक्ष में जाने वाला है और उसमें हरिजन निश्चित रूप से ही आते हैं।

श्रीमन्, एक एक जाति के बारे में इसमें बात नहीं गिनायी गयी है लेकिन सामूहिक रूप से बातें कही गयी हैं। जिस बात से इस प्रदेश को अगले वर्ष में लाभ होने वाला है, उसकी कल्पना कर के हम प्रसन्न होते हैं।

अब श्रीमन्, दो-तीन बातों की तरफ मैं ध्यान दिला दूं, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिये अधिक नहीं कहूंगा। राजकीय कर्मचारियों के लिये ह्विटले कौंसिल बनाने की इसमें चर्चा है। यह ह्विटले कौंसिल इंग्लैन्ड में सन् १९१६ में बन गयी थी और जितनी जल्दी यह हमारे यहां बन सके और जितनी जल्दी राज्य कर्मचारियों से आपस में सुलह से सारी बातों को समझ-बूझ कर उनको संतुष्ट किया जा सके तो वह बहुत अच्छी बात होगी।

श्रीमन्, उद्योगों के सम्बन्ध में एक विशेष कदम उठाने की बात इस में कही गयी है और वह यह है कि भारत सरकार की सहायता से पब्लिक सेक्टर में भी कुछ उद्योग खोले जायं और उसके लिये जितनी ताकत लगायी जा सकती है उतनी लगायी जाय। वह ताकत भी तो इस सदन की ही ताकत है। कुछ गांवों के स्तर पर भी छोटे-छोटे उद्योगों को खोलने के लिये और उनको कुछ विशेष सुविधायें देने के लिये इसमें चर्चा की गयी है। उस में बिक्री-कर और चुंगी की छूट करके उन्हें आगे ले जाने का इरादा किया गया है, यह बड़ी अच्छी बात है।

शिक्षा के जगत में, कुमायूं विश्वविद्यालय खोलने का जो निर्णय किया गया है वह स्वागत करने योग्य है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन उसका स्वागत करेगा। यह एक बहुत पुरानी मांग थी और उसको स्वीकार कर के सरकार ने एक बहुत ही उत्तम कार्य किया है।

इसमें कुछ अनिवार्य शिक्षा योजना की भी बात है। यह भी बहुत उत्तम कदम है।

स्वास्थ्य जगत् में, अभी भी कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां डाक्टरों की कमी है। इसको कबूल किया गया है और यह भी कहा गया है कि जितनी जल्दी मुमकिन होगा उस कमी को दूर कर

[श्री गेंदा सिंह]

के वहां डाक्टरों को भेज दिया जायगा। एक बात मैं अपने भाई कृष्णानन्द राय जी से कहूंगा। वे एक नौजवान स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्हें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वर्ष के भीतर कोई अस्पताल न रह जाय जहां डाक्टर न रहे। डाक्टर जरूर भेजे जायं चाहे एलोपैथिक न सही, होम्योपैथिक डाक्टर्स ही भेजने पड़ें। होम्योपैथिक का निरादर करने की आवश्यकता नहीं, है और बहुत से अस्पताल अब भी हैं जहां होम्योपैथिक डाक्टर्स भेजने पड़े हैं। हमारे मेडिकल कालेजों में स्नातकों की कमी नहीं है। उन्हें गांवों के स्तर पर जाने के लिये राजी करना चाहिये।

पीने के पानी के लिये बड़े प्रयास पहली बार किये जा रहे हैं और कुछ जिलों में तो खास प्रबन्ध किये गये हैं जैसे मिर्जापुर, बांदा, इलाहाबाद और बनारस में लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस गांधी सेन्टिनरी पर तो हमें ऐसा करना चाहिये कि जहां कहीं भी लोगों के लिये पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है उनके लिये जरूर से जरूर व्यवस्था हो जाय। हमको उसके लिये कुछ बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और श्रीमन्, उस में आपकी सहायता की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह काम बहुत जरूरी है और इसको जरूर पूरा करना ही होगा।

श्रीमन्, तराई की भूमि के सम्बन्ध में बहुत स्वागत योग्य निर्णय लिया गया है। वहां पर मालूम नहीं कितने दिनों से लोग बसे हुये थे, लेकिन वहां पर जमींदारी उन्मूलन नहीं हो पाया। अब यह फैसला हुआ है कि जमींदारी उन्मूलन हो जायगा और जमीन का मालिक किसान हो जायगा। यह बड़ा उत्तम फैसला है। इसके साथ साथ रामपुर जिले में मालगुजारी कम करने का संकेत गवर्नर साहब ने किया है। रामपुर जिले में मालगुजारी ज्यादा है। मैं समझता हूं कि ऐसा करके हजारों लाखों किसानों को बड़ी भारी राहत दी जा सकेगी। यह बात पहले ही होनी चाहिये थी लेकिन वह पहले नहीं की। आज की गई तो उसका स्वागत किया जा सकता है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी का भी बड़ा भारी सवाल इस प्रदेश में है। जितनी भी शिक्षा इस प्रदेश में बढ़ेगी उतनी ही बेरोजगारी भी बढ़ेगी। आज इस बात की जरूरत है कि शिक्षा को इस प्रकार से नियोजित किया जाय कि जिससे मैनुअल लेबर की ओर रुचि पैदा हो। साधारण कार्य करने की हमारे नौजवानों के अन्दर प्रवृत्ति पैदा हो। साथ ही साथ पर कैपिटा इन्कम बढ़ाने की जो चेष्टा है वह भी एक महान् काम है। पर कैपिटा इन्कम बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, यदि हम बे पढ़े-लिखे आदमी, गरीब आदमी या निर्धन और साधनहीन लोगों की एवरेज आमदनी बढ़ा सकें तो यह बहुत बड़ा काम इस प्रदेश में होगा। इन लोगों की आमदनी को बढ़ाने का एक संकल्प है जो एक पवित्र संकल्प है और ऐसा संकल्प है जिसको पूरा करना इस सदन का काम है।

अन्त में श्रीमन्, इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति इस कुर्सी पर विराजमान हैं। माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं। अगर ये दोनों मिलकर ठीक तरह से काम करेंगे तो मुझे यह आशा है कि इस प्रदेश का आगे आने वाले ४, ५ वर्षों में इतना लाभ होगा कि जो हमको पिछले १०, १५, २० वर्षों में देखने को नहीं मिला है। इतना निवेदन कर के मैं आप से विदा लेता हूं।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों को बोलने के लिये टाइम का कुछ अलाटमेंट कर दिया जाय?

श्री अध्यक्ष—

(डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी से) आप को १५ मिनट का समय बोलने के लिये दिया जाता है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है, वह मैं समझती हूं इस पिछड़े प्रदेश की चतुर्मुखी विकास की तरफ ले जाने का संकेत है। उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की है कि "गरीबी एवं बेरोजगारी मिटाने और प्रदेश को कृषि व उद्योग के क्षेत्र में ऊपर उठाने के लिये सरकार कृत संकल्प है इसका मैं स्वागत करती हूं।" राज्यपाल महोदय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारे प्रदेश की गिरी हुई आर्थिक दशा को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने भाषण में उन नीतियों की ओर संकेत किया है जिन पर चल कर हमारे प्रदेश के आर्थिक विकास में कदम बढ़ाया जा सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि...

एक सदस्य---

आप पढ़ क्यों रही हैं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

माइक नीचा है और मैं कुछ ऊंची हूं इसलिये कुछ झुक कर बोलना पड़ रहा है।

यह सही चीज है कि उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़ कर भारतवर्ष के जितने प्रदेश हैं सभी से पिछड़ा हुआ है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार की ओर से ऐसे प्रयत्न किये जायं कि हम थोड़े समय में अधिक से अधिक विकास की ओर कदम बढ़ा सकें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कृषि विकास के ऊपर बहुत जोर दिया है और सर्वप्रथम स्थान उसे दिया है इस प्रदेश की गरीबी को मिटाने के लिये। इस चालू वर्ष में करीब १०१ लाख एकड़ भूमि में अधिक उपज बढ़ाने के लिये अच्छे बीज की व्यवस्था की घोषणा की गयी है और यह भी प्रसन्नता की बात है कि हम डेढ़ क्यूसेक की जगह पर ३ और ५ क्यूसेक के ट्यूबवेल बना कर पानी की समस्या को हल करने की बात कर रहे हैं। कृषि के विकास के लिये पानी, अच्छे बीज, और खाद की आवश्यकता है और इन साधनों को जुटाने के लिये पूंजी की व्यवस्था की भी आवश्यकता है। पूंजी की व्यवस्था के लिये जैसा कि इस भाषण में कहा गया है वाणिज्य बैंकों के द्वारा विशेष रूप से कृषि विभाग में एक ऐसी इकाई कायम की जा रही है जिसके द्वारा किसानों को ऋण की ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जायगी। मैं इन बातों की ओर इसलिये ध्यान दिला रही हूं कि मैंने देखा है कि राज्यपाल महोदय के भाषण पर विरोधी दल की ओर से जो संशोधन या सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं उनमें इन बातों का जिक्र है और कहा गया है कि राज्यपाल महोदय ने कृषि की उन्नति के लिये विशेष बात नहीं कही। तो इन सब बातों की घोषणा सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय ने की है, उसे मैं समझती हूं कि सही कदम है और इस दिशा में चल कर हमारे प्रदेश की तरक्की हो सकती है।

कुछ आंकड़े बताती हूं कि हमरा प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। एक पुस्तिका है सेंट्रल एड ऐंड इनवेस्टमेंट फार फोर्थ फाइव ईयर प्लान। इसकी हिन्दी की कापी नहीं मिल पाई है, उसे इंगलिश में पढ़ कर सुनाना चाहती हूं, अगर चाहेंगे तो अनुवाद हिन्दी में कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष---

आप हिन्दी में अनुवाद कर दीजिएगा।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी---

यानी उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम के जो फीगर्स हैं वे इस प्रकार हैं:---१९५०-५१ में पर कैपिटा इनकम यू० पी० की २३७.६६ रुपये थी जबकि पूरे हिन्दुस्तान की वह २७५ रुपये थी। यह १९५०-५१ की इनकम है। लेकिन कीमतें धीरे-धीरे बढ़ती गयीं और कीमतों के आधार पर जो सन् १९६०-६१ के आंकड़े हैं वे यह बतलाते हैं कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में उस तुलना में हमारी पर कैपिटा इनकम घटती गयी है। सन् १९६०-६१ में यहां की पर कैपिटा इनकम २४५.८८ रुपये थी, जब कि हिन्दुस्तान भर में वह ३१० रुपये थी। सन् १९६५-६६ में यहां की पर कैपिटा इनकम २४४.३८ रुपये थी जब कि पूरे हिन्दुस्तान भर में

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

वह ३१५.३० रुपये थी। सन् १९६६-६७ में यहां की पर कैपिटा इनकम २२७.६६ रुपये थी जब कि हिन्दुस्तान भर में वह ३१३.१० रुपये थी। तो किस प्रकार से हमारा यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है, ये जो आंकड़े हैं, उनसे पता चलता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो हमारी नयी सरकार आयी है वह इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये और यहां की गरीबी को मिटाने के लिये ज्यादा से ज्यादा ऐसा कार्य करे, खेती की उन्नति के साथ-साथ औद्योगिक विकास भी बहुत आवश्यक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे कदम उठाये गये हैं जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में निश्चित रूप से आनेवाले वर्षों में तरक्की होगी, जैसा कि इस भाषण के अन्दर घोषणा है कि ऐसे कारखाने जो कि तीन वर्ष तक नये खुलेंगे---उनको बिजली की दरों में और करों में छूट दी जायेगी। बिजली की दरों में १५ प्रतिशत तक की छूट देने के साथ साथ यह घोषणा भी बहुत स्वागत के योग्य है कि हमारा जो नया शासन है वह ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का जाल बिछा देना चाहता है। हमारा उत्तर प्रदेश अभी गांवों में ही बसता है। हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा यहां बड़े नगरों की संख्या कम है। यहां की बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जिनको कि हम भूमिहीन बेतिहर मजदूर कहते हैं, जिनको कि काम नहीं मिलता है, और जो बेरोजगारी की हालत में हमारे शहरों और देहातों में ठोकर खाते रहते हैं, उन गरीबों की बढ़ती हुई आबादी को काम देने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में लघु उद्योगों का विस्तार हो, इसलिये मैं इसका स्वागत करती हूं।

राज्यपाल महोदय ने जो राज्य कर्मचारियों के बारे में कहा है, राज्य कर्मचारियों के विवाद को हल करने के लिये जो ह्विटले कौंसिल बनाने की बात कही गयी है, वह आज की परिस्थिति में बहुत ही आवश्यक है,। बार-बार राज्य कर्मचारियों द्वारा अपने छोटे-छोटे प्रश्नों को लेकर हड़ताल की जाय, या कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिनमें अनुशासनहीनता की झलक मिलती हो, ऐसी बातों को होने से पहले ही रोकने के लिये आवश्यक है कि राज्य सरकार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न होने दे और उनकी समस्याओं को हल करने के लिये ऐसा कोई प्लेटफार्म होना ही चाहिये जहां बैठ कर उन समस्याओं को हल किया जा सके। आजादी के बाद जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में समस्यायें बढ़ती जा रही हैं, राज्यकर्मचारी जिनकी एक निश्चित आय है, और जो मिडिल क्लास के साधारण लोग होते हैं, वे सब बढ़ती हुई महंगाई से बड़े परेशान होते हैं। जहां तक कीमतों के बढ़ने का प्रश्न है यह एक अखिल भारतीय प्रश्न है, जिसको शासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यद्यपि उसकी चेष्टा उस तरफ चल रही है, तो उसके साथ ही साथ जो उनके लिये दूसरी सुविधायें हैं, जैसे---उनके आवास, उनकी चिकित्सा, उनके बच्चों की पढ़ाई के आदि लिये विशेष सुविधायें देने आदि का प्राविधान सरकार की तरफ से होना चाहिये। यह ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर स्ट्राइक वगैरह की बात उठानी नहीं चाहिये, मैं ऐसा समझती हूं। मुझे खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने इस ओर संकेत किया है और इस ओर कदम उठाया जायेगा।

रोडवेज के क्षेत्र में भी जो प्रगति की जायेगी तथा यातायात की दिशा में सुधार किया जायगा वे सब भी ऐसे कार्य हैं जिनका मैं स्वागत करती हूं। राज्यपाल महोदय ने शिक्षकों की मांगों का आदर किया है, किन्तु प्रदेश की आर्थिक स्थिति में उनको पूरा नहीं किया जा सका है। मुझे आशा है कि जो कमियां इस सम्बन्ध में रह गयी हैं उनको अगला बजट आने तक उसमें पूरा अवश्य कर दिया जायेगा। अन्य स्कूलों के अध्यापकों को भी सरकारी कालिजों के अध्यापकों के स्तर के बराबर लाने की घोषणा अगले बजट में करनी चाहिये, यह चीज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रह गयी है। जब सिद्धान्तरूप में उस चीज को मान लिया है तो उसको कार्यान्वित करने में देरी नहीं करनी चाहिये।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सरकार ने मद्यनिषेध की तरफ भी सक्रिय कदम उठाया है। हिल डिस्ट्रिक्ट्स में नशा बन्दी के लिये जो कदम उठाये गये हैं, जो सप्ताह में दो दिन शराब की दुकानें बन्द रखने की बात की गयी है, वह वास्तव में एक सही कदम है क्योंकि धीरे-धीरे ही

इस ओर चलना सम्भव हो सकता है। सरकार के सामने जो कठिनाई है उसको देखते हुये जो कदम उठाये जा रहे हैं उनका मैं स्वागत करती हूं। मुझे आशा है कि जितनी आय इससे होती है, जब उसको सरकार और साधनों से बढ़ा लेगी तो पूर्ण रूप से नशाबन्दी लागू कर सकेगी। इस बात की जरूरत है कि हम अपने आर्थिक साधनों को बढ़ाते हुये अपनी योजनाओं को पूरा करते हुये, प्रदेश को आगे ले जायें। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि पब्लिक सेक्टर से आय बढ़ सके और प्रदेश की गरीबी दूर हो सके।

इसके अलावा हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनीफेस्टो में शिक्षकों की दशा को सुधारने क लिये कोठारी आयोग को लागू करने की बात कही है। मैं इस समय यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि सरकार इस बात पर जल्दी से जल्दी विचार करे और उस आयोग की सिफारिशों को लागू करे। इसके लिये सरकारी स्तर पर कोई समिति आदि बनायी जाय जिसमें शिक्षकों के नुमाइन्दे हों, शिक्षाविद हों, सरकारी नुमाइन्दे हों, और वे कोई इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लें। इस प्रदेश के विकास के लिये यह भी जरूरी है कि हम एकोनामी के साथ काम करें क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि और अधिक टैक्स लगाये जा सकें। मेरा विश्वास है अगले बजट में सरकार इस ओर ध्यान देगी । अंत में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह एक व्यावहारिक बात है और जो कि आगे आने वाले वर्षों में सरकार कर सकती है उस पर प्रकाश डालती है। धन्यवाद।

*श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि कितना समय आप मुझे देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

वैसे आध घंटे का समय है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी दे देंगे। प्रथा यह है कि विरोधी दल के नेता ने संशोधन उपस्थित कर दिया तो मान लिया जाता है कि अ सब संशोधन उपस्थित हो गये। इस प्रकार थोड़ा समय विरोधी दल के नेता को ज्यादा दिया जा सकता है।

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का प्रस्ताव इस प्रकार है। जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय गेंदासिंह जी ने पेश किया,उसके अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने---

(अ) उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण तथा उसके समाधान पर समुचित प्रकाश नहीं डाला,

(ब) प्रदेश के प्रशासन व सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के निरोध व उन्मूलन के उपाय का कोई जिक्र नहीं किया, तथा

(स) प्रशासन की कुशलता तथा सुरक्षा की व्यवस्था को सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।"†

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन ऐसे मामलों से वास्ता रखता है जिस पर अगर विस्तारपूर्वक अपने विचार व्यक्त करना चाहूं तो उसमें बहुत देर लग सकती है और इतना समय, यह बात सही है, आप मुझे नहीं दे सकते और किसी भी सदस्य को नहीं दे सकते। आध घंटे के अन्दर मैं बहुत जल्द-जल्द अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा और शुरू में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि गोरखपुर में आप मेडिकल कालेज खोल रहे हैं या कुमायूं में यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†अन्य संशोधनों के लिये देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १०२-१४० पर ।)

[श्री चरणसिंह]

रखते हैं या किन्हीं खास तीन जिलों में प्राविजन वगैरह की बात सोच रहे हैं। वह सब बात ठीक है। वे सब तफसील की बातें हैं। ऐसी बातें हर गवर्नर के एड्रेस में हम कहते ही रहे हैं और करते भी रहे हैं। फिर भी हमारे प्रदेश की समस्याएं सुलझी नहीं हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे काम करने के ढंग में कहीं कोई गलती है। इतने चीफ मिनिस्टर आये, इतनी गवर्नमेंटें आईं और बनीं मसला वहीं का वहीं है जहां बीस साल पहले था, वहीं है करीब-करीब बल्कि जैसा कि बहिन राजेंद्र कुमारी ने आंकड़े दिये थे हमारा प्रदेश और पीछे खिसकता जा रहा है। सन् १९५०–५१ में जो औसत आमदनी हमारे प्रदेश के एक नागरिक की थी, उससे कहीं ज्यादा १२ रुपये के करीब हमारे उत्तर प्रदेश के एक निवासी की थी। आज हो यह गया कि बिहार और उड़ीसा को छोड़कर हमारी पर कैपिटा इंकम सबसे कम है। केवल मध्यप्रदेश की कही जा सकती है, ठीक हमारी और उनकी आय बराबर है। तो मैं फिर अर्ज करूं कि हम सबके लिये यह जरूरी है कि हम कोई गहरा और बुनियादी चिन्तन इस विषय में करें कि क्या वजह है कि हमारा देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं यह बतलाना चाहता हूं। मैं यह उम्मीद करता था कि जो समस्यायें अपने प्रदेश की हैं विशेषकर वैसी ही समस्यायें सारे देश की भी हैं, उसका जिक्र होता एक एक दो दो करके, फिर हमारे जो समाधान हैं, हमारे जो इलाज हैं, जो हम कदम उठाना चाहते हैं, उनका कुछ जिक्र होता। जो पिटा पिटाया गवर्नर महोदय का एड्रेस हुआ करता है, सब वही यहां दुहरा दिया गया है। मेरी बुद्धि के अनुसार ५ मुख्य बातों पर इसमें विचार किया जाना चाहिये जो हमारे प्रदेश की मुख्य समस्यायें हैं। १—हमारा प्रदेश गरीब है, आर्थिक दृष्टि से गरीब है, पिछड़ा हुआ है। २—दूसरी चीज है, बेरोजगारी। जहां तक इसका ताल्लुक है, जो मेमोरेंडम गवर्नमेंट की ओर से केंद्रीय सरकार को पेश किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में उसमें कुछ आंकड़े दिये हुए थे, उनके अनुसार सन् ५६ में हमारे यहां साढ़े नौ लाख लोग बेरोजगार थे। सन् ६१ में उनकी तादाद बढ़कर १३ लाख हो गयी। सन् ६६ में २१ लाख हो गयी, और सन् ६८ में उसका अनुमान लगाया गया था २३ लाख और अब मैं समझता हूं वह तादाद बढ़कर २४-२५ लाख हो गयी होगी। इसी अन्दाज से सन् ४७–४८ में वह ३–४ लाख के करीब होगी। २०-२२ वर्ष हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो गये, लेकिन बेरोजगारी की तादाद ३–४ लाख से बढ़कर २४–२५ लाख हो गयी है, जो एक बहुत चिन्ताजनक बात है। लेकिन उसका इस अभिभाषण में कोई खास जिक्र नहीं है केवल एक चलतू लाइन लिख दी गयी है कि रोजगार को बढ़ाने के लिये कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये यह-यह किया जायगा। लेकिन इससे जो खास समस्या है, उसका कोई हल नहीं होगा किस प्रकार से उसको किया जायगा, उसका इसमें बिलकुल जिक्र नहीं है।

हमारे प्रदेश की तीसरी समस्या है लोगों की आमदनियों में डिसपेरिटी की। यहां पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक की आय में अन्तर बढ़ता जा रहा है। जब अंग्रेज यहां से गये थे, उस समय अमीर और गरीब की आमदनियो में जितना अन्तर था, वह घटना चाहिये था, लेकिन अफसोस है कि वह अन्तर और ज्यादा बढ़ा है। महालनवीस नाम के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जो स्कूल आफ स्टेटिस्टिक्स, कलकत्ता में प्रिंसिपल हैं। वे माननीय पंडित जवाहर लाल के बड़े विश्वासपात्र थे। विद्वान आदमी हैं। उनके मशविरे से ही हमारे देश में योजनायें बनीं। उनके मशविरे का बहुत बड़ा असर हमारी योजनाओं पर है। उनकी अध्यक्षता में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमेटी नियुक्त की थी, जो इस नतीजे पर पहुंची और उसने कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया कि उनके जमाने में लोगों की आमदनियों में डिस्पेरिटी बढ़ी है, आमदनी में अन्तर बढ़ा है। उनका वह आरोप सही है। हमारे प्रदेश में भी यही हुआ है। इत्तफाक से मैंने उस रिपोर्ट को नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में अखबारों में बहुत कुछ पढ़ा है जिसके आधार पर मैं यह स्वीकार करता हूं कि अपने यहां अमीरी और गरीबी का अन्तर बढ़ा है। लेकिन अपने यहां इस प्रकार स्टडी नहीं हुई लेकिन शहर वालों और गांव वालों की आमदनी के बारे में आंकड़े इकट्ठे किये थे जिनको देखने से मालूम होता है कि सन् ४८–४९

में शहर और गांव में रहने वालों की आमदनी में उस समय जो अन्तर था वह १० --२८५ था जो ६०–६१ में बढ़कर १००-३४७ हो गया। माननीय गुप्ता जी से एक और सिलसिले में मेरी बात हो रही थी, तब मैंने उनका ध्यान इस ओर दिलाया था लेकिन उसके बाद वह रिपोर्ट ही छपनी बन्द हो गयी जिसमें यह आंकड़े दिये जाते थे। इसलिये आज गांव वालों और शहर वालों की आमदनी में क्या फर्क है, यह नहीं बताया जा सकता है। लेकिन सन् ४८-४९ से सन् ६०–६१ में जितना बढ़ गया था, वह मैंने आपको बताया। यह ठीक है कि गांव में भी सब लोग ऐसे नहीं हैं जो गरीब ही कहे जा सकते हों और न शहरों में ही सब लो ऐसे हैं जो अमीर ही कहे जा सकते हों लेकिन यह मानना ही होगा कि जो थोड़े बहुत अमीर हमारे यहां हैं, उनमें से ९० प्रतिशत शहरों में ही हैं और १० प्रतिशत अमीर शायद हमारे गांवों में भी होंगे। तो शहर और गांव के रहने वालों की औसत आय का फर्क मोटे तौर पर गरीब और अमीर के फर्क को जाहिर करता है और वह फर्क बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है, यह हमारे यहां बड़ी भारी समस्या है। राजनैतिक दृष्टि से भी यह एक बहुत भारी समस्या है। १०० झोपड़ियों में रहने वाले एक दूसरे को देख .र सब्र कर लें लेकन ९९ झोपड़ियों वालों के बीच में अगर एक महल वाला है तो वह उन सब की निगाहों में कांटे की तरह चुभता है। तो उनके संतोष के लिये और डेमोक्रेसी को कामयाब बनाने के लिए भी यह जरूरी है कि इस तरह के आय के बड़े अन्तरों को कम किया जाय और किसी भी अच्छी कहलाने वाली गवर्नमेंट का यह लक्षण है कि डिसपैरिटीज को कम किया जाय और उसके समय में यह डिसपेरिटीज कम हो रही हैं या नहीं और अगर उसके जमाने में यह अन्तर बढ़ता है आय का तो वह गवर्नमेंट अच्छी गवनमेंट कहलाने की हकदार नहीं है। बावजूद इसके कि हम सब समाजवाद का और गरीब की हिमायत का नारा लगाते हैं और मैं बधाई देता हूं माननीय मेम्बरान को कि उनकी बात की एक ही लड़ी और कड़ी है और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारा सबका केंद्र अमीर के मुकाबले में गरीब ही है।

चौथी और बहुत बड़ी समस्या है बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की। जब मैं बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो मैं केवल राजनैतिक और प्रशासनिक क्षेत्र की बात नहीं करता बल्कि आज समाज के जीवन के हर एक अंग में, हर शोबे में जिन्दगी के हर गोशे में जो आज भ्रष्टाचार है, वह रुपया या रिश्वत लेने तक ही सीमित नहीं है, भ्रष्टाचार के आज अनेक रूप हैं, भ्रष्टाचार हर तरफ है और हर दिशा में हमारे आचरण के पैमाने गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और एक बड़ी भारी समस्या आज हमारे सामने हैं, सदन में या सभा में हम चाहें कहें या न कहें लेकिन जब भी हम अलग से आपस में बैठते हैं तो हम सब इसको तसलीम करते हैं और तसलीम करना पड़ता है। तो सवाल अब यह है कि कौन इस समस्या को हल करेगा, कौन इसके बारे में सोचेगा अगर गवनमेंट नहीं सोचेगी तो ? लेकिन मुझे दुख है कि इस विषय में इस अभिभाषण में जिक्र नहीं है।

पांचवीं चीज जो इसमें नहीं है वह यह है कि मेरी राय में प्रशासन की अकुशलता बराबर बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय गुप्ता जी और माननीय कमलापति जी मुझसे सहमत होंगे या नहीं, लेकिन स्थिति यह है कि अंग्रेजी जमाने में जो राज्य कर्मचारियों की कुशलता थी वह आज नहीं है। यह जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं यही राज्य के सेवाओं के इन्सट्रूमेंट हैं, और अगर वह ही कुशल न होंगे तो उनके द्वारा जनता की सेवा न हो सकेगी। कैसा ही कानून हम यहां बना दें, कितना ही पैसा हम किसी विभाग के लिये रख दें हमें सफलता मिल नहीं सकती। यही मोटी सी ५ समस्यायें हैं जिनके बारे में अभिभा ण में जिक्र नहीं किया गया है और जब जिक्र ही नहीं है तो उनके समाधान या निदान का भी प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक गरीबी की बात है इस संबंध में केवल एक ही बात कही गई है अभिभाषण में वह मैं आप की इजाजत से सुनाये देता हूं और मुझे अफसोस है कि एक सरसरी बात कहकर इस बड़ी समस्या को टाल दिया गया है। अभिभाषण के पृष्ठ २ पर है कि "आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारा प्रदेश भारत के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। इस पिछड़ेपन का मूल कारण यह है कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या बहुत है परन्तु उस जनसंख्या का खयाल

[श्री चरण सिंह]

करते हुए प्रदेश की पिछली पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा काफी रुपया प्रदेश के विकास के लिए नहीं लगाया गया ।" कुछ हद तक यह बात ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ी हद तक यह कहना कि हमारे सूबे की जनसंख्या बहुत है, क्या मतलब हुआ इसका ? बहुत और कम किसी की अपेक्षा से होता है । हमारी जो जनसंख्या है फी वर्ग मील अथवा कृषि योग्य भूमि फी एकड़ के हिसाब से बहुत से प्रदेशों से ज्यादा नहीं है । कई प्रदेश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या फी एकड़ या फी वर्ग मील हमसे ज्यादा है, लेकिन हमसे मालदार हैं ।

एक बात यह है कि भारत सरकार से हमको रुपया नहीं मिला । इससे मैं सहमत हूं कि हमारे साथ अन्याय होता रहा है । मेरे सहयोगी जितनी भी कोशिश करें इस सिलसिले में और संविधान की सीमाओं को दृष्टि में रख कर जितनी भी कोशिश की जा सकती हैं वे कोशिश करें और मैं अपनी तरफ से तथा अपने दोस्तों की तरफ से यह अख्तियारपूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष आपका पूरा-पूरा साथ देगा । भारत सरकार से आप लड़िये, लड़ना भी चाहिये । हमारे साथ अन्याय होता रहा है । लेकिन मैं बअदब यह अर्ज करूंगा कि यही मूल कारण है यह खयाल गलत है । मूल कारण कुछ और ही है और मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि हमारे देश के नेताओं ने, मेरे सहयोगियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया । आल इंडिया स्तर के नेताओं ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि गरीबी किस तरह से मिट सकती है । जब रोग का निदान ही अच्छी तरह से नहीं हुआ तो फिर तजवीज क्या होगी । डायगनोसिस व प्रसक्रिप्शन सब गलत । किस तरह से आर्थिक विकास हो सकता है कभी कोई गहरा चिन्तन इस पर नहीं किया गया । मैं माफी चाहूंगा अपने सारे दोस्तों से कि हम सब लोग नारों के बल पर चलते हैं । नारों के बल पर इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, समस्याओं का हल नहीं निकल सकता । सारी दुनिया का तजुर्बा यह बतलाता है कि खेती की पैदावार फी एकड़ जब तक नहीं बढ़ जायगी तब तक आर्थिक विकास नहीं होगा । अब हम सभी लोग इस बात को कहते हैं । लेकिन कहने मात्र से ही आर्थिक विकास नहीं हो जायगा ।

किसी भी इकोनामिक डेवलपमेंट की कोई किताब पढ़ लीजिये सबसे पहला जोर यही दिया गया कि पहले खेती की पैदावार बढ़ाओ । लेकिन हमारे यहां जब स्वराज्य हुआ तो यह जरूरी समझा गया कि ७० फीसदी आदमी तो खेती पर लगा ही हुआ है लिहाजा खेती अपने आप बढ़ जायगी । यहां इंडस्ट्रीज पर जोर दिया गया और कोशिश की गयी कि गैर जरायती पेशों में ज्यादा से ज्यादा लोग जायं । इसमें कोई दो राय नहीं हैं । लेकिन उद्योगीकरण तभी होगा जब पहले खेती की पैदावार बढ़े । हमारे लीडरों की आंखों से यह बात ओझल हो गयी और वे उद्योगीकरण का नारा लगाने लगे । महालानोविस की राय पर यहां रूस की नकल की जाने लगी और हेवी इंडस्ट्रीज में रुपया अधिक लगने लगा । कृषि को जितना रुपया दिया गया अगर तीन प्लांस के आंकड़े देखे जायं, जो कि मेरे पास इस समय नहीं हैं, खेती के मुकाबले में इंडस्ट्रीज पर ज्यादा जोर दिया गया । ठीक है खेती गांव में होती है, अखबार वाले वहां जा नहीं सकते, फोटो निकल नहीं सकते, स्पेक्टेकुलर वह हो नहीं सकता, मजमून निकल नहीं सकता । लेकिन कारखाने जब चलेंगे तो स्पेक्टेकुलर होंगे । करोड़ों रुपये लगेंगे, बिजली की चमक दमक होगी और वह बात हमारे लीडरों को अच्छी लगती है । लिहाजा हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर देते रहे और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की उपेक्षा की गयी और परिणाम यह हुआ कि नेशनल इनकम कम होती गयी । रुपये हैवी इंडस्ट्रीज में लगते चले गये और आमदनी थोड़े सी ही बढ़ी बड़े कारखानों से । १६.४ राष्ट्रीय आय का अनुपात था उद्योग-धंधों से सन् १९४८-४९ में और १६ वर्ष के बाद सन् १९६४-६५ में वह अनुपात १६.९ हो गया । मुमकिन है कि अब १७, १७.५ या १८ हो गया हो । खेती की पैदावार फी एकड़ बढ़ती जाय और उस पर काम करने वाले लोगों की तादाद घटती चली जाय यह मोटा सा फारमूला है देश की आर्थिक विकास का । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपने मित्रों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि उधर हमारा ध्यान नहीं है । मैं अनेक लोगों को

स्पीचेज कोट कर सकता हूं इस बात को साबित करने के लिए कि अभी तक भी इस बात का एहसास नहीं है। नाम लेना कोई बहुत मुनासिब नहीं है। आज भी गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक मोअजिज मिनिस्टर यह स्पीच देते फिर रहे हैं कि उद्योगपतियों को यह चाहिये कि खेती में आजकल बड़ी आमदनी है, फार्मिंग करें और गेंदा सिंह जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इसलिये उनके सामने मैं यह बात कहता हूं कि उन्होंने जो भाषण दिये हैं कृषि मंत्री होने की हैसियत से, कोई एक दर्जन कटिंग्स मेरे पास रखी हैं, कहने का मौका ही नहीं मिला आज भी समय बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष--

आप कहें ।

श्री चरण सिंह---

उन्होंने भी यह कहा कि शहर के लोगों को यह चाहिये कि, गांव वालों को खेती करना नहीं आता है, उनको जा कर खेती करना सिखायें। छुट्टियां की गयीं कि खेती में मदद करें। खेती में काम करने वालों की तादाद कम हो गयी है इसका मतलब यह हुआ और कम से कम यह स्पीच देने का तो मतलब ही यह था। तो क्या खेती में काम करने वालों की तादाद घटनी चाहिये या बढ़नी चाहिये ? आज हमारी खेती लेबर सरप्लस है या लेबर डेफिसिट है। जब तक हमारा मस्तिष्क इधर से साफ नहीं हो जाता हम अपने मन को किधर ले जायं । खेती पर काम करने वालों की तादाद जरूरत से ज्यादा है आज या वह जरूरत से कम हुई है ? अगर वह जरूरत से कम हुई है तो बेशक सभी लड़कों से जो पढ़ते हैं उनसे कहा जाय कि अपने बाप का पेशा करो क्योंकि आज अन्न के दाम बहुत बढ़ गये हैं। यही भाषण आज तक होते रहे हैं। तो फिर गरीबी मिटने वाली नहीं है। किसी भी देश के आंकड़े उठा कर देखें उससे यही साबित होता है कि मुल्क मालदार होते चले गये तभी जबकि खेती करने वालों की तादाद कम होती गयी और दूसरे पेशे वालों की तादाद बढ़ती गयी। आज दुनिया के सबसे मालदार मुल्क को ले लीजिये यू० एस० ए० को । वहां सन् ५० में १३ आदमी खेती करते थे जो सन् ६२ में ५.८ रह गये। ८३ फी सदी से बढ़ा कर ९५ तक ले गये जो खेती के अलावा दूसरे कामों में लगे थे और यह तब जबकि वह देश हमसे ३१ गुना मालदार था। अब उससे भी ज्यादा मालदार हो गया है। सन् ५१ की आप सेंसेज रिपोर्ट देखें तो जो हमारे देश में सन् ५१ में था ठीक उतना ही सन् ६१ में था। इसलिये कहा जा सकता है कि देश का कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ या बहुत कम हुआ। इसका मूल कारण यह है कि उस दिशा में हमने कोई विचार नहीं किया । हम केवल नारों से चल रहे हैं और इतने दिन खोने के बाद भी विचार करने की जरूरत है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को कहना चाहता हूं और जिम्मेदार लोगों को, बहुत बड़े-बड़े अफसरों को कहना चाहता हूं। एक बड़े आई० सी० एस० अफसर हैं जो एक जगह गवर्नर हो गये। वह गवर्नर अपने प्रदेश में इंडस्ट्रियल और ऐग्री-कल्चरल एग्जीबिशन खोलने गये और जो व्याख्यान उन्होंने वहां दिया वह कि लड़कों को चाहिये कि ऐग्रीकल्चर में जायं। देश और डूब गया इन सब कारणों से। मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने खेती के रोल को नहीं समझा । खेती का क्या स्थान है। देश के आर्थिक विकास में इसको नहीं समझा और अगर समझा तो यह कि खेती में काम करने वालों की तादाद बढ़े। देश में जितने भी गैर जरायती पेशे बढ़ेंगे उतना ही देश मालदार होगा और खेती की पैदावार की एकड़ जितनी बढ़ेगी उतना ही देश मालदार होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि खेती की बराबर उपेक्षा होती रही। मोटी सी बात यह है कि इधर ध्यान नहीं दिया गया। जब कुछ ध्यान गया तो सन् १९५८-५९ से लेकर करीब ४२ अरब रुपया बाहर से गल्ला वगैरा और सामान मंगाने में बाहर भेजा गया । अगर इतना रुपया हमारे यहां लगाया जाता और आधा ही रुपया इसका हमारे इर्रीगेशन की फैसिलिटीज को हासिल करने में लगाया जाता तो हमें इतना रुपया बाहर न भेजना पड़ेगा और जो हमें कर्ज लेना पड़ा उसको लेने की नौबत नहीं आती। यह खेती की बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि खेती कि बराबर उपेक्षा की गई ।

[श्री चरण सिंह]

हमारे देश में हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर अरबों रुपया लगाया गया और उनसे देश को फायदा होने के बजाय काफी नुकसान हो रहा है। इन इंडस्ट्रीज में ४० फीसदी हमारी आय आइडिल पड़ी हुई हैं क्योंकि कच्चा माल मिल नहीं पाता। कच्चे माल से जो फिनिश्ड गुड्स पैदा होते हैं उसके लिये देश में इंटरनल मार्केट नहीं मिलता। कच्चा माल हमारे यहां तभी होगा जब देश में खेती की पैदावार बढ़ेगी। इन इंडस्ट्रीज से जो माल पैदा होगा उसको खरीदने की सामर्थ हमारे किसान में उसी समय होगी जब खेती की पैदावार बढ़ेगी। इधर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में यह बात कही गई है और इसमें राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है कि हमने प्रदेश में इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए तीन साल के लिए सेल्स टैक्स माफ कर दिया, चुंगी भी माफ कर दी और कच्चे माल पर भी माफ कर दी। इसके अलावा बिजली की दर भी कम हो गई। जो यह हुआ सब ठीक है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की छूट माफी और रियायतें तो आप पहले भी देते रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे देश में उद्योगीकरण होने वाला नहीं है। आप चाहें कानून बना दें और दस साल के लिये सेल्स टैक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर से माफ कर दें तब भी उद्योगीकरण नहीं होने वाला है। यह इस बात को साबित करता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने का मूल कारण क्या है। इसके दो कारण हैं। एक तो खेती की पदावार बढ़ाना। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया अगर दिया गया तो कोआपरेटिव फार्मिंग की ओर दिया गया। दुनिया के किसी मुल्क में यह कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इसका एक नारा दिया गया। दूसरे देशों की किताबों से यह चीज ली गई। हमारे देश के नेताओं ने दूसरे देशों की किताबों को नकल की, बिना देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, इसीलिये कामयाब नहीं हो सके। एक राय हो सकती है। पोलिटिकल बात कही जा सकती है।

ऐसी ही खाद की बात है। हमेशा आर्टीफिशियल फर्टिलाइजर्स, केमीकल फर्टीलाइजर्स का ही जिक्र किया गया और हम लोग गांधी जी की बात भूल गये। उन्होंने कहा था कि गोबर खेतों में जाना चाहिये। लेकिन जवाहरलाल जी ने मजाक उड़ाया, इट इज काउडंग एज" हमारा किसान आज भी इसको इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिफिशल फर्टिलाइजर्स ठीक है, इस्तेमाल कीजिये। लेकिन उसके लिए अरबों रुपये के जो कारखाने कायम करने पड़ेंगे उसके लिए इनवेस्टमेंट कहां से आयेगा? बीस साल हो गये, इतने दिन में तो सब भूखे मर जायंगे, अगर केवल आर्टिफिशल फर्टिलाइजर के बल पर बैठे रहें। भारत सरकार के कृषि मंत्री के भाषण पर मैंने ध्यान दिया, एक बार उनकी जबान पर गोबर का लफ्ज नहीं आया। केवल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये गवर्नमेंट के लोगों से दरखवास्त करना चाहता हूं। इधर ध्यान देने की जरूरत है। गोबर हमारा चूल्हे में जा रहा है। चूल्हे को भी बदलने की जरूरत है। उसके लिये अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम बनाये और उसका प्रोपेगेंडा सारी पार्टीज के लोग, गांव गांव में करें तो वह महसूस करेंगे कि खाली गोबर और चूल्हे से बहुत से मसले हल होने वाले हैं। इधर जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया गया है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सारे प्लांस में अमेरिका के ऐडवाइजर्स ने कह दिया-अमोनियम सल्फेट या यूरिया।

तो मैं इंडस्ट्री की बात कह रहा था। इंडस्ट्री इस तरह से बढ़ने वाली नहीं है। इकोनामिक डेवलपमेंट के लिए जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखना होगा। मेरी राय में है, अध्यक्ष महोदय, आदमियों का सुधार, ह्यूमन फैक्टर, हमारा अब तक जो रहा है कि फलां कानून बना दिया जाय, इतने रुपये का टैक्स लगा दिया जाय इतने रुपये का कर्ज ले लिया जाय, इतना किसान को या इंडस्ट्रियलिस्ट को अनुदान दे दिया जाय, इतने इंजीनियर्स पैदा कर लिये जायं, बाहर से टेक्निकल नो हाऊ मंगा लिया जाय। बहुत से

रिजेक्टेड साइंटिस्ट्स दूसरे देशों के हमारे यहां टेक्निकल एक्सपट् स बन कर आये हैं जिनको हिन्दुस्तान की दशाओं का कुछ पता नहीं । आज ५१ हजार इंजीनियर और ओवरसियर बेकार बैठे हैं। इंजीनियरों की कोई कमी नहीं रही फिर भी देश का विकास नहीं होता । मेरे दोस्त मुझ माफ करें, सन् १९५९-६० में मैंने एक किताब लिखी थी । उसमें खास तौर से लिखा था कि इंजीनियर्स पर इतना जोर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि इतने इंजीनियरिंग कालेज खुलें । लेकिन केवल इंजीनियर बना लेने से विकास नहीं होगा । जब तक पहले खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक इकानामिक डेवलपमेंट नहीं होगा । जब तक हमारे गैरसरकारी लोग छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज में, और उद्योग धंधों में नहीं जायेंगे हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को रोजगार मिलने वाला नहीं है। आज ५१ हजार लोग, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास किये हुए, बैठे हुए हैं, जिनको मां बाप ने पेट पर पटटी बांध कर पढ़ाया है । हमें सोचना होगा कि कहां पर हमारी प्लानिंग में खराबी हो गयी है। मेरी प्ली है रिथिंकिंग के लिए। हो सकता है कि मेरी थिंकिंग में कोई गलती हो। हम उसी पुरानी लीक पर चलना चाहते हैं। कानून बना दिया जाय, टैक्स लगा दिया जाय, अरबों खरबों रुपये का कर्ज ले लिया जाय, इंजीनियर पैदा कर लें लेकिन असल चीज है ह्यूमन फैक्टर । उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हमारा आदमी पुरुषार्थी है या नहीं । वह कर्त्तव्य परायण है या नहीं । अगर कर्त्तव्यहीन हो गया है तो क्या कारण है? मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के अन्दर केवल पंजाब के रहने वाले, सिंध के रहने वाले लोगों की जो तादाद है प्राइवेट इकानामी में जितना उनका हाथ है, देश में जो आर्थिक विकास हुआ है उसमें आधा श्रेय केवल पंजाब के लोगों को हैं। हमारे सब लोग बैठे हुए हैं। हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं । इस विश्वास को लेकर बैठे हैं। इसमें बहुत से लोगों का विश्वास है कि यह जगत मिथ्या है, भाग्य के भरोसे बैठे रहो ।

कास्ट-सिस्टम ने हमारे समाज में हजारों बुराइयां पैदा की हैं। हमें सदियों तक दासता के बंधन में बांधे रखा है। इतना ही नहीं, देश के बंटवारे के लिए भी इस पर जिम्मेदारी है। देश में जितना पिछड़ापन है, जो नैतिक पतन है उसकी ५० प्रतिशत जिम्मेदारी जाति-पांति की बुराई पर है। सन् ४७ में इसकी जितनी बुराइयां थीं, उससे भी ज्यादा इस कास्ट-सिस्टम की बुराइयां अब बढ़ गयी हैं । क्या हमने अपनी इस कमजोरी को दूर करने का कोई उपाय किया है? इस बात का जिक्र इस अवसर पर मैं इसलिये कर रहा हूं कि हमारे समाज में जो एक मेहनत करने वाला वर्ग है, हाथ से श्रम करके पैदावार बढ़ाने वाला वर्ग है उसको समाज में छोटा समझा जाता है। देश में और समाज में उसको आदर का स्थान नहीं दिया जाता है, उसको तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। मेहनत करने वाले को छोटा माना जाता है, तो फिर कोई क्यों मेहनत करे। सब आदर की इच्छा रखते है और यदि कठोर मेहनत करने से अपना पसीना बहाने से आदर न मिले उल्टे असम्मान ही मिले तो मेहनत कोई क्यों करें। मैं महात्मा गांधी को मानने वाला हूं, उनके सिद्धान्तों पर सदा विश्वास रहा है। वह सदा कहा करते थे क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात, लेकिन उसके लिये क्या कदम उठाया गया? जिस देश में, इस तरह की बातें हों, कास्ट सिस्टम और फैट्लेस्टिक टेन्डेन्सी हो वह देश कैसे पुरुषार्थ करेगा, कैसे मेहनत करेगा। सिवा काम चोरी करने के वह क्या करेगा। आदमी को शरीर की जरूरत है आदमी बनने के लिये, लेकिन उससे भी ज्यादा जरुरी है उसका दिल और दिमाग। आज यह देश कितना गरीब है, उसमें एजूकेशनल टेक्सट-बुक्स की क्या हालत है, शिक्षा व्यवस्था की कितनी दुर्दशा है और मेहनत करने वालों का समाज में क्या स्थान है, यह सभी बातें देश के पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार है।

इस सम्बन्ध में मैं केवल एक देश जापान की एक मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं जापान में हमारे देश के मुकाबले में जमीन है एक बटा पांच हिस्सा, किन्तु हमारे देश से उस देश में सन् ५३ में इन्कम थी तीन गुना और सन् ६६ में आठ गुना इन्कम थी। जबकि वहां पर जमीन एक पांचवा हिस्सा ही थी जो कि आय का स्त्रोत है। जापान ने इतनी अधिक आर्थिक प्रगति इतने कम समय में की है कि उसकी प्रगति की गति से लोग चकाचौंध में पड़ गये और उस देश की आश्चर्यजनक प्रगति को देख कर एकोनामिस्ट ने लिखा है कि जापान ने अपने पुरुषार्थ

[श्री चरणसिंह]

से लाज के सिद्धान्त को और एकोनामिक्स के सिद्धान्त को झूठा सिद्ध कर दिया है। लेकिन हमारे इस देश की हालत अपनी अलग ही उल्टी हालत है। क्या इस देश में विद्यार्थी मेहनत करता है, लेबरर मेहनत करता है, राज्य कर्मचारी मेहनत करता है या हमारा किसान मेहनत करता है? कोई मेहनत नहीं करता है, सभी मेहनत से बचते हैं। यदि कोई मेहनत करता है तो उसको मेहनत करने से रोका जाता है। हम जनसेवक हैं, किन्तु कितनी मेहनत करते हैं, यदि उसको कहा जायगा तो बात पोलिटिकल हो जायगी, इसलिये मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं फिर दोहराता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जैसे हम थे उससे ज्यादा निकम्मे हम हो गये हैं और होते जा रहे हैं। जब तक खेती की फी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ेगी, और मेंटल टेन्डेन्सी में तब्दीली नहीं आयेगी तब तक कोई प्रगति होने वाली नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण में इन बातों की ओर कोई जिक्र नहीं है। मेरी तो प्रार्थना यह है कि आप ठंडे दिल से इस पर विचार करें कि कैसे यह प्रदेश ऊपर उठेगा और कैसे देश उठेगा।

अध्यक्ष महोदय, एजूकेशन की बात मैंने की थी। एजूकेशन में मैं एम्फेसिस देना चाहूंगा प्राइमरी एजूकेशन पर। जापान के आर्थिक विकास का आधार यही रहा है। उस देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में जब हमने जापान से आये प्रेस रिप्रिजेन्टेटिव से बात की तो हमें मालूम हुआ कि उस देश में प्राइमरी शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण मान कर उस पर अत्यधिक बल दिया जाता है। जापान में प्राइमरी एजूकेशन पर मिकालो का जो रिवोल्यूशन हुआ है, सन् १८७० में उसमें इस चीज पर बड़ा जोर दिया गया है। उसके बाद वहां पर काफी विकास हुआ है। प्राइमरी शिक्षा में भी हमारा सूबा सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आप यूनिवर्सिटीज कायम कीजिये, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल पोलिटिकल रीजन्स से उन्हें आप कायम न कीजिये। इस तरह की यूनिवर्सिटियों के कायम होने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है उससे कुछ लोगों की तनख्वाहें बढ़ जायं और रीजनल टेम्पर्स बढ़ जायं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। असल में इस में देश में सब तरह से एजूकेशन चौपट हो गया है, न कोई पढ़ना चाहता है और न कोई पढ़ना चाहता है। जैसा मुझे याद है माननीय त्रिपाठी जी ने शायद परसों या कुछ दिन पहले बनारस में कहा था कि हमें एजूकेशन में पूरा परिवर्तन लाना पड़ेगा। मैं इस बात में उनसे पूरी तौर पर सहमत हूं, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जब एजूकेशन में सुधार करने की बात आती है तो प्राइमरी एजूकेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये। उसके बिना कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। कोई भी मुल्क दुनियां में नहीं है जहां प्राइमरी एजूकेशन पर जोर दिया गया हो और वह गरीब हो और कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर आर्थिक विकास हो गया हो और जहां पर प्राइमरी एजूकेशन पर जोर न दिया गया हो। दूसरी और भी शर्तें आर्थिक विकास के लिये हो सकती हैं लेकिन उन सबसे ऊपर प्राइमरी एजूकेशन पर सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। जहां तक टेक्निकल एजूकेशन पर जोर देने की बात है वह जरूर दीजिये लेकिन देखना यह है कि टेकनोशियंस खाली फिर रहे हैं। जितने बच्चे आज आई० टी० आई० में पढ़ते हैं उनमें से कितने लड़के रोजगार पाते हैं, बिजीनेस करते हैं और अगर नहीं करते है तो क्यों नहीं करते। मेरा ख्याल है कि ७५ फीसदी नहीं करते हैं। इसके कारणों पर विचार करें।

इडस्ट्रियल इस्टेट्स कायम करने से हमने यह समझा कि १०, १२ मकान बना दिये जायं, उनको बिजली दे दी जायं, सड़कें बना दी जायं, बस हमने समझा लिया कि इतने कर देने से इंडस्ट्रियलइजेशन हो जायगा। नहीं हो सकता। इसके मूल कारण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इंडस्ट्रिल इस्टेट्स खाली पड़े हुये हैं और बरडेन हो गये हैं हमारी एकोनामी पर, इसके कारणों पर हमें गौर करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

जरा संक्षेप में चलें तो ठीक रहेगा।

श्री चरणसिंह—

देश में टेक्नीशियंस के खाली होने और इंडस्ट्रियल इस्टेट्स के बारे में कह रहा था कि टेक्निकल शिक्षा पर भी जोर होना चाहिये लेकिन सबसे ज्यादा जोर होना चाहिये प्राइमरी एजूकेशन पर और उसके बिना कोई भी तरक्की हो ही नहीं सकती ।

अध्यक्ष महोदय, डिस्पेरिटी इन इनकम्स की बात मैं कह चुका हूं । उसके बारे में न जाकर परमिट लाइसेंस और कोटा देने की जो पालिसी है और जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी है वह एक बड़ा कारण है इस डिस्पैरिटी के बढ़ जाने में । अभी पांच सात दिन हुए जब कि मुझे मालूम हुआ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक आर्डर हो गया है कि नहीं, जिसके पास पहले से दस या बीस परमिट्स ट्रांसपोर्ट के हों उसी को फिर से दिया जाय । क्योंकि उसे तजुर्बा है ट्रांसपोर्ट्स के चलाने का और ट्रकों के रखने का लिहाजा उसी को और दिया जाय । यह तो सारी की सारी गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी है उसी का नुक्स है । हैवी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया जाय, उससे डिस्पैरिटी बढ़ेगी लेकिन वह है । स्माल इंडस्ट्रीज के बढ़ने से डिस्पैरिटी कम होगी जैसा महात्मा जी ने कहा है, लेकिन डिस्पैरिटीज को बढ़ाया जायगा लाइसेंस और कोटा का यह सिस्टम चला करके कि बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े कमीशन एजेंट्स बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट्स, बड़े बड़े परमिट और कोटा होल्डर्स जो अब तक छापे हुये थे वे आगे बढ़ें, और इसी वजह से डिस्पैरिटीज बढ़ती जाती ह । अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे मित्र गुप्ता बुरा नहीं मानेंगे, मिस्अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि आखिर क्या कारण है और सोचने की बात है कि ११ तारीख को नतीजा आता है और यह पता लगता है कि १०६ कैंडीडेट्स कांग्रेस के चुन लिये गये तथा अन्य पार्टीज के कम आये तो कहते हैं कि गन्ने के दाम गिर गये और चीनी के दाम बढ़ गये और फूडग्रेंस के दाम जो पहले से उनके स्टाक में था और जो सस्ते दामों पर खरीदा हुआ था उसके दाम बढ़ गये । हो सकता है कि मेरी इत्तिला गलत हो, लेकिन मेरे चन्द दोस्तों ने मुझे बताया और अखबारों में जो निकला है उससे पता चलता है लेकिन अगर वह गलत है तो खुशी होगी लेकिन अगर गलत नहीं है तो क्या कारण है कि उनके आते ही एक दम बिजली की तरह से चीनी के दाम बढ़ गये और गन्ने के दाम घटे । गल्ले के दाम भी बढ़ गये । हो सकता है कि जिन लोगों ने बढ़ाये उन्होंने गलत समझा हो और उनकी जहनियत गलत हो लेकिन उन्होंने ऐसा किया । आशा थी कि जनता की सरकार आयेगी तो दाम कम होंगे, लेकिन वहां और बढ़ गये ।

करप्शन के मुताल्लिक मैं निवेदन कर चुका । करप्शन बढ़ता जाता है हर क्षेत्र में । हर क्षेत्र में जो यह करप्शन बढ़ता जाता है उसके लिये जिम्मेदार समाज के अग्रणी लोग हैं । त्रिपाठी जी मेरे सामने बैठे हुये हैं जो वह एक श्लोक कहा करते हैं कि "महाजनो येन गतः स पंथा" यानी जिस रास्ते पर बड़े आदमी जायेंगे छोटे आदमी भी उसी तरफ चलेंगे । महाजन आज कौन लोग हैं । इस देश के अन्दर यह यू० पी० के अन्दर महाजन वे लोग हैं जिनके हाथ में आज पोलिटिकल पावर है । आज बदकिस्मती यह है कि पहले जो समाज में सुधारक या शिक्षा के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले होते थे उनका आदर हुआ करता था लेकिन आज सारा आदर इकट्ठा हो गया है पोलिटिकल लाइफ में । जिनके हाथ में आज पोलिटिकल पावर है वह सब से ज्यादा आज आदर पाते हैं । किसी दूसरे क्षेत्र में वह आदर आज नहीं है । यही कारण है कि आज हमारे सारे नौजवान इस पोलिटिकल लाइफ की तरफ आ रहे ह । जब वह समझते हैं कि इसमें सब से ज्यादा फायदा है । तो वह सब पोलिटिकल लाइफ की तरफ आना चाहते हैं । इस वजह से जो वह महाजन लोग हैं उनके कदमों पर सभी चलना चाहते हैं । अगर देश में भ्रष्टाचार बढ़ा, अगर झूठ बढ़ा तो उसके लिये ज्यादातर जिम्मेदारी उन पोलिटिकल वर्कर्स की है । दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं लेकिन सब से बड़ी जिम्मेदारी हम सब पोलिटिकल वर्कर्स की है । हमारे माननीय मित्रों को इसके लिये सोचना है । अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था उसमें लिखा है कि त्याग और बलिदान की तरह से भ्रष्टाचार ऊपर से ही शुरू होता है और नीची तह में सारे समाज को ऊपर से प्रभावी कर देता है । गुड एम के लिये भी यही बात है । तो हम सब जिम्मेदार

[श्री चरण सिंह]

हैं। राजनैतिक लोग जिम्मेदार हैं। प्रशासन बाद में करप्ट हुआ है जब कि हम पहले करप्ट हो गये हैं।

संविद सरकार ने एक आर्डिनेंस निकाला था जिसका नाम "पब्लिक मैन इंक्वायरी आर्डिनेंस" सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच करने का अध्यादेश। उसके लिये हमारे एडवोकेट जनरल ने यह बतलाया कि दुनिया में यह पहली मिसाल होगी उनकी गवर्नमेंट के बारे में कि जिसने गवर्नमेंट लेबिल पर अपने हाथ में कोई पावर नहीं रखी बल्कि पब्लिक की तरफ से ही सारा प्रेशर होगा। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा, उसके लिये पब्लिक का ही प्रेशर होगा और उसकी ही अधिक आवाज होगी। किसी फर्म में जाकर देखें, मैनेजिंग डाइरेक्टर होते हैं, करप्शन बढ़ता जाता है लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। वह अपने लिये कोई भी बन्दिश नहीं रखते हैं। जिला बोर्ड के अध्यक्ष एक तरह से बिरला ही आप ऐसा पायेंगे, जिस पर कोई अंगुली न उठा सके। उन जिला बोर्ड के अध्यक्षों की वजह से ही ये जिला बोर्ड बर्बाद हो गये हैं। उन सब को रखा गया। अगर उनमें कोई नुक्स था तो उसको दुरुस्त करना था। पहले कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया था। प्रेसीडेंट के शासन-काल में उस अध्यादेश को रिप्लेस करते मगर निरस्त कर दिया। मियाद बढ़ा देते मगर यह नहीं किया। अगर गुस्सा है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं कदम उठाया? क्यों नहीं उनको हटाया गया?

प्रशासन की इन-एफिशयेंसी की बात है। इसका एक ही कारण है कि अफसरान को जो अधिकार दिये गये हैं उनमें बाहर से हमारा हस्तक्षेप है। डायरेक्टर, डिप्टी-डायरेक्टर को कोई अख्तियार नहीं है। हम कहते हैं कि फलां का हो तो क्यों? आपके सामने सारे फैक्ट्स नहीं हैं। हमारे और आपके सामने दोस्त आते हैं जो एक आदमी में इंटरेस्टेड हैं दूसरे के खिलाफ और हम बजाय हैड आफ दि डिपार्टमेंट के पास भेजने के अपनी तरफ से फारवर्ड कर देते हैं, आर्डर जारी हो जाता है। मुझे यह केस मालूम है जिसमें एक आदमी के सम्बन्ध में ४ बार आर्डर जारी हुआ और फिर कैंसिल हुआ। एक ने जारी कराया, दूसरे को मालूम हो गया। उसने कैंसिल कराया। फिर पहले को मालूम हो गया और वह जारी हो गया और फिर उसको पता पड़ गया तो कैंसिल हो गया। इस तरह से अक्सर आर्डर जारी होते रहते हैं और कैंसिल होते रहते हैं और अफसरों का डिस्क्रीशन खत्म हो जाता है। अफसरों को अगर यह न मालूम हो कि अगर मैं सही कदम उठाता हूं तो मेरा समर्थन होगा या नहीं होगा तो उसका इनिशिएटिव खत्म और फिर वह कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता कि वह अपनी अक्ल और जमीर के मुताबिक अच्छे से अच्छा काम करे। अगर विरोधी दल के नेता का कोई रिश्तेदार कोई कर्मचारी हो जिसके खिलाफ अफसर ने ऐक्शन लिया है तो फौरन लखनऊ से फोन हो जायगा कि कैसे ऐक्शन लिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी नीति होनी चाहिए कोई भी हो, और फिर अफसरों को पूरा अख्तियार होना चाहिए कि अपनी बुद्धि से काम करें। हां, अगर कोई गलती हो जाय तो उसके खिलाफ कार्यवाही करो, लेकिन डिस्क्रेशन होना चाहिए। इसी तरह से डिपार्टमेंट्स की बात है कि अगर कहीं उनको कुछ आदमी लेने हैं तो मिनिस्टरों के फोन जाते हैं कि फलां को ले लो, उसको ले लो। मुझे मालूम है कि १४ आदमी लेने थे और १४ जगहों के लिये सभी के लिए मिनिस्टरों की सिफारिशें पहुंच गयीं। तो अगर अफसरान के ऊपर विश्वास नहीं है तो सब अप्वाइंटमेंट की पावर अपने साथ में ले लो। अगर सारी मोनोपोली लेना चाहते हो, तो जो भी अप्वायंटमेंट हो वह मिनिस्टर करे तो फिर कौन अफसर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा। यह केवल पोलिटिकली और जनहित की दृष्टि से ही नहीं हर दृष्टि से घातक है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आज इंडिस्प्लिन बढ़ता जा रहा है और कोई आदमी अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देना चाहता। उसका एक कारण है। अव्वल तो जो मुनासिब बात हो उसको पहले ही मान लिया जाय। हमारे अन्दर बुद्धि और सूझ-बूझ होनी चाहिए कि फलां को यह तकलीफ है तो उसको दूर किया जाय। उसके बाद अगर वह नोटिस में आ

जाय तो उसको दूर कर दो। लेकिन अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह बात मुनासिब नहीं है, वह डिमांड गलत है और अगर मुनासिब भी है तो भी पूरी नहीं कर सकते तो अपने फूट को स्ट्रेंथ के साथ रखिये। लेकिन जब स्ट्राइक होता है तो ईल्ड करते हैं। आज स्ट्राइक केवल इसीलिए हो रहे हैं। क्योंकि हर एक आदमी को खयाल हो गया है कि अगर स्ट्राइक करेंगे तो गवर्नमेंट ईल्ड करती है। जिस दिन यह मालूम हो जायगा कि स्ट्राइकों का कोई फल निकलने वाला नहीं है तो वह बन्द हो जायेंगे। स्ट्राइक दुनिया भर में जायज है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के स्ट्राइक के बारे में मैं यू० एस० ए० के बारे में कह सकता हूं कि वहां वह स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उससे इन्डिसिप्लिन होगा। लेकिन हम हर-दिल-अजीज बनने के लिए ईल्ड कर जाते हैं। जैसा कि सेंटर में गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने किया। स्ट्राइक भी हुई, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जेल गये, मुकदमे चले, और २० करोड़ का व्यय भी हुआ।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गुप्ता जी अगर मेरी कोई गलत बात होगी तो उसे सही कर देंगे। लेकिन २६ तारीख को जिस दिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद की सौगन्ध खायी, उसी रोज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, मुजफ्फरनगर, व डी० आई० जी० मेरठ का ट्रांस्फर करना, डिमोरेलाइज करना है सारे आफिसरों को। आखिर इसका क्या माने हुए कि एक दम से पहला काम उस रोज यही हुआ? मुझे मालूम है कि बाद में आर्डर्स पहुंचे लेकिन २७ तारीख को वह अखबारों में भी आ गया। इससे क्या जाहिर होता है? खैर, मेरिट में न जाकर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन आफिसरों का कोई दोष नहीं है। कुछ ऐसे आफिसर्स हैं जिन पर यह सूबा गर्व कर सकता है। उनको एक दम से पहले ही ट्रांस्फर करने का क्या मतलब है? यह जाहिर करता है कि आप ने एक दम से गुस्से में यह आर्डर कर दिया जब कि आप का यह गुस्सा जाहिर नहीं होना चाहिये था।

आप समझते हैं कि जो आप ने कह दिया वही इन्साफ है, यह नहीं सोचा कि जो इन्साफ है वह कानून के मुताबिक होना चाहिये। आज जिस तरह से झूठी रिपोर्टों के आधार पर लोगों के चालान हो रहे हैं, कि फलां ने कांग्रेस का झंडा जला दिया, या किसी के खेत से किसी ने जो जड़ें काट लीं या उस ने खुद ही काट कर रिपोर्ट कर दी कि फलां ने मेरा खेत काट लिया, तो बिना किसी लिहाज के ये कागनिजेबिल आफेंस हैं या नान कागनिजेबिल आफेंस हैं, पुलिस उनका चालान कर देती है और जब कि उनकी जमानत पुलिस के यहां ही हो जानी चाहिये उन को जलील किया जाता है और कहा जाता है कि पहले जेल जाओ और फिर दो तीन रोज बाद उनकी जमानत होती है। इस तरह से पचीसों रेस्पेक्टेबिल व्यक्तियों का चालान किया गया है और उन को परेशान किया गया है। इससे जनता में यह इम्प्रेशन है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को राय नहीं दी उनको परेशान किया जा रहा है। खासतौर से बी० के० डी० और जनसंघ वालों के लिए यह कहा जाता है कि मानो उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई क्राइम किया है।

मिर्जापुर के राजा आनन्द ब्रह्मशाह ने बतलाया कि अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी जब मिर्जापुर तशरीफ ले गये थे तो वहां जिस क्षेत्र से कांग्रेस का आदमी जीता था वहां टेस्ट वर्क चल रहा था, उसी के बगल वाले क्षेत्र में टेस्ट वर्क खोलने के लिए जब उन से कहा गया तो मेरे दोस्त माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि बी० के० डी० और जन संघ वालों के पास इस के लिए जाओ। यह बात मैं सुनी हुई कह रहा हूं। यह सबजेक्ट टु करेक्शन है, अगर मेरे दोस्त कह देंगे कि कांग्रेस वालों को, और जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया, सब को एक ही दृष्टि से देखते हैं तो मैं माफी मांग लूंगा और अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन यह कहना कि टेस्ट वर्क के लिए उन बी० के० डी० व जन संघ के पास जाओ जिनको वोट दिया, कहां तक इन्साफ की बात है। (शेम, शेम)।

एक बात मैं कह कर समाप्त कर दूंगा। श्री सलेकचन्द सिंघल के सम्बन्ध में सी० आई० डी० की इन्क्वायरी चल रही है और अखबारों में भी यह निकला है कि अभी इन्वेस्टीगेशन

[श्री चरणसिंह]

इन्कम्प्लीट है। तो जब तक सी० आई० डी० की इन्क्वायरी कम्पलीट न हो जाय और अदालत में भी यह मामला जायेगा ही और साथ ही एडीशनल आई० जी० का बयान भी निकला है और वह सही मालूम होता है कि जब तक इनक्वायरी पूरी कम्पलीट न हो जाय, तब तक...

श्री अध्यक्ष—

जब कि अदालत में केस चल रहा है उसके बारे में डिटेल में जाना अच्छा नहीं है।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, कल का अखबार पढ़ लें, उस में लिखा हुआ है कि अमुक पार्टी के कैन्डीडेट थे। खैर, अभी मैं इस चीज को छोड़ देता हूं लेकिन आशा करता हूं कि जब कभी मौका आये तो आप इस पर बोलने की इजाजत देंगे। मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि जिन संशोधनों को मैंने दिया है, उनको स्वीकार कर लिया जाय।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने अभी नेता विरोधी दल, माननीय चौधरी साहब के बड़े लम्बे चौड़े भाषण को सुना। जब माननीय नेता विरोधी दल अपने विचार रख रहे थे तो सदन ने उन्हें बड़ी शान्ति-पूर्वक सुना। मैं समझता हूं कि अगर चौधरी साहब सदन के बाहर भी इसी तरह का क्लास हम लोगों का लेना शुरू कर दें और शिक्षा देते रहें, तो शायद उन की बात हम लोग समझ सकें। आप ने अपने भाषण में पिछले बीस वर्ष के दौरान बड़ी गरीबी, बेकारी और भ्रष्टाचार आदि का जिक्र किया।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सदन से जाना चाहता हूं, इसको मेरे साथी कोई अपमान न समझें, अगर गुप्ता जी या त्रिपाठी जी जैसे अगर खड़े हो जाते तो ऐसी हालत में बैठा भी रहता, लेकिन एक नौजवान खड़े हुये हैं, उनकी बातों का उत्तर मेरी तरफ से दूसरे नौजवान देंगे।

श्री धर्मवीर—

यह मेरा दुर्भाग्य है कि वे अस्वस्थ हैं, वैसे जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, वे अस्वस्थ हो जाते हैं, खैर सदन बैठा है, वही फैसला करेगा।

श्रीमन्, माननीय चौधरी साहब ने, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश की प्रगति में जो बाधायें हैं, तथा देश की जो समस्यायें हैं, उनकी ओर जो हमारा ध्यान आकर्षित किया है, वे हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। उन्होंने उनका विवरण दिया। मगर कैसे उन समस्याओं का हल किया जा सकता है, कैसे उनका समाधान होगा, इसके बारे में चौधरी साहब ने एक शब्द भी नहीं कहा।

[इस समय १ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष उठ कर चले गये और अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह (पिथौरागढ़) पीठासीन हुये।]

माननीय चौधरी साहब जैसे अनुभवी व्यक्ति से, जिनको शासन में रह कर काफी अनुभव प्राप्त हुआ है, विरोध पक्ष में भी रहने का अनुभव है, साथ ही साथ जो प्रदेश के मुख्य मन्त्री रह चुके हैं, उन से हम यह सुनना चाहते थे कि इन सारी समस्याओं को हल करने का तथा जो प्रदेश की प्रगति में बाधायें हैं, उनको दूर करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, इस के लिए वे कौन कौन से सुझाव देना चाहते हैं, किन्तु ऐसी कोई बात हमें सुनने को नहीं मिली। जिस प्रकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का सार्वजनिक सभाओं में, चुनाव प्रचार में, उनका भाषण होता है, वैसा ही ज्यों का त्यों भाषण उन्होंने यहां दे दिया। ऐसा लगता है कि उनकी कोई तैयार की हुई आख्या है, जिसको वे हर जगह पढ़ देते हैं।

कैसे भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है, कैसे देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है, कैसे प्रशासन में सुधार लाया जा सकता है, इस के लिए कोई सुझाव उन्होंने नहीं दिया।

चौधरी साहब ने कहा कि जो शहर और गांव की आसदनी है उसका अन्तर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण उन्होंने बताया कि कृषि की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, हम इन्डस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। माननीय चौधरी साहब आज यह भूल जाते हैं कि आज देश और समाज का दृष्टिकोण ही बदला हुआ है। भ्रष्टाचार इतना फैला है शुरू से लेकर आखिर तक, उन्होंने यह कहना भुला दिया कि उसमें वे खुद भी शामिल हैं। जब वे खुद कहते हैं कि गांव के अन्दर कृषि करने के लिए लोग रुचि नहीं लेते, शहर की तरफ जा रहे हैं, शहर की आमदनी बढ़ी है और देहात की आमदनी घटी है। परन्तु हम यह मानते हैं कि देहातों में बहुत अमीर भी हैं और शहरों में भी गरीब हैं। हम यह डिस्पैरिटी मानते हैं। लेकिन जब सुझाव देना चाहें वे, तो चौधरी साहब जैसे आदर्शवान व्यक्ति से हम आशा करते हैं जिन किन्हीं आदर्शों की वे शिक्षा देते हैं उन आदर्शों को वे अपने जीवन में भी उतारने की चेष्टा करें। भाषण तो खुद यह दें कि आप में यह कमी है, आप में यह कमी है और उन्हीं कमियों की तरफ हम खुद ध्यान न दें। हम दूसरों से तो कहें कि अपने घर का काम करो और अपने घर में काम करने के लिए अपने व्यक्तियों को और अपने बच्चों को विदेशों में भेजें और दूसरों को शिक्षा दें कि तुम घरों में काम करो। इस प्रकार कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। जो चौधरी साहब भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि का नारा बुलन्द करते हैं और संयुक्त विधायक दल की सरकार में जिन्होंने नेतृत्व किया था, उनसे इस प्रदेश की जनता को इतना बड़ा अनुभव हुआ कि इस प्रदेश की जनता ने दुबारा यह उचित नहीं समझा कि संयुक्त विधायक दल की सरकार को शासन की जिम्मेदारी दी जाय। वे समस्यायें जो उन्होंने सदन के सामने रक्खीं उनका समाधान यह है कि जब तक हमारे विचार स्थायी नहीं होंगे, हमारा प्रशासन स्थायी नहीं होगा, हमारे प्रशासन करने का ढंग स्थायी नहीं होगा तब तक हम प्रशासन पर जनता का विश्वास नहीं पा सकेंगे। जब तक जनता का प्रशासन पर विश्वास नहीं होगा तब तक ये समस्यायें उभरती ही जायेंगी और उसका समाधान असम्भव है।

माननीय चौधरी साहब ने इस देश से गरीबी को दूर न करने के लिए ऊंचे से ऊंचे नेता को दोषी ठहराया और नीचे तक भी यही कहा कि किसी ने भी इस पर गौर से काम नहीं किया। यह भी उन्होंने कहा कि किसी ने इस देश की गरीबी को दूर करने के लिए, समाजवाद के अनुसार इस देश में विश्वास को स्थापित करने के लिए ध्यान ही नहीं दिया। कहते हैं कि इस बीस वर्ष के शासन में क्या हुआ, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बीस वर्ष में हमारा देश कहां पहुंचा है इस बात को वे भूल जाते हैं। हम मानते हैं कि जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी है, लेकिन यह दोष देना कि एक दम से प्रगति नहीं हुई यह प्रगति की तस्वीर जो हमारे सामने है, इससे अपनी आंख बन्द कर लेना है। चौधरी साहब का कहना है कि कांग्रेस सरकार की वजह से ही कोई स्थायी व्यवस्था देश के सामने नहीं आयी, और इसके साथ ही साथ वे यह भी दोष देते हैं कि यहां पर देश की भुखमरी मिटाने के लिए यहां पर करोड़ों और अरबों रुपया, उन्होंने जिक्र किया कि ४२ अरब रुपया का विदेशों से गल्ला मंगाकर इस देश में लगाया। अगर यह गल्ला और यह रुपया विदेशों को न गया होता और यह रुपया इस देश की कृषि व्यवस्था और इस देश की कृषि के उत्पादन में खर्च किया गया होता तो हमारी स्थिति यही न होती। मैं चौधरी साहब की बात को मानता हूं लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिन हालातों में जिन परिस्थितियों में हम देश के शासन सत्ताधारियों को या केन्द्रीय सरकार को मजबूर किया कि वे बाहर से, विदेशों से गल्ला मंगायें वे परिस्थितियां चौधरी साहब भूल

[श्री धर्मवीर]

जाते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि इस देश का दुर्भाग्य रहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह देश बाढ़ का, सूखे का, विदेशी आक्रमण का शिकार रहा तथा इस प्रकार की ऐसी चीजें जहां एक-एक दो-दो साल, चार-चार छः-छः साल तक लगातार देखनी पड़ीं और हमारे प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सूखे के प्रभाव से प्रभावित रहा। बाढ़ के चपेटे में भी इस प्रदेश का अधिकांश इलाका रहा है। जहां एक तरफ से जन संख्या बढ़ती जा रही है उन के लिए भर-पेट भोजन के लिए कि उन को भोजन मिले, यही चीज मस्तिष्क में थी कि कोई भूखा मरने न पाये, इस के सिवाय कोई रास्ता नहीं था केन्द्रीय सरकार के सामने कि वह विदेशों से गल्ला मंगा कर इस देश के जनजीवन को सुरक्षित कर सके।

आलोचना करना बड़ा आसान है, जैसा कि वे पहले जब इधर बैठते थे, कहा करते थे, मैं भी आज चौधरी साहब से उसी की अपेक्षा रखता था। किसी के कामों मे कमी निकालना बहुत आसान है। लेकिन उन त्रुटियों को निकालने के साथ ही साथ कुछ ठोस सुझाव भी दिये जाने चाहिये। आज जनता हम सब प्रतिनिधियों की ओर आशा भरी नजर से देख रही है कि हमारे प्रतिनिधि हमारे बारे में यहां बैठ कर क्या करते हैं। अतः हमारा कर्त्तव्य है कि हम जनता का पिछड़ापन स्थायी रूप से दूर करने का प्रयत्न करें और हम इस कार्य को पूरा करने में आप हमारी मदद करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। यहां बैठकर, कमेटियों में बैठकर हम उन समस्याओं पर विचार करेंगे और सोचेंगे कि किस प्रकार से सचमुच इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। जब एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो तो हम चौधरी साहब और विरोधी दल के लोगों से अपेक्षा करेंगे कि वे अपने ठोस सुझाव उस बारे में हम लोगों को दें। वह सुझाव इस दृष्टिकोण से दिये जाने चाहिये कि वे कारगर भी हों। अगर ऐसे सुझाव होंगे तो हम उनको अवश्य ही मानेंगे, लेकिन और वे केवल इसलिए दिये गये कि शासन का काम ही ठप्प हो जाय, ईर्ष्या से दिये गये या इस लिए दिये गये कि दूसरा मिडटर्म पोल हो जाय, तो उस से कोई लाभ नहीं होगा। इस में तो और भी प्रदेश के धन का दुरुपयोग होगा और उसकी प्रगति रुक जायगी।

लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश को आगे ले चलने की सारी योजनाओं की ओर संकेत किया गया है। इस छोटे से अभिभाषण में और क्या हो सकता था। प्रदेश के विकास के लिए हर क्षेत्र को विकसित करने के लिए, दृष्टिकोण अपनाया गया है। चौधरी साहब न जाने क्यों रोष में आ गये और उन्होंने एक बात कही कि चुनाव के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्यों कोई ऐक्शन लिया गया है। मैं उन को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उनके दल की ओर से यह मांग की जाती कि चुनाव में अनियमितता के लिए एक जांच आयोग की स्थापना कर दी जाय। पश्चिमी जिलों में चुनाव के समय जो कुछ हुआ, उसकी जांच खुले तौर पर की जाय, तो बहुत उचित होता। चुनाव के समय कुछ लोगों की ओर से जो जन जीवन को अरक्षित रखा गया, वह जनतन्त्र के बुनियादी सिद्धान्तों के विपरीत है। हम को तो इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये था कि ज्यादती चाहे जिस वजह से हुई हो, उसको प्रकाश में आना ही चाहिये। चौधरी साहब ने कहा कि जात पात बहुत फैली हुई है, उस को दूर नहीं किया जा रहा है उसके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनसे कि भारतीय क्रान्ति दल क्या है? मैं यह मानता हूं कि उनके सिद्धान्तों और कांग्रेस के सिद्धान्तों में कोई भेद नहीं है। दोनों अपने को गांधीवादी कहते हैं और भारतीय क्रान्ति दल नाम भी बहुत अच्छा है लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे जिले में भारतीय क्रान्ति दल ने किस आधार पर वोटों को मांगा है। यह मैं मानता हूं कि देश और प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग है उनको उठाना चाहिये और हम सब लोग उन को ऊपर उठाने के लिए कृतसंकल्प हैं। लेकिन भारतीय क्रान्ति दल ने जो बुनियाद इस के लिए रखी है वह जनतन्त्र की बुनियादों को खोखला करने वाली है। भारतीय क्रान्ति दल की ओर से जो विष वमन किया गया है वह अत्यन्त दूषित है। वर्गवाद को उन्होंने बुरा बताया। यह ठीक है कि जनतंत्र को सम्प्रदायवाद में कोई स्थान नहीं है, लेकिन भारतीय क्रान्ति दल ने चुनावों के समय जो काम किये हैं

उनसे न तो इस प्रदेश का भविष्य और न उस पार्टी का भविष्य ही अच्छा होने वाला है। आज कल गांधी शताब्दि चल रही है गांधी शताब्दि का समय है और आप गांधियन फिलासफी को मानने वाले हैं, चौधरी साहब गांधी जी के अनुयायी हैं। लेकिन उन के सामने ही प्रदेश में आज जिस तरह का व्यवहार हरिजनों के साथ होता है उस के प्रति आज भी चौधरी साहब खामोश हैं और उन्होंने कोई भी योजना उन के उद्धार के लिए अपने शासन काल में या अपने जीवन में नहीं बनायी जिसकी तरफ हम आकर्षित होते और कहते कि हरिजनों और दूसरी बिरादरियों को मिल जाना चाहिये। आज भी ब्राह्मण और ठाकुर साहब गांवों में जो कहे जाते हैं उनकी तरह हरिजनों को आदर और बराबरी का दर्जा नहीं मिलता और उन के साथ भेद भाव का बरताव किया जाता है और यहां तक कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों में भी वही भावना घर किये हुये हैं। वह हरिजनों के हितैषी अपने को कहते जरूर हैं लेकिन उनके घरों में और परिवारों में वही वातावरण है और उसमें कोई कमी नहीं है, आज भी हरिजनों को नीचे दर्जे पर समझा जाता है।

मैं कहता हूं कि चौधरी साहब का अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा यदि वह अब एक सामाजिक क्रान्ति के लिए बीड़ा उठायें। वह अब प्रशासन में आने की उम्मीद न रखें, लेकिन अगर वह सामाजिक स्तर पर अब जनता की सेवा में लगें तो वह जीवन के अन्तिम दिनों में प्रदेश की जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। वह गांधी जी के नाम पर सदा बहुत बल देते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह बी० क० डी० को छोड़ कर और सामाजिक क्रान्ति लाने में लग जायं और जिस तरफ वह रहते हैं वहां अगर वह कार्य करेंगे तो हरिजनों और दूसरे पिछड़े लोगों में जो आज अन्तर है वह न रहेगा। इस के लिए ही अब वह प्रयत्नशील हो जायं, वह अब जनता के बीच में जाकर यह कार्य करें तो प्रदेश के हरिजन उन को अपना नेता मानेंगे। लेकिन प्रशासन के द्वारा अगर वह यह कार्य करना चाहते हैं तो शायद वह अवसर उन को अब न मिल सके, और यह असम्भव है। मैं उन की भावनाओं का आदर करता हूं और जिन समस्थीओं की ओर उन्होंने संकेत किया वे सचमुच हमारे प्रदेश के सामने खड़ी हैं और उन का समाधान कैसे हो उस के बारे में वह कोई पूरा नोट या पुस्तक लिखें और हम सबको बुलाकर अपने भाषण हमारे सामने रखें और सब चीजें प्रदेश की जनता के सामने रखें क्योंकि समस्या केवल कहने से ही हल नहीं होती और न उसका कोई समाधान निकलता है। हम भी चाहते हैं कि खराबी दूर हों और एक स्थायी सरकार उन को दूर करने के लिए चले और हम आप एक स्थान पर बैठ कर यहां या किसी अन्य स्थान पर प्रदेश के पिछड़ेपन पर गौर करें और विचारों का आदान प्रदान करें। यह कार्य मन्त्री बन कर ही किया जा सकता है ऐसी बात नहीं है। हम इस कार्य को करने के लिये चौधरी साहब और विरोधी पक्ष के लोगों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं और यदि वह सद्भावना से प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वह आज इस गांधी शताब्दी के अवसर पर प्रतीज्ञा करें कि जीवन के अंतिम समय को आगे वह देश, प्रदेश और हरिजनों की सेवा में लगायेंगे और तमाम कुरीतियों को दूर करेंगे। वह हरिजनों की सेवा के लिये जुट जायं हम उनके साथ पूरे सहयोग के लिये तैयार हैं और कन्धे से कन्धा मिलाकर हम चलने के लिए तैयार हैं। हरिजनों के साथ आज जो व्यवहार होता है हमें शर्म के साथ कहना पड़ता है कि वह एक ऐसी स्थिति है कि जो दुनिया में कहीं नहीं है। इस देश में आज भी ४२–४२ आदमियों को जिन्दा जला दिया जाता है, हम आप दक्षिण भारत की अभी हाल की घटी उस कहानी को नहीं भूले हैं, वहां पर जिन्दा हरिजन बालक बालिकाओं तक को जलाया गया.....।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

किस पार्टी की हुकूमत है वहां ?

श्री धर्मवीर—

यह जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं है, हुकूमत किसी की भी हो लेकिन हजिनों की जो हिमायत करने वाले हैं मैं उन चौधरी साहब से कहना चाहता हूं। सरकार की बात आप न

[श्री धर्मवीर]

करें जरा धैर्य से सुनें। मैं स्पष्ट कहता हूं और मैं आप पर कोई दोष नहीं दे रहा हूं। मैं गांधियन फिलासफी के अनन्य भक्त की बात कह रहा हूं कि उनकी जबान से हरिजनों के हृदय में स्थान प्राप्त करने के लिये सरकार के विरोध में एक शब्द भी नहीं निकल सका। मैं मानने को तैयार हूं कि सरकार ने जो किया वह अपनी नीति के आधार पर किया है। लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपको क्या यही हक है कि आप हरिजनों से वोट मांगें और उनके बीच में जाकर कहें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम करने को तैयार हैं। क्या उनकी मानवता की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आप उसका बीड़ा उठा लें।

मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस प्रदेश की समस्याओं को हल करने के लिये यहां चुन कर आये हैं और हमको एक दूसरे के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना है, आपस में विचारों का आदान-प्रदान करना है। यह ख्याल में नहीं रखना है कि हम इधर बैठें हैं तो गलती कर रहे हैं और उधर बैठें ह तो अच्छाई कर रहे हैं। हम दोनों को ही मिल कर इस प्रदेश की समस्याओं का समाधान करना है।

इन शब्दों के साथ मुझे अन्त में यही कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण में संक्षेप में इसी बात का संकेत मिलता है कि इस प्रदेश की प्रगति के लिये हर क्षेत्र में विकास करना है। आपके सामने जब वार्षिक बजट आयगा उस समय आप अपने विचार रख सकते हैं और उस समय हम आपके विचारों को उसमें समावेश करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसमें आप कोई संशोधन पेश न करें, उसे यथावत स्वीकार कर लें।

*श्री रामगोपाल सड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं इस बात के लिये भी बड़ा आभारी हूं कि माननीय नेता विरोधी दल, उस पक्ष से बहन राजेन्द्र कुमारी तथा भाई धर्मवीर ने कुछ ठोस सुझाव दिये। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी तथा श्री धर्मवीर उसी नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से पिछले २० वर्षों से हमारे तीन तीन प्रधान मंत्री हुए हैं लेकिन जहां की औसत आमदनी कम हुई है और प्रदेश पिछड़ा है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, शिक्षक परेशान हैं। प्रदेश में नगर महापालिका तथा पंचायत राज में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। जिनको सीमित आय वाला कहा जाता है, उनको न मकान मिले, न उनको कोई चिकित्सा की सुविधा ही मिली। कहा गया था कि जब चन्द्रभानु गुप्त सरकार संभालेंगे तो कर्मचारियों के साथ न्याय किया जायगा। कुछ निलम्बित कर्मचारी हैं जिनकी संख्या ११५ है जिनमें पशुपति नाथ शुक्ल भी हैं और जिन पर मुकदमे भी चलाये जा रहे हैं उन पर से मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे और उनको पदों पर पुनः आसीन कर दिया जायगा। जब इस प्रदेश का वातावरण स्वच्छ बनाया जायगा तभी हमारे कर्मचारी हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहयोग देंगे। मुझे दुख है कि राज्यपाल महोदय ने निलम्बित कर्मचारियों के बारे में भाषण के अन्दर कोई संकेत नहीं किया। अखाड़ी वाले लूले लंगड़े समाज वाद की बात कही जाती है कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जायगा लेकिन आज तक प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई नहीं दी गयी जिसके कारण प्रदेश के सर्विस क्लास के इंटलक्चुअल्स में विषमता उत्पन्न हो गयी है।

कहा गया था कि शिक्षा में प्रगति होगी और देश की बेकारी दूर होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज अमरीका के अन्दर शत् प्रति शत् शिक्षा है। आज रूस के अन्दर कोई भी बालक बिना पढ़ा लिखा नहीं है। जापान की दुहाई दी गयी। वहां सभी पढ़े लिखे हैं। मगर वहां योजनायें ऐसी बनायी गयीं कि हर हाथ को काम दिया गया, हर व्यक्ति को उद्योग-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धन्धे में लगाया गया। हमारे यहां मेकाले की सड़ी गली शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिये देश के अन्दर अनेक आयोग बिठाये गये। कोठारी आयोग भी बिठाया गया। उसकी सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया जाता। बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर जो इन्कमटैक्स का रुपया बाकी है वह हमने वसूल नहीं किया। कानपुर के पूंजीपतियों के ऊपर सेल्स टैक्स और इन्कम-टैक्स का बहुत सा रुपया बाकी है। क्या कारण है कि हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, उस बकाया रकम को वसूल नहीं करती ? हमारे प्रदेश में केवल १४ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता है जबकि अन्य प्रगतिशील देशों में ३५, ३६ और ३७ फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाता है। वहां लड़के को उत्पादन का एक तत्व माना जाता है कि वह मशीन पर काम करेगा जिससे चीजें बनेंगी। हमारे यहां शिक्षा को नया मोड़ नहीं दिया गया। यही नहीं, केंद्र के अन्दर एक अच्छे शिक्षा मंत्री आये थे। उन्हें हटाया गया और उनके स्थान पर दूसरे मंत्री आये जिसके कारण आज शिक्षा की नीति उलझी हुई है।

कहा जाता है कि संविद ने क्या किया। संविद तो ९–१० महीने ही रही, लेकिन २०–२१ साल तक इस प्रदेश में किसने शासन किया है। सन् ४९ में जो रुपया की कीमत थी आ : उसकी कीमत घट कर केवल १६ नये पैसे के बराबर रह गयी है। तब अगर एक कर्मचारी ५० रुपये पाता था तो आज उसे रुपये की कीमत के अनुसार ३५० रुपये मिलने चाहिये। लेकिन जब हम आन्दोलन करते हैं, चाहे वह डिग्री कालेज के अध्यापक के रूप में हो, चाहे राज्य कर्मचारी के रूप में हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारी के रूप में हो तो हमें सलाह दी जाती है कि हम आन्दोलन न करें। लेकिन हमारी सरकार ताकत की भाषा ही समझती है। आखिर १९ सितम्बर की देशव्यापी हड़ताल क्यों हुई ? हमारी बंगाल की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने, केरल की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे वापस ले लिये। मैं स्वयं मुख्य मंत्री जी से मिला। उन्होंने गृह सचिव को बुलाया और विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि जब राज्यपाल की घोषणा होगी तो प्रदेश के कर्मचारियों के ऊपर से मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे। हम एक ऐसे नगर से आते हैं जहां ५० हजार केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं। मेरा मतलब इलाहाबाद नगर से है। आज वहां कर्मचारी खाली बैठे हुए हैं मगर हम बंगाल से, केरल से, पंजाब से पिछड़ गये। जब केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा कर दी कि कर्मचारियों के साथ ठीक व्यवहार किया जायगा तो फिर यहां क्यों नहीं किया गया ?

बड़े-बड़े अस्पतालों की बात कही जाती है। मैं ऐसे नगर से आता हूं जहां एक मेडिकल कालेज है, मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय है, डफरिन चिकित्सालय है, स्वरूप रानी के नाम पर चिकित्सालय है। मगर आज वहां डाक्टर नहीं है और मरीज बढ़ गये हैं। इसका कारण यह है कि आप स्वास्थ्य के मद में रुपया कम रखते हैं। आप नर्सें कम रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रोगियों को ठीक दवायें नहीं मिलती हैं मगर बड़े लोगों को दवायें मिल जाती हैं। कल मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिला था। गांवों में कौन डाक्टर जाये ? वहां आप लोगों को सुविधायें नहीं देते। हां कौन डाक्टर जायगा जब वह अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह सारे मसले एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। डाक्टर गावों में नहीं जायगा। उसको रहने के लिये मकान चाहिये, उसको बच्चों को पढ़ाने के लिये शिक्षा और सुविधा चाहिये। जब तक यह सुविधायें डाक्टर को नहीं मिलेंगी तब तक वह गांव में नहीं जायगा। हमारे यहां के अस्पताल तभी ठीक से चलेंगे जब उनमें दवायें दी जायेंगी और जब अल्पतालों में दवायें रहेंगी तभी मरीजों को मिल सकेंगी। दवाओं के लिये जब इंडेंट किये जायेंगे और चौकसी रखी जायेगी तभी हमारे प्रदेश के जन जीवन का स्वास्थ्य अच्छा होगा। हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका कोई विवरण नहीं दिया है।

आज हमारे प्रदेश के बड़े-बड़ नगरों में और देश के बड़े-बड़े नगरों में मकानों की बड़ी भारी समस्या है। हमारे प्रदेश के लखनऊ तथा कानपुर आदि शहरों में कहीं भी स्टाफ के लिये क्वाटर्स नहीं है। अल्प वेतन पाने वालों के लिये मकान नहीं है। मैं धर्मवीर जी और अपनी बहन राजेन्द्र कुमारी जी से जानना चाहता हूं कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने ऐसी कौन सी

[श्री रामगोपाल संड]

स्कीमें बनाई, जिनके अन्तर्गत कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मकान मिल सकें। आज गरीब आदमियों से, छोटे छोटे वकीलों से तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों से ८०/१०० रुपया माहवार किराया क्यों लिया जा रहा है ? मैं धर्मवीर जी और राजेन्द्र कुमारी जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कहां तक उत्तरदायित्व क्रांतिदल या जनसंघ का है। आपने प्रदेश की जनता का उपयोग नहीं किया। यह कहा जाता है कि संविद की सरकार थी। हम भी कहते हैं कि ९ महीने तक संविद ने प्रदेश शासन किया। उसने जो कार्य किये उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ९ महीने का समय बहुत थोड़ा होता है।

मैं जानना चाहता हूं कि २१ साल के अन्दर हमारा प्रदेश क्यों पिछड़ा रहा ? माननीय चरण सिंह जी कहां थे ? आपके ही खेमे में थे। लेकिन आज वह हमारी बात कहने लगे हैं। हम कहते हैं कि इस देश में ५० करोड़ लोग हैं और इस प्रदेश में ८ करोड़ लोग हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को काम दिया जाय, अपने यहां की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाय और ऐसी योजनायें बनाई जायं जिससे हमारे जन जीवन का स्टैंडर्ड ऊंचा हो। हमारी पहले खिल्ली उड़ाई जाती थी। लेकिन आज हमें हर्ष है कि जो पहले ५० साल से गांधी जी की दुहाई दिया करते थे वे आपसे प्रश्न करते हैं और आप उनका उत्तर देते हैं। आप दुहाई देते हैं कि हमारा प्रदेश इसलिये पिछड़ा हुआ है कि इसमें केंद्र की गलती है। मैं धर्मवीर और राजेन्द्रकुमारी जी से जानना चाहता हूं कि आखिर केंद्र में कौन है ? वहां माननीय शास्त्री जी और जवाहरलाल जी ही तो रहे। तथा केंद्र ऐसी योजना नहीं बना सकता था जिससे गरीबी दूर हो जाती और देश में भ्रष्टाचार मिट सकता, और न जन जीवन सुखमय हो सकता तथा लोगों के जीवन का स्टैन्डर्ड ऊंचा हो सकता।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, हमारी वैधानिक आपत्ति यह है कि जो व्यक्ति हाउस में मौजूद नहीं है, उनका नाम माननीय सदस्य द्वारा बार-बार लिया जा रहा है जिनसे हाउस का कोई मतलब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

जिन माननीय व्यक्तियों का वे नाम ले रहे हैं उनके बारे में वे कुछ नहीं कह रहे हैं। वे तो नगर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। इसलिये आप आपत्ति न करें।

श्री त्रिवेणी—

हाउस में जो व्यक्ति नहीं है, उनके बारे में हमें आपत्ति है।

श्री अधिष्ठाता—

उनका मतलब सिर्फ इलाहाबाद से है और उसी का वे जिक्र कर रहे हैं।

श्री रामगोपाल संड—

मैं माननीय शास्त्री जी और जवाहरलाल जी का बहुत आदर करता हूं। अगर आज हमारे यहां समाजवाद होता, बेरोजगारी न होती। यदि हमारी योजनायें अच्छी बनतीं और हमारा जनजीवन आगे बढ़ा होता। लेकिन योजनायें गलत बनाई गई उसी के कारण आज हमारा देश बन्धक है। यहां कर्जे की बात कही गई है। हमारा देश इंगलैंड, रूस और अमेरिका का बन्धक है। आज क्या उत्तर है इस बात का जैसा कि चरण सिंह जी ने कहा कि मुख्य मंत्री के शपथ लेते ही अनाज के दाम बढ़ गये, चीनी के दाम बढ़ गये ? आप अपने कार्यों पर विचार कीजिये। इस प्रदेश की योजनायें जन जीवन प्रधान बनानी होंगी। हम पढ़ा करते थे

कि इस देश में छोटे-छोट उद्योग धंधे हों, छोटी-छोटी नहरें बनाई जायं, पोखरों के अन्दर पानी रखा जाय, हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी हो, हर गांव में बिजली पहुंचायी जाय, शिक्षा प्रणाली में कोठारी आयोग को और उसके पहले के राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाय। लेकिन आज हम गांव की ओर उन्मुख हो गये हैं। राज्यपाल महोदय ने कहा कि इस प्रदेश की जन संख्या बहुत है, लेकिन राज्यपाल महोदय भूल गये कि आठ-नौ करोड़ जन संख्या के १६–१८ करोड़ हाथ हैं। उनको काम चाहिये। काम तब मिलेगा जब शिक्षा नीति के अन्दर परिवर्तन किया जायगा। मैं थोड़ा सा समय आप से लूंगा। मैं आपका ध्यान इलाहाबाद की बाघम्बरी योजना की ओर ले जाना चाहूंगा जहां पर १५ हजार मकान तोड़े जायेंगे और नये सिरे से मकान बनाये जायेंगे। यह मकान वहां के लगभग तीन-चार हजार केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, जो छोटी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, और प्रमुख अध्यापक हैं, उनके हैं। इस बाघम्बरी योजना के नाम पर वहां बड़ा अन्याय किया जा रहा है। मैं सदन का ध्यान इस बाघम्बरी योजना की ओर ले जाना चाहता हूं। साथ ही साथ वहां नैनी में बड़ी-बड़ी मिलें हैं जहां पांच हजार मजदूर काम कर रहे हैं, जैसे स्वदेशी काटन मिल। वहां बोनस बांटने के सिलसिले में कर्मचारियों के साथ धांधले बाजी की जा रही है।

मैं माननीय तिवारी जी से कुछ एम०एल०एज० के साथ मिला था। मैंने उन्हें बताया क्या कारण है कि गत वर्ष ११ प्रतिशत बोनस बांटा गया और इस वर्ष केवल ९ प्रतिशत बांटा गया जबकि लाभ अधिक हुआ। हमें हर्ष है कि श्रम मंत्री ने कहा कि हमने नोट कर लिया है। मैं राज्यपाल महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे लेबर कमिश्नर और सहायक लेबर कमिश्नर श्रमिकों के लिये क्या कर रहे हैं? इस लेबर कालोनी में या प्रदेश में अन्य लेबर कालोनीज हैं उनके लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं? ये मध्यम वर्ग के लोग जो क्रांतिकारी थे, जो कांग्रेस के अन्दर रह कर स्वतंत्रता संग्राम में जेल गये, आज उनकी उपेक्षा की जा रही है। अगर आप चहते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र रहे, इस देश में तानाशाही न जाय तो मध्यम श्रेणी के लोगों को अंग्रेजी में स्टार्विंग इन्टलेक्टुएल पुकारा जाना है जिनके कारण, रूस में, फ्रांस में क्रांतियां हुई अगर ये क्रांति कर बैठे तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मैं केंद्रीय यूनियन का अध्यक्ष हूं। केंद्र ने व्हिटले काउंसिल बनायी है लेकिन पोस्टल युनियन पर प्रतिबन्ध है। केंद्र की व्हिटले काउंसिल में जो अपने बड़े-बड़े अफसरों का दबाव डाला है उससे श्रमिकों का जीवन, जिनके कारण जन-जन प्रभावित होता है, सुधरेगा नहीं। जहां मैं व्हिटले काउंसिल को प्रसन्द करता हूं केंद्र में जो उसकी दुर्दशा हुई है, कहीं उत्तर प्रदेश में भी उसकी कब्र न खोदी जाय। अल्प वेतन भोगियों को अधिकार है कि वह हड़ताल करके, शांतिपूर्ण हड़ताल करके अपनी बात मनवायें। इस देश के अन्दर आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। आप सचमुच अगर प्रजातंत्र चाहते हैं, राष्ट्रभाषा की उन्नति चाहते हैं अध्यापकों को संतुष्ट करना चाहता हैं, कर्मचारियों से काम लेना चाहते हैं, मध्यम वर्ग की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं तो टाटा, बिड़ला और सिंघानिया जितने पूंजीपति हैं, उनको भूल कर जमीन पर रहने वाले वर्ग की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

मैं पुनः प्रणाम करता हुआ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह सर्वविदित है कि संसदीय प्रणाली में विधान सभाओं के समक्ष सत्रारंभ में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण एक बड़ी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, राज्यपाल के अभिभाषण द्वारा मौजूदा सरकार के, जिसके वह प्रतिनिधि होते हैं, उसकी प्रमुख नीतियों की ओर संकेत भी होना स्वाभाविक है। मुझे प्रसन्नता है श्रीमन्, कि राज्यपल के अभिभाषण में प्रदेश की मुख्य बातों की ओर, मुख्य समस्याओं की चर्चा है। साथ ही साथ उसके समाधान की ओर भी संकेत है। मान्यवर, यह बड़ी स्वाभाविक बात है कि उत्तर प्रदेश का कोई निवासी जब प्रदेश की चर्चा करेगा तो स्वभावतः उसके पिछड़ेपन की बात भी सामने आ जायेगी यही बात राज्यपालके अभिभाषणमें भी है। उन्होंने उसके पिछड़ेपन की चर्चा की और पिछड़े भागों के आर्थिक संतुलन की ओर भी संकेत किया है। सबसे बड़ी

[श्री राम लखन शुक्ल]

बात यह है कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अर्थतंत्र के दो मुख्य आधार, जो कृषि और उद्योग हैं, उन आर्थिक तंत्रों की ओर संकेत है। कृषि विकास के लिये अनेक योजनाओं की ओर भी उन्होंने संकेत किया है। साथ ही साथ उद्योग को विकसित करने के लिये भी संकेत उसमें है, लघु उद्योगों की ओर भी संकेत है। जिस देश की एग्रीकल्चरल एकोनामी हो, वहां उद्योग और कृषि के समन्वय की आवश्यकता की ओर संकेत करके एक बड़े मौलिक बात की ओर राज्यपाल ने संकेत किया है। इसके लिये वह हमारे आदर के पात्र है और धन्यवाद के पात्र भी हैं।

श्रीमन्, जब हम प्रदेश के पिछड़ेपन पर चर्चा करते हैं और उसको दूर करने पर विचार करते हैं, तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या साधनों की आती है। हमारे सामने एक आर्थिक दुश्चक्र खड़ा हो जाता है जिसको तोड़ने में हमारे और हमारे साथियों के सामने एक बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाती है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हमें पूंजी लगानी चाहिये। यह बड़ी साधारण सी बात है जो हम सब जानते हैं। पूंजी वहीं लगाई जा सकती है जहां आमदनी हो, प्रति व्यक्ति पर्याप्त आमदनी हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास पूंजी का अभाव रहा है। हमारी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार दूषित और दयनीय रही कि हम पूंजी नहीं लगा सकते थे। लेकिन इस वक्त टटोल कर, कहीं न कहीं से हमें अवश्य पूंजी लगानी ही पड़ेगी। इसके लिये हमें यदि कष्ट भी उठाना पड़े और उठाना पड़ेगा, तो हमें सहर्ष कष्ट उठाना चाहिये। तो, हमें सोचना पड़ेगा कि हम कितना और कैसे कष्ट बरदाश्त कर सकते हैं और कितना कष्ट उठाकर कितना अधिक टैक्स दे सकते हैं। यदि हम देश का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, तो हमें कष्ट सहना चाहिये।

इस संबंध में एक और बात विचारणीय है जिसकी हम सबको शिकायत रही है कि केंद्र से हमें उचित सहायता नहीं मिलती है। यह बात अपनी जगह सही है। जो सहायता देने की पद्धति है वह हमारी दृष्टि से बहुत ही दोषपूर्ण है। यह सहायता देने की पद्धति एक व्यापारिक दृष्टि से है कि हम जो पैसा देंगे हम मैचिंग ग्रांट देंगे, जितना पैसा हम देंगे उसी अनुपात से पैसा हम पायेंगे। यह एक ऐसी शर्त है जो हम सन् ५२ से ही, आजादी के बाद से ही पूरी नहीं कर पाये हैं और परिणामस्वरूप हम दिन प्रति दिन पिछड़े चले जाते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से और अपने अन्य तमाम साथियों से आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं कि केंद्रीय सहायता की प्राप्ति में एक मौलिक परिवर्तन होना चाहिये। मेरी समझ में यह आता है कि यह कान्ट्री-ब्यूशन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि यहां पर यह सदन एक मत से इस पर पूर्ण जोर देगा तो केंद्रीय सरकार अपने सहायता देने के सिद्धांत में परिवर्तन करने के लिये विवश होंगी।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में उन बहुत सी बातों का जिक्र है, विशेषतया शिक्षा का जिक्र है। इस पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह प्रसन्नता और संतोष की बात अवश्य है कि सामान कार्य के लिये समान वेतन का सिद्धांत स्वीकार करके शिक्षा मंत्री ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी और असरकारी अध्यापकों का वेतन समान होगा। यह सिद्धांत की बात अपनी जगह है, लेकिन प्रश्न यह है कि सरकारी घोषणायें जो होती हैं, उनका कार्यान्वयन कहां तक होता है। सरकार ने पर्याप्त दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि अध्यापकों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मौजूदा सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय ने इसके लिये पहल कर दी है और उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन फिर भी मैं पूर्व अनुभव के आधार पर यह चुनौती देता हूं कि इस बात को देखा जाय कि उसका कोई कार्यान्वयन हुआ है या नहीं जो आदेश दिये गये हैं और मूल असंतोष का कारण भी यही होता है कि जो थोड़े बहुत सरकारी आदेश होते भी हैं वे भी कार्यान्वित नहीं होते।

शिक्षा की रीति नीति के बारे में मैं थोड़ी बातें करने का विचार रखता हूं। शिक्षा ऐसी चीज है जिनसे मानव बनता है। हमने एक ऐसा लक्ष्य बना लिया है जिसके द्वारा हम यह घोषित करते हैं कि हम समाजवाद की ओर चलेंगे और देश में समाजवादी व्यवस्था के आधार पर समाजवादी जनजीवन को प्रतिष्ठित करेंगे और हममें से प्रायः सभी इसके लिये कृतसंकल्प है और इसके लिये सबसे बड़ा बुनियादी स्थान जो है वह शिक्षा और शिक्षालयों का है। वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये और कम से कम स्टेट की ओर से नहीं होना चाहिये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप देखेंगे कि हजारों प्राइमरी स्कूल देहाती क्षेत्रों में हैं और वे इतने अभावग्रस्त हैं कि न वहां पर टाट हैं, न पट्टी है न शिक्षा के दूसरे प्रसाधन हैं, न ब्लैक बोर्ड हैं और न दूसरे प्रकार के साधन हैं और उसके साथसाथ शहरों में हजारों की तादाद में आज नर्सरी स्कूल्स हैं उन्हें सरकार की ओर से बड़ी आसानी से ग्रांट मिल जाती है और अपेक्षाकृत अधिक मिलती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये जिसमें कुछ विशेष वर्ग के बालकों के लिये कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्था और लाखों जनता के बालकों के लिये एक विशेष प्रकार की व्यवस्था हो यह समाजवादी लक्ष्य के तो विपरीत है ही मानवीय सिद्धांतों के भी बिलकुल विपरीत है। और इसलिये मेरी मांग है कि इस प्रकार के नरसरी स्कूल जिनके खोले जाने और उनमें पढ़ाये जाने का एक फैशन सा आजकल चल गया है और शहरों में वे खुलते चले जा रहे हैं उनमें इस प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं दी जानी चाहिये और प्राइमरी स्कूलों के उत्थान के लिये प्रयत्न करना चाहिये। यह तो हो ही लेकिन इस प्रकार का अन्तर दोनों के बीच में रखने की आवश्यकता नहीं है कि एक जगह पर एक प्रकार की शिक्षा और दूसरे स्थान पर दूसरे प्रकार की शिक्षा हो।

एक दूसरी बात की ओर मैं और संकेत करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने शिक्षकों के वेतन और शिक्षकों की दशा की ओर संकेत किया है लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि उनका ध्यान गैर-शिक्षक कर्मचारियों की ओर नहीं गया है। अगर जहां भी समाजवादी दृष्टिकोण लक्ष्य ध्यान में इस संबोधन के तैयार करते समय होता तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले शिक्षा जगत में उन कर्मचारियों की ओर ध्यान जाना चाहिये था। जिनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। वे आज सबसे गरीब हैं, जिनकी हालत आज सबसे दयनीय है और जिनकी दशा सबसे उपेक्षणीय है उनके लिये ध्यान जाना चाहिये था। संक्षेप में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा ऐसे विषय में जो सारे समाज की निर्माण की बुनियाद है ऐसा कार्यकलाप नहीं होना चाहिये जिससे उसी जगह काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओं में आपस में हार्टबर्निंग हो कि अन्य सब लोगों के लिये विशेष प्रकार की सुविधा है।

श्रीमन्, और भी बहुत सी बातें राज्यपाल महोदय ने कही है। लघु उद्योगों के संबंध में, नहरों के संबंध में, ट्यूबवेल्स बनाने के संबंध में, वे सारी की सारी स्वागत की चीजें हैं किन्तु एक बात मैं सिद्धांत की कहना चाहता हूं कि जहां पर योजनायें बनें वहां योजनायें और योजनाओं के अनुकूल क्षेत्रों का भी समन्वय होना चाहिये। जहां जमीन की कमी है, जहां प्रति किलोमीटर आबादी का भार अधिक है जहां पर ट्यूबवैल्स बनने चाहिये। उदाहरण के लिये गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल का लघु नमूना है। वहां १६ सौ से भी अधिक प्रति स्क्वायर मील आबादी है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी वहां यातायात और सिंचाई के साधनों की बहुत बड़ी कमी है और उस क्षेत्र में और वैसे ही दूसरे क्षेत्रों में जो इस प्रदेश के हैं ट्यूबवैल्स की व्यवस्था करनी चाहिये। जहां का काश्तकार अभी इतना धनी नहीं कि वह ट्यूबवैल्स की व्यवस्था कर सके। इसलिये ऐसे स्थानों में ट्यूबवैल्स की व्यवस्था विशेष रूप से करनी चाहिये, ऐसा मेरा सुझाव है। उसका थोड़ा सा संकेत राज्यपाल के संबोधन में है इसलिये मैंने यह निवेदन किया।

एक बात की और चर्चा राज्यपाल महोदय के संबोधन में की गयी है जिसको देखकर मुझे दुख का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में पुलिस प्रशासन ने बड़ा सराहनीय काम किया है और पुलिस प्रशासन ने बड़ी सफलता पूर्वक काम किया है। मैं इस संबंध में क्या

[श्री राम लखन शुक्ल]

निवेदन करूं। मुझे स्वयं ऐसा अनुभव है और मेरे इधर उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों को भी अनुभव होगा कि चुनाव के समय यदि शांति और व्यवस्था को कायम करने के लिये यदि हम लोग अपनी बुद्धि से काम न लिये होते तो पुलिस के भरोसे हममें से बहुत से साथी यहां दिखाई न देते। इसके साथ ही बड़ी नम्रता के साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले गोरखपुर में चुनाव के दौरान नामिनेशन पेपर दाखिल होने के बाद एक उम्मीदवार की हत्या कर दी गई। उस हत्या के संबंध में कोई जांच नहीं की गई। उसके लिये सब से बड़ी बात यह है कि बहुत सी गलत फहमी पैदा हो गई। किसी ने कहा कि किसी उम्मीदवार ने उसकी हत्या करा दी और किसी ने कहा कि किसी दल ने उसकी हत्या करा दी। इन तमाम भ्रांतियों के प्रचलन के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की ओर से और पुलिस विभाग की ओर से अभी तक जांच नहीं हो सकी है। इतने महत्वपूर्ण हत्याकाण्ड के संबंध में थोड़ा-बहुत इन्तजाम करते, और उसकी जांच-पड़ताल करते और जनता के सामने सही बातें रखने का प्रयत्न करते तो पुलिस के संबंध में लोगों की धारणा कुछ और अच्छी होती मगर इन सब बातों के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तारीफ की जाय और वह भी प्रदेश के सबसे बड़े शासक के द्वारा उसके संबोधन में तो यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है। सारे प्रदेश की बात तो मैं नहीं कह सकता। मेरठ की या मुजफ्फरनगर की बात तो मैं साधिकार नहीं कह सकता लेकिन श्रीमन् गोरखपुर जिले की बात मैं साधिकार कह सकता हूं कि वहां पर आये दिन मर्डर होते रहते हैं। अभी एक दिन रिक्शा पर बैठे हुए आदमी की हत्या कर दी गई और उसका रुपया छीन लिया गया। उस लाश को भी वहां से नहीं उठाया। एक दिन तक वह लाश वहां पड़ी रही लेकिन पुलिस वहां नहीं गई। यह चुनाव के दौरान की बात है। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं जो पुलिस की लापरवाही के हैं। एक जगह पुलिस ने हवालात में आदमी को इतना पीटा कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। इस तरह के उदाहरणों के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तारीफ की जाय, पुलिस प्रशासन के काम को सफल कहा जाय तो मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि मैं इससे असहमति प्रकट करता हूं। इस संबंध में इस प्रकार से इसमें वाक्य को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये था।

माननीय, एक बात मैं इस संबंध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता से हम सब को बड़ी आशायें थीं। हम सब यह आशा करते थे कि विरोधी पक्ष की ओर से हमारे सामने विरोध का कोई नया स्वरूप आयेगा किन्तु उन्होंने एकांगी स्वरूप ही हमारे सामने रखा। यदि आलोचना की बात हमारे सामने आयेगी तो उसका ठोस सुझाव भी हमारे सामने आयेगा ऐसी हम आशा करते थे क्योंकि संयोगवश विरोधी दल के नेता आज ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक साल डेढ़ साल पहले तक इधर ही बैठते थे। हम समझते थे कि प्रशासन की कठिनाइयों को देखते हुए वह ठोस सुझाव हमारे सामने रखेंगे। उनके एक घण्टे के भाषण में हमने यह सुना कि अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार हैं और अमीर गरीब में बड़ा अन्तर है लेकिन यह आर्थिक असमानता उत्तर प्रदेश के निवासियों की जिस प्रकार से दूर हो और उसके लिये क्या प्रयत्न करना चाहिये यह सुनने के लिये मेरे कान आज भी तृप्त नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे पता चले कि उन्होंने यह मार्ग प्रदर्शन किया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने जो यह कहा हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार अनेक रूपों में है मैं इससे सहमत हूं किन्तु अनेक रूपों में सब से घृणित रूप में जो भ्रष्टाचार है वह राजनैतिक भ्रष्टाचार है और राजनैतिक भ्रष्टाचार का सबसे घृणित रूप है अप्रत्याशित दल-बदल। राजनैतिक भ्रष्टाचार को मैं सबसे घृणित रूप भ्रष्टचार का समझता हूं और बड़ी नम्रता से नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को फैलने का सबसे बड़ा कारण बार-बार उसकी चर्चा करना होता है। भ्रष्टाचार की चर्चा करना और अनेक प्रकार के काम करते जाना जो भ्रष्टाचार है कि नहीं इस बात में संदेह होते हुए सफाई से कुछ न कहना, इससे बढ़कर भ्रष्टाचार कोई हो नहीं सकता और यह सबसे ऊंचे प्रकार का भ्रष्टाचार है जोकि लोकतंत्र को मजबूत करने में कभी भी सहायक नहीं हो सकता।

*श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ ही समय पूर्व मेरे अजीज दोस्त ने जो हरिजनों का नाम लेकर नाटक यहां दिखाया है...

श्री अधिष्ठाता—

मैं देख रहा हूं कि सभी माननीय सदस्य मुझे "माननीय अध्यक्ष" कहकर संबोधित कर रहे हैं। चूंकि सभी उस गलती को दोहरा रहे हैं, इसलिये मुझे यह ध्यान दिलाना जरूरी हो गया कि चेयर को "माननीय अधिष्ठाता" कहकर पुकारें।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

अधिष्ठाता महोदय, अभी यह कहा गया कि किस प्रकार से भारतीय क्रांति दल ने हरिजनों का शोषण किया है। अगर अजीज दोस्त होते तो उनसे पूछता कि इस स्वतः भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने जो २२ साल में किया है क्या वह प्रदेश में ही नहीं इस सारे देश भर में अत्याचार नहीं कर रही है? मैं मजबूर हो गया भारतीय क्रांति दल में आने के लिये। मैंने मौजूदा शिक्षा मंत्री से ३ बार कहा था एक हरिजन बालक के संबंध में कि इसकी इन्क्वायरी करा दीजिये और यह जुलाई, अगस्त की बात है और उन्होंने तीन बार फोन किया। बी०डी०आर० को किया, वेलफेयर आफिसर को किया, गवर्नर साहब को रजिस्ट्री लिखी। सभी के पास करीब-करीब चिट्ठियां भेजीं परन्तु उसके बारे में जिसके लिये उस हरिजन ने बड़ी आशाओं के साथ ५-६ रुपया चन्दा करके रजिस्ट्रियां भेजीं उसका जवाब इस मौजूदा बदचलन सरकार ने किस तरह से दिया, अगर उसके हृदय से पूछें तो वह बता सकता है। आज तक कोई भी आदमी वहां पर इन्क्वायरी करने के लिये नहीं पहुंचा है और यहां कहा जा रहा है कि भारतीय क्रांति दल ने हरिजनों पर अत्याचार किये। जो संविधान अम्बेदकर की अध्यक्षता में लिखा गया और हरिजनों को जो मौलिक अधिकार दिये गये, मैं भी एक हरिजन हूं, तो हमको १८ परसेंट सीटें दी थीं लेकिन इस बदचलन सरकारने कुछ भी नहीं किया। कहते हैं कि आपके अन्दर योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है योग्यता? इसलिये कि उनका ये उत्थान ही नहीं करना चाहते। जितना शोषण गांधी, नेहरू के नाम पर हरिजनों का इस मौजूदा कांग्रेस सरकार के समय में हुआ है इतना शताब्दियों से कभी भी नहीं हुआ है। समय पर उनको वजीफा तक नहीं दिया। मेरे पास १५-२० अप्लीकेशंस मौजूद हैं। जो चीज सितम्बर या अक्तूबर में प्राप्त होनी थी, आज दूसरे वर्ष का तीसरा महीना चल रहा है। किस समय हम किताबें खरीद सकते हैं, किस समय हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं? क्या सुविधायें सरकार दे रही है? हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और होते हैं। कहते यह हैं कि लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसके साथ समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं और २२ साल से गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। गेंदासिंह जी ने कहा था कि ३५० करोड़ रुपया हमारे पास योजनाओं को सफल बनाने के लिये नहीं है, यदि विपक्षी दल हमको इस प्रकार के साधन बतलाये और सहयोग दे तो हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। मैं एक साधन बता देता हूं, लेकिन इतना मैं चैलेंज करता हूं कि उस साधन को किसी भी नेता या मौजूदा सरकार के अन्दर हिम्मत नहीं कि उसको वसूल कर लें। १९५६ से जो सरकारी पूंजी बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दी गयी है यदि उसी को वसूल कर लें यह सरकार तो हमारी जो योजनायें हैं वह सफलतापूर्वक चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परन्तु ऐसा नहीं किया जा सकता।

दूसरे, डाक्टरों के बारे में यह कहा गया कि हमारे अस्पतालों में बहुत से डाक्टरों की कमी है, कहीं पर तो डाक्टर ही नहीं है। उसके बारे में दो बातें बता देना चाहता हूं। आज डाक्टरों की कमी नहीं है। अगर कम हैं तो कसूर किसका है? अस्पतालों में तो पट्टियां नहीं हैं बांधने के लिये। अगर रिक्शा चलाने वाले अस्पताल जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि मरहम-पट्टी के लिये पट्टियां खरीद लीजिये। तो इसमें डाक्टरों का दोष बताया जाना या जनता को दोषी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मण स्वरूप]

ठहराना कहां तक उचित है ? अगर साधन नहीं है तो आप उसके लिये प्रयत्न कीजिये हम आपका सहयोग देंगे लेकिन हवा में किला बांधने से कार्य नहीं चलता। सन् ५७ में हमारे क्षेत्र में आदरणीय गुप्ता जी वादा करके आये थे, २ करोड़ रुपया फाइल पर चला गया था कि वहां अस्पताल बनेगा, लेकिन हापुड़ क्षेत्र जनतंत्र का वास्तविक प्रतिबिम्ब है और तभी से अनुशासन को पूरी तरह से निभा रहा है। वहां किसी वजह से जो कांग्रेस के प्रतिनिधि खड़े हुए थे वह पराजित हो गये तो २ करोड़ रुपये की फाइल भी कौंसल हो गयी। आज हालत यह है कि जहां पर विपक्षी दल के सदस्य चुनकर आते हैं, वहां पर हरिजनों पर हर तरह का आतंक डाला जा रहा है और अत्याचार किये जा रहे हैं और ऊपर से भारतीय क्रांति दल को बदनाम किया जाता है। हरिजनों का जो जन्म सिद्ध अधिकार है वह उन्हें प्राप्त होना चाहिये। अगर उन अधिकारों के लिये कोई दल हमें जागरूक करता है तो उस पर लांछन लगाना उचित नहीं है। पहले अत्याचार करना और साथ ही सहयोग की आशा रखना व्यर्थ है। ये अत्याचार तो सन् ४७ से ही शुरू हो गये थे। मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं कि अब तक हरिजनों के लिये कांग्रेस सरकार ने क्या किया है ? इसके लिये मौजूदा सरकार को फिर भी मौका मिलेगा। कहा जाता है कि कांग्रेस ने हरिजनों के लिये बहुत किया है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने हरिजनों पर कितना अत्याचार किया है, उसके समय में हरिजनों पर जितना अत्याचार किया गया है, जितना उनका शोषण किया गया है, वह बहुत अधिक है जब कि भारतीय क्रांतिदल को इसके लिये दोषी कहा जाता है। हरिजनों के लिये जो सर्विसेज में १८ परसेंट स्थानों के सुरक्षा की बात कही गयी है, क्या उसको किसी क्षेत्र में प्राप्त किया गया है ? मैं आशा करता हूं कि अब इन सब बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा।

श्री यादवेन्द्रसिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने वर्षों तक साथ रहने के बाद भी मेरा नाम तो भूल गये थे लेकिन मेरी शक्ल आपको याद आयी और आपने राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर माननीय गेंदासिंह द्वारा उपस्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैं पढ़ता हूं तो पिछले डेढ़-दो वर्षों तक जनता के मन में जो एक निराशा की बात थी, उस अभिभाषण से थोड़ी आशा की लहर दौड़ती है और मैं भी महसूस करने लगा हूं कि कांग्रेस की हुकूमत बदलने के बाद और संविद की सरकार के आने के साथ जो कदम किसानों के हित में उठाया गया था, शायद उनको मिटाने के लिये राज्यपाल महोदय ने एक संकेत अपने इस अभिभाषण में दिया है। राज्यपाल द्वारा दिया गया अभिभाषण हमेशा मौजूदा सरकार के लिये, उसकी रीति नीति के लिये पथ-प्रदर्शक हुआ करता है और उसी आधार पर मौजदा सरकारें काम करती हैं।

राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में प्रदेश के अन्दर जन हिताय चलने वाले हर तरह के कामों की तरफ बारी बारी से इशारा किया गया है और उसका तफसिरा मैं बाद में अपने भाषण में करूंगा। उन्होंने इस सरकार को निर्देश दिया है उन सारे कामों के करने का जिनसे प्रदेश की जनता को कितनी राहत पहुंचाई जा सकती है। सबसे पहले मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात के लिये उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को महसूस किया—महसूस तो दिल्ली की सरकार ने भी किया लेकिन राज्य पाल महोदय ने उस आवाज को बुलन्द किया कि उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम अन्य प्रांतों के मुकाबले में बहुत कम है। और क्यों है, उस तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। तो लगता है कि अब इस दिशा में आवाज उठने लगी और यह सदन जो बैठा हुआ है वह सक्षम है उस आवाज को बुलन्दी देकर दिल्ली की सरकार को मजबूर करने के लिये कि वह हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे प्रदेश को अधिक से अधिक धन दे और हमारी कृषि तथा कृषि साधनों पर टैक्स का भार न लादें ताकि हम अपने आपको पंजाब और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ला सकें। माननीय चौधरी साहब ने अपना संशोधन पेश करते हुए यह कहा कि हम इस देश में सबसे पिछड़े

हुए हैं और यह भी कहा कि पंजाब वगैरह के लोग बड़े जागरूक हैं, उनकी पर कैपिटा आय हमसे ज्यादा है, यह बात सही है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि पब्लिक सेक्टर में सबसे कम पैसा लगा है और लघु उद्योगों के जरिये ही वहां के लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। इसके विपरीत बिहार में पब्लिक सेक्टर में दिल्ली की सरकार ने सबसे ज्यादा खर्च किया है, लेकिन उनकी पर कैपिटा इन्कम हमसे भी कम है। चौधरी साहब से, जो २० वर्षों तक हमारे नेता रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस सरकार के संचालन में बड़ा ही योगदान दिया है, ऐसी बात सुनने के बाद हममें कुछ आत्मविश्वास बढ़ा है....

(श्री शफीक अहमद द्वारा फ्लोर क्रास करके जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को फ्लोर क्रास करके इधर से उधर नहीं जाना चाहिये, भविष्य में माननीय सदस्य इसका कृपया ध्यान रखें।

श्री यादवेन्द्रसिंह—

मैं यह कहने जा रहा था कि माननीय चौधरी साहब ने जब अपना संशोधन रखा तो हम यह आशा कर रहे थे कि वे कुछ ठोस सुझाव नयी पीढ़ी के लिये देंगे जिससे प्रदेश की प्रगति हो सकेगी। उस समय मेरे असंतोष की सीमा न रही जब मैंने देखा कि उन जैसे व्यक्ति द्वारा जिन्होंने २० वर्षों तक सरकार में रहकर हमारा मार्ग दर्शन किया था और आज नेता विरोधी दल है, कोई सुझाव नहीं दिया गया।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ३–४ बातें ऐसी हैं जिनके लिये वे खासतौर से बधाई के पात्र हैं। एक तो यह कि उन्होंने सबसे पहले यह स्वीकार किया है कि प्रदेश की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और उसके लिये उन्होंने अब कृषि पर बल देने की बात कही है। दूसरी बात उन्होंने लघु उद्योगों की ओर संकेत किया है। खेती की ओर चर्चा करते हुए माननीय चौधरी साहब ने ४–५ बातें मुख्य रूप से कहीं हैं, उसके अलावा मुझे भी २–३ बातें निवेदन करना है। चौधरी साहब ने यह कहा कि खेती पर से आबादी का भार हटाया जाय, यह बात सही है

(श्री सबसुख सिंह द्वारा फ्लोर क्रास करके जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, माननीय सदस्य को फ्लोर क्रास करके इधर से उधर नहीं जाना चाहिये।

श्री महीलाल—

मैं माननीय सदस्य की तरफ से माफी चाहता हूं, उनको मालूम नहीं था।

श्री यादवेन्द्रसिंह—

कि जब धरती पर से खाने वाली आबादी का भार हटेगा तो उससे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी। मैं सोचता था कि चौधरी साहब की तरफ से यह भी सुझाव आयेगा कि जब उस आबादी का भार घटाया जायेगा तो वे लोग आखिर जायेंगे कहां? लेकिन उन के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं हुआ। यह बात तकलीफ देह हुई। खेती पर आबादी घटनी चाहिये। यह तो हुई एक सिद्धान्त की बात। लेकिन सिद्धान्त के साथ चौधरी साहब के मुंह से सिद्धान्त की एक और बात भी आनी चाहिये थी वे तो नेता विरोधी दल हैं, उन को हक है कि वे सरकार को सुझाव दें और सरकार को उन के सुझाव मान्य होने चाहियें बशर्ते कि सुझाव ठोस और मानने के योग्य हो। लेकिन इस बात पर चौधरी साहब का भाषण सूना रहा। उनको केवल यही बात सामने आयी कि खेती के ऊपर से आबादी का दबाव घटना चाहिये।

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

दूसरी बात यह आयी कि पढ़े-लिखे लोगों को खेती की ओर लगाना मुनासिब बात नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा तो क्या उनका यह मतलब है, उनकी यह मन्शा है कि पढ़े लिखे लोग खेती की तरफ न जायं और वे केवल दफ्तरों में बाबू बनने की कोशिश ही करें? तो क्या इसका यह नतीजा नहीं होगा कि जब विचारशील व्यक्ति खेती से हटने लगे तो केवल दकियानूसी तरीकों की खेती ही रह जायगी? इस तरह से हमारी आमदनी बजाय बढ़ने के घटती ही चली जायगी इस विषय में भी चौधरी साहब का मस्तिष्क बहुत कुछ साफ मेरे सामने नहीं आ सका। यह बात भी मेरे लिए तकलीफ देह रही कि चौधरी साहब जैसे आदमी की तरफ से शिकायत ही नहीं होनी चाहिये थी। बल्कि जब आधे घंटे की बजाय एक घंटा वे सम्बोधन करते ही रहे तो वे बताते तो, और उससे इस पक्ष में बैठने वालों की ज्ञानवृद्धि होती। उन की यह मंशा नहीं रही कि खेती को किस तरह से तरक्की दी जाय। एक बात चौधरी साहब अपने भाषण में कहना भूल गये। क्योंकि वे स्पष्टवादी आदमी हैं। मेरा कई वर्षों तक उन से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। वे उन बहादुर लोगों में से हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करने में हिचकते नहीं हैं। जब उन्होंने खेती की बात कही तो शायद ही उन्होंने उस पर ध्यान दिया होगा कि खेती की तरक्की तभी हो सकती है जब अच्छा बीज मिले, सुगमता से खाद मिले, पानी भी समय पर मिले, तभी खेती तरक्की कर सकती है। नौ महीनों की संविद की सरकार में बहुत सारा खेती के लिए अहितकर काम हुआ। मैं उस ९ महीनों की सरकार के कामों की तरफ जो खास तौर से खेती की तरफ उन्होंने कदम उठाये थे, उधर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है कि इस प्रदेश में दो बड़ी सिंचाई योजनायें चल रही हैं जिन में गंडक परियोजना भी एक है और संविद सरकार की हुकूमत में जो नौ महीने की सरकार में गंडक परियोजना का काम करीब करीब स्थगित ही कर दिया गया था जिस से करीब ४२ लाख एकड़ धरती को सिंचाई होने वाली थी जो इस प्रदेश की भी धरती थी और बिहार की भी थी। इससे मैं समझता हूं कि खेती के बढ़ते हुये काम में काफी बड़ा धक्का लगा।

दूसरे मैं ट्यूब वेल्स की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, ट्यूब वेल लगाने की रीति-नीति पर संविद सरकार ने जो कदम उठाया उस के बारे में भी चौधरी साहब ने कोई इशारा नहीं किया। खेती को बढ़ाने के लिए संविद सरकार मानते हुए भी उस ने फैसला लिया कि जहां किसानों के निवेदन पर सरकारी ट्यूबवेल लगाये जायं वहां ट्यूबवेलों के पनियट के अलावा बीस रुपया प्रति एकड़ उन से और लिया जाय और मैं समझता हूं कि हमारे पूर्वी जिले जो पहले ही से असहाय हैं और जिन की गरीबी मशहूर हुई है इस प्रदेश में कि वहां गरीबी है और यह भी स्वीकार किया हुआ है कि साढ़े बारह सौ से ले कर साढ़े सोलह सौ आदमी पर ऐग्रीकलचरल स्क्वायर माईल पर रहता है और रोजी रोटी पाता है। तो जाहिर है कि खाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है और आमदनी कम है वहां सिंचाई और बाढ़ से बचने की व्यवस्था है ही नहीं। बाढ़ और सूखे की मार पड़ती रहती है। गंडक परियोजना ही बाढ़ को बचाने का साधन था वह रोका गया, सिंचाई की योजनायें जो चलने वाली थीं वे रोकी गयीं। और ट्यूब वेल जो जनता के अनुरोध पर लगाये गये थे, उन पर २० रुपया एकड़ प्रायरटी चार्ज बढ़ा कर वहां के लोगों के अन्दर हीन भावना पैदा कर दी गयी क्योंकि उन के पास पैसा है ही नहीं। माननीय उग्रसेन जी, जो इस समय इस सदन के सदस्य नहीं हैं, के क्षेत्र में, ऐसा ही ट्यूबवेल लगाया गया है, वे उस के बारे में जानते होंगे। गोरखपुर जिले में पनियारा क्षेत्र में भी एक ऐसा ट्यूबवेल लगाया गया है। सरकार की तरफ से ट्यूबवेल लगाये जाने से जनता के हृदय में खुशी की लहर दौड़ी थी और जब उसने देखा था कि हमारा एक धरतीपुत्र ही मुख्यमन्त्री के पद पर आसीन हुआ है तो जरूर ही वह किसानों की तरक्की करेगा लेकिन सरकार की तरफ से जब इन ट्यूबवेलों की वजह से जनता से २० रुपया एकड़ अधिक वसूल किया गया तब उसका असली स्वरूप उन के सामने आया। आज वह हमारे सामने एक अभिशाप के रूप में खड़ा है। इस की ओर भी माननीय नेता विरोधी दल को सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहिये था, अपने भाषण में उसका उल्लेख करना चाहिये था।

बिजली के सम्बन्ध में भी उन्होंने अपने शासन काल में जो कुछ किया, उसका भी जिक्र नहीं किया। उसके सम्बन्ध में भी जो नीति उन्होंने अपनायी उससे भी जनता की रीढ़ टूट गयी, ट्यूब वेल कम लगे और खेती पर उसका खराब असर पड़ा और पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ पायी। इस बारे में भी नेता विरोधी दल को खास तौर से उल्लेख अपने भाषण में करना चाहिये था।

गन्ने के दामों के बारे में बहुत जिक्र किया गया। चौधरी साहब के मन्त्रित्वकाल में दिल्ली की सरकार को जो गन्ने का दाम रिकमेंड किया गया था वह ३.५० से ३.७५ रुपया मन तक था। जब किसानों ने उसके खिलाफ जहाद बोली, तब उनको कुछ महसूस हुआ। (शोर)। यह तो तथ्य की बात है। इसको आप कागजात निकलवा कर देख सकते हैं। उस के बाद जब किसानों ने जेहाद बोली और मिल मालिकों की गरदन को दबाया तब दाम बढ़ा। लेकिन संयुक्त विधायक दल की सरकार ने उस समय हमारा कोई साथ नहीं दिया। राजा आनन्द, मिर्जापुर के क्षेत्र में जाने के लिए जब हमारे किसी मन्त्री से कहा गया था तो उन्होंने उस समय कहा था कि क्रान्ति दल या जन संघ के किसी आदमी को ले जाओ। ऐसा चौधरी साहब ने अपने भाषण में कहा और यह भी कहा कि ऐसा उनसे कहा गया है और वे खुद नहीं जानते। इसी प्रकार से एक बात मुझ से भी कही गयी। उसको भी मैं बता देना चाहता हूं कि जब गन्ने का दाम देवरिया में तय कराने की बात आयी, तो वहां भी बहुत से बड़े-बड़े लोग और संविद के मन्त्री गये जिनका हाथ काफी गीला किया गया, इस में क्या सत्य या असत्य है वे लोग जानें। (शोर)।

माननीय चरण सिंह जी आधा घंटा की जगह एक घंटा तो बोले लेकिन पूर्वी जिलों के किसानों के बारे में उन्होंने कुछ भी उल्लेख नहीं किया। (शोर)। पूर्व पूर्व ही है, और पश्चिम पश्चिम ही है। बीस वर्षों तक आज के विरोधी दल के नेता इन बेंचों पर बैठे, उन की भी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह देखते कि जिस तरह से पश्चिमी क्षेत्रों को सिंचाई के साधन दिये गये उसी स्तर पर पूर्वी अंचलों को भी दिये जाते। लेकिन कोई योजना इस तरह की पूर्वी जिलों के लिये नहीं लायी गयी, उन को पूर्वी जिलों में भी वह क्षमता पैदा करना चाहिये था, हम भी चाहते हैं कि पूर्वी जिले अपने पैरों पर खड़े हों। आज कहा जाता है कि पश्चिमी जिले कमाते हैं और पूर्वी जिलों को खिलाया जाता है, इस तरह की स्थिति को हम नहीं रहने देना चाहते, इस से हमारी आत्मा को ठेस पहुंचती है। हम भी कर्मशील हैं और होना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं लेकिन एक बार साधन देकर पश्चिमी जिलों के बराबरी के स्तर पर हमें लाया जाय उस के बाद हम स्वयं अपने पैर पर खड़े हो जाना चाहते हैं। चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब के लोग बड़े शेर दिल हैं तो मैं उन से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी जिलों के लोग भी बड़े शेर दिल हैं वह भी अगर एक बार साधन सम्पन्न हो जायं तो पर कैपिटा आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बराबर पिछले जमाने में पश्चिम के जिलों को बाढ़ से बचाने और सिंचाई के साधनों से सम्पन्न किया गया है, लेकिन सदा ही पूर्वी जिलों के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया गया है। चौधरी साहब भी अनेक विभागों के तथा सिंचाई के मन्त्री रहे हैं और कोई ऐसा पद नहीं है जो उन्होंने अपने हुकूमत के २० सालों में स्वीकार न किया हो....

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह चौधरी साहब के विरुद्ध कोई प्रस्ताव है जिस पर वह बोल रहे हैं या धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना आसन ग्रहण करें, आप ने काफी समय ले लिया।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मेरे पूर्व वक्ता ने दो-तीन घटनाओं का जिक्र किया। एलेक्शन के दौरान बख्शीश अली की हत्या का जिक्र किया गया जिसको कुछ नहीं हुआ और जिसका इस्तेमाल एक एक कांग्रेसी उम्मेदवार के खिलाफ किया गया। मैं अपने यहां जिसवा बाजार के एक कत्ल की बात कहना चाहता हूं जो राज्यपाल के आसन

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

के समय की बात है। उस के अलावा वहां तिलक मन्त्री का कत्ल हुआ जो वहां से ३ मील दूर मुत्तयाही ग्राम में पुलिस स्टेशन कोठीभाट के अन्तर्गत हुआ। मैंने २ पत्र राज्यपाल को लिखे और अन्य अधिकारियों को भी पत्र लिखे लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज तक उन दो कत्लों में एक में भी गिरफ्तारी नहीं हुई और कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस समय की हुकूमत करने वालों ने पत्रों का उत्तर तक देने का सौजन्य नहीं बरता। महामहिम राज्यपाल के भाषण में पुलिस की प्रशंसा नहीं होनी चाहिये थी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि उन्हें अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिये।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आज सुबह से देश के भ्रष्टाचार के बारे में, जिन्होंने सरकार की कुर्सियां सम्भाली हैं और विरोधी दल के नेता के भाषण भी सुने हैं। समझ में नहीं आता कि जो खुद इन कुर्सियों के मालिक हैं, शासन के मालिक हैं और जो शासन में शरीक रहे हैं वह माननीय राज्यपाल की इन बातों की निन्दा कर रहे हैं। जो बात कही गयी है वह बात तो सही है। वास्तव में राज्यपाल के शासन काल में पूरे सूबे में जितना अत्याचार हुआ, जितना जुल्म हुआ और जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, वह बहुत ज्यादा है। कांग्रेस में रहते हुये भी साफ तौर पर यह चीज कही जा रही है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर यह चर्चा है लेकिन यहां कोई ९ मास की सरकार की बात करता है, जो ९ मास की सरकार में शरीक रहने वाले दल भी प्रदेश की जनता को नया चमत्कार नहीं दिखा सके। फिर भी उन्होंने थोड़े समय में बहुत कुछ काम किया। कोई कुछ कहता है, लेकिन अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। राज्यपाल महोदय ने कहा कि प्रदेश में चुनाव इत्मीनान तथा पुरअमन तरीके से हुये। मान्यवर, आप के जरिये अपने विचार पहुंचाना चाहता हूं कि पिछले २२ साल से यहां की गरीब जनता को आजादी के साथ वोट देने का मौका ही नहीं मिला। जो अपने को गांधी वादी कहते हैं, उन के नाम पर वोट मांगते हैं, सरकार के नियमानुसार चुनाव में जहां उनको ९ हजार से अधिक खर्च नहीं करना चाहिये, वे ही नेता चुनाव में लाख और डेढ़ लाख रुपया खर्च करते हैं जो अनुचित है। अगर मुख्य मन्त्री श्री चन्द्र भानु गुप्त जी ईमानदारी से बात करें तो मेरा अपना खयाल है कि उन को अपने चुनाव से नियमानुसार हटना पड़ेगा। मेरे खयाल में गुप्ता जी ने अपने चुनाव में दो-तीन लाख रुपये खर्च जरूर किये हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी अपने को गांधीवादी कहते हैं, गुप्ता जी के छोटे भाई हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उन की नीति में भी कोई फर्क नहीं है। चौधरी साहब तथा उन के दल ने गरीबों को वोट तक नहीं डालने दिया। जिस समय राजा दिनेश सिंह जी का प्रोफेसर बासदेव से सन् १९६७ में चुनाव हुआ था, उनके क्षेत्र में भी डंडे और पैसे के बल पर वोट डलवाये गये। उस समय चौधरी साहब कांग्रेस में ही थे और उन के क्षेत्र में भी इसी प्रकार गरीबों के वोट चौधरी साहब के हिमायतियों ने अपने आप डाला था। अब भी पश्चिमी जिलों में जो आदमी चौधरी साहब का हिमायती नहीं था वह चाहे किसी भी बिरादरी का हो उसको आजादी के साथ वोट डालने नहीं दिया गया। जहां-जहां कांग्रेस ताकत में है वहां भी यही हालत हुई और यही काम किया गया। वास्तव में सभी ने जनतन्त्र को कुचला है और जो अपने को जनतन्त्र का पुजारी तथा अपने को गांधीवादी कहते हैं वे उन के नाम पर कलंक लगाते हैं। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि डंडे के बल पर और पैसे के बल पर वोट लिये जायं। देश व प्रदेश में गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो लोग शासन में बैठे हुये हैं उनका गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं है और न वे गरीबी मिटाना चाहते हैं। वास्तव में अगर गुप्ता जी गरीबी मिटाना चाहते हैं तो बड़े कृषकों से जमीन लेकर भूमिहीन जनता को जमीन देकर शक्तिशाली बनाया जाय, उन को शक्तिशाली बनायें। दो तरह की तालीम खत्म करें और मन्त्री का लड़का तथा पुलिस के सिपाही का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ने जायं।

चौधरी साहब ने पुलिस की आज निन्दा की तो मुझे याद आ गया कि वे कुछ दिन पहले पुलिस के मन्त्री रहे हैं। तब वे पुलिस की निन्दा नहीं करते थे, उसकी सराहना करते थे। हमारे जैसे लोग पुलिस के रवैये को अच्छी तरह जानते हैं जो २२ साल से डंडे खाते-खाते न्याय की मांग करते रहे, परन्तु उन्हें न्याय नहीं मिला और न अभी कोई आशा है। चाहे वह चौधरी चरण सिंह की पुलिस हो अथवा गुप्ता जी की पुलिस हो।

मैं मेरठ की अनेक घटनाएं चौधरी चरण सिंह साहब के कानों में पहुंचाना चाहता हूं। परतापुर मेरठ तहसील का एक गांव है। वहां ८-९ तारीख को एक हरिजन की बारात गयी। बराती अपने बरात में ढोल तासा बजा रहे थे। वहां बी० के० डी० की पार्टी के लोगों ने उस बारात को पीटा, उनका माल भी लूट लिया। उसके बाद ६ आदमियों की डाक्टरी हुई मगर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी-अभी मेरठ की मवाना तहसील के खेडी गांव के एक हरिजन परिवार में दो आदमियों का कत्ल किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बी० के० डी० को राय नहीं दी थी। अभी-अभी मेरे क्षेत्र किठौर में बी० के० डी० के लोगों ने भूमिहीनों के साथ इतना आतंक मचा रखा है कि ऐसा किसी भी आजाद देश में नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि चन्द्रभानु गुप्त की सरकार इन गरीबों को न्याय दिलायेगी। आज जिसके हाथ में ताकत है वह गरीबों को सता रहा है वे ही गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर बनाते चले जा रहे हैं और यहां गरीबों की बात कहते हैं। हम को तो लगता है कि हमारे देश का जनतन्त्र खतरे में है। इसके बारे में हम सब को सोचना पड़ेगा। वास्तव में अगर हमें जनतन्त्र से मोहब्बत है तो इन बातों से काम नहीं चलेगा। हमें एक जगह बैठ कर जनतन्त्र के बारे में सोचना चाहिये कि कैसे हमारा जनतन्त्र बच पायेगा। क्या हमने देश को इसी लिए आजाद कराया था कि २२ साल के बाद भी आज हमारे गवर्नर मुगलों की तरह इस सदन में आयें? आज भी वह इतने बड़े महल में रहें और लाखों रुपये रोज उन पर खर्च हों? और आज भी उन डाक बंगलों में हमारे वजीर ठहरेंगे जिनमें हमारे देश और गरीबों को लूटने वाले रहा करते थे? उधर के बैठने वाले संविद की निन्दा करते हैं। आखिर संविद रही कितने दिन। राज तो आप ही लोगों का है। चाहे वह बिहार में हो, चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो। जब केन्द्र की सरकार टूटेगी कांग्रेस गिरेगी तभी इस देश में गरीबों को राहत मिल पायेगी। कांग्रेस वाले कहां चाहते हैं कि गरीबों को रोटी मिले। हमारा मन तो राज्यपाल से कभी मिलने को भी नहीं करता। २२ साल पहले जिस देश की आजादी के लिए हमारे पुरखों ने खून बहाया, जिसके लिए हमारी बहनें जेल गयीं वह इसीलिए कि यहां चन्द आदमी सुखी रहेंगे और बाकी सभी दुखी रहेंगे। गरीबों का राज्य होगा। कहां गरीबों का राज्य बना?

अभी प्रदेश में गरीबों के लिए दवाई की चर्चा चल रही थी। राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में चर्चा की। हम तो मेरठ के बारे में कहना चाहते हैं। हम समझते नहीं हैं कि हम एक आजाद देश के नागरिक हैं। हम तो अपने को अपाहिज मानने के लिए तैयार हैं। आज मेरठ के अस्पताल में ऐसा डाक्टर है, वहां ऐसा सिविल सर्जन है कि जिसे मुगलों के जमाने में भी शायद हमारे देश के नागरिक बर्दाश्त नहीं करते। मगर वह किसी न किसी मन्त्री या बड़े आदमी के खास आदमी होंगे, उनको कोई कहने वाला नहीं है। आज वहां किसी गरीब को न पट्टी मिलेगी, और न ए० पी० सी० की गोली ही मिलगी। बगैर पैसा दिये गरीब का मरीज भर्ती नहीं हो पाता, चाहे वह टी० बी० वार्ड में हो या जनरल वार्ड में हो। गरीब आदमी आज भी बगैर दवाई के मर जाता है चाहे वह चन्द्रभानु गुप्त की सरकार हो या चौधरी चरण सिंह की सरकार हो। चौधरी साहब ने इतनी देर भाषण दिया उन्होंने अपनी बात पर ध्यान नहीं दिया। २० साल कुर्सी पर रहे। उस के बाद संविद की कुर्सी पर रहे। मगर कोई ऐसा नया काम नहीं कर पाये जिस से प्रदेश की गरीबी पर रोक की जाती। इस देश व प्रदेश में नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए दल बदल लेते हैं परन्तु जनता निन्दा नहीं करती। दल बदलू ऐसा आदमी है जिसकी निन्दा की जानी चाहिये। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य कि आज उसको आदर दिया जाता है। अभी गेंदासिंह जी बोल रहे थे तो ऐसा

[श्री मंजूर अहमद]

लगता था कि वे गुप्ता जी को डरा रहे थे। इसके अलावा और कोई तथ्य नहीं था। जब वह निन्दा करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देत ? वह निन्दा भी करते हैं और उधर ही बैठते भी हैं।

आज हमारे यहां गरीब आदमी सिसक रहा है। उसको न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अन्याय करने वाला चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको सजा मिलनी चाहिये। अन्याय करने वाले किसी भी अफसर को माफ नहीं किया जाना चाहिये। हमारे जिले के जितने भी सरकारी अफसर हैं करीब-करीब वे और जो आला अफसर हैं उन्होंने मीटिंग्स कीं, पैसा मांगा और खुल्ममुल्ला क्रांति दल के लिये वोट्स मांगे। मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह जो अपने आपको गांधीवादी कहते हैं। वे क्यों गांधी जी के नारे को बदनाम करते हैं। उनके दल का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां डंडे के बल पर वोट न पड़े हों। जो डंडे के बल पर जीतकर आया है, जिसने लाखों रुपये खर्च किये हैं, जिसने लोगों को शराब पिलाई हो, वह कैसे गांधी जी का चेला हो सकता है ? मैं आपके जरिये दोनों दलों के नेताओं से दरख्वास्त करूंगा कि वे गांधी जी के चेले की बात कह कर उनको बदनाम न करें, उनकी आत्मा को दुख पहुंचता होगा। मैं माननीय गुप्ता जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे प्रदेश की गरीब व दुखी जनता को राहत देने के लिये और बेरोजगारी मिटाने के लिये ठोस कदम उठायें। वे इस बात की परवाह न करें कि वह किस पार्टी का है।

मेरठ जिले में मेरे क्षेत्र का पसवारा एक गांव है। वहां के भूमिहीनों का बी० के० डी० वालों ने टट्टी-पेशाब तक भी बन्द कर रखा है। मैंने वहां के अफसरों से भी कहा है और नेताओं से भी कहा है कि प्रदेश के नागरिक के साथ ऐसा क्यों किया जाता है ? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल यह बात कब तक चलती रहेगी ? यह बात खत्म होनी चाहिये वरना हमको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे जो जनतंत्र के लिये खतरे की बात बन जायेगी। मैं राज्यपाल जी के भाषण में जो संशोधन रखा गया है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे प्रदेश की जनता सुखी बने।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस समय महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। मान्यवर, आज सदन में एक लम्बे अरसे के बाद हम लोग ऐसे वातावरण में एकत्रित हुए हैं जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि पिछले दो वर्षों में हमारा प्रदेश किन परिस्थितियों में से निकला। आज हमारे विरोधी दल के लोगों की ओर से हमारे धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर अनेक संशोधन आये हैं। लेकिन देखना यह है कि जब राष्ट्रपति शासन हमारे यहां था और संविद सरकार थी तो हमारा प्रदेश किन परिस्थितियों में गुजर रहा था। हमारे विपक्ष के वक्ताओं के भाषणों से ऐसा लगता है कि आज हरिजनों के साथ जो उदारता दिखाई जा रही है उसके संबंध में हमें यह कहने में हिचक नहीं होगी कि संविद सरकार के जमाने में जो हरिजनों की उपेक्षा की गई है वह किसी इतिहास में नहीं हो सकती। यों तो कहा जाता है कि उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं किया उनको सुविधायें नहीं मिलीं। लेकिन जब संविद ने १८ सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था उन्होंने हरिजनों के हित की ओर क्या ध्यान दिया ? उसमें प्रशासन कितना दूषित और आतंकित हो उठा था ? यह भुलाया नहीं जा सकता। पिछले चुनाव में जो घटनायें इस प्रदेश में हुईं उन्हें किसी प्रकार प्रजातंत्र के हित में नहीं कहा जा सकता। कोई राजनीतिक दल जो समाजवाद का नारा लगाने वाला हो, उसके ऐसे कार्यों से जनतंत्र को कोई प्रेरणा नहीं मिलती और स्वच्छ वातावरण नहीं पैदा होता। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर हमें इस प्रदेश में स्वच्छ परंपरा कायम करनी है तो हमें सबसे पहले जो प्रदेश में आतंक और दूषित वातावरण उभर आया है उसके लिये नया कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। तभी हम प्रदेश में जनतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। पिछले चुनाव में जो खबरें मिली हैं, और जिस प्रकार जो घटनायें घटी हैं

जिम्मेदार पार्टियों के द्वारा उस दूषित वातावरण में विशेष कर हरिजन समाज ही प्रभावित हुआ है। उनको वोट डालने नहीं दिया गया। हरिजन और पिछड़े वर्गका वास्तव में उत्थान करना पड़ेगा केवल सदन में कह देने से काम नहीं चलेगा। जहां तक भूमिहीनों की समस्या है, उसके लिय मैं सुझाव देना चाहता हूं। भूमिहीनों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिये। कृषि का उत्थान तभी होगा। पिछले दो वर्षों में जो वातावरण प्रदेश में रहा उससे प्रदेश बहुत दुखित है, उस वातावरण को बदलना है।

जहां तक हमारे कर्मचारियों का प्रश्न है उसके लिये हमारी सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं वह और जैसा कि महामहिम राज्यपाल ने हर एक समस्या को लेकर एक पंचवर्षीय योजना के अन्दर प्रदेश की उन्नति के लिये जो नीति प्रस्तुत की है वह सराहनीय है। मैं उनकी नीति की पूरी-पूरी प्रशंसा करता हूं। एक सज्जन पता नहीं वह किस पार्टी के माननीय नेता हैं, जब वह मत्री थे, संविद सरकार के जमाने में उस समय उन्होंने जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या प्रयत्न किया? उस समय उनके शासन में मालूम पड़ता था कि हमारे प्रदेश में गंगा यमुना उभर कर हिमालय तक ऊंची उठ जायेगी लेकिन देखने को क्या मिला? कहीं पर कोई योजना ऐसी नहीं हो पायी जिससे प्रदेश का हित हो सकता था।

मैं एक अपने हरिजन भाइयों की बात ही मिसाल के लिए यहां पर नहीं कहना चाहता हूं। मैं अन्य बातें भी कहना चाहता हूं। उधर से बार-बार कहा जा रहा है कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि जब आपने साढ़े दस महीने शासन किया तो आपने जनता के लिए क्या किया? सन् ६७ में हरिजनों के उत्थान के लिए केवल २ करोड़ रुपया रखा गया। जिस संविद सरकार का गीत गाया जाता है, उस सरकार ने उनको पहले से मिली सुविधाओं को भी समाप्त कर दिया था। न उनके लिए कोई वजीफा रखा गया, न कोई ग्रान्ट रखी गयी। प्रदेश एक अस्थिरता के वातावरण में पड़ा था। यदि दुर्भाग्य से देश के अन्दर कांग्रेस संस्था इधर से उधर हो गई तो देश का वातावरण बिल्कुल अविकसित हो जाएगा और देश में प्रजातन्त्र की रक्षा करने वाली कोई संस्था सामने नहीं रह जाती है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के लिए रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करता हूं और उसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन किया गया है या रखा गया है उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बड़ी देर से काफी बहस चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया था, उसे भूलकर लोग एक दूसरे की आलोचना करने में लग गये हैं। कुछ ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त जो लोग चुनकर आए हैं या पहले से जो कुर्सियों को घेरते रहे हैं उनमें सब एक दूसरे की आलोचना करना और कुर्सियों को हथियाना ही देश की सेवा करना समझते हैं। २० साल के अन्दर जो देश की हालत हुई है, उसके बारे में किसी ने न तो कोई ध्यान ही दिया है और न कुछ कहने का साहस ही किया है। मैं थोड़ी देर में इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा कि आगरा जिले से चुनकर आया हूं, आगरा जिले में तो किसी को यह भी एहसास नहीं है कि हम आजाद हो गए हैं। एक तहसील अवश्य जिले में ऐसी है जिसमें इस २० साल में कुछ कार्य हुआ है, कुछ निर्माण सड़कों का भी हुआ है, एक–दो बन्धी भी बन गई हैं, थोड़े पानी का भी इन्तजाम हो गया है। किन्तु पूरे शेष आगरा जिले की जो दशा है, जो नहरें हैं उनमें एक इंच की भी वृद्धि नहीं हुई है, कोई ट्यूबवेल नहीं है, बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है। यहां किसान इतना गरीब है कि यदि उनसे लगान के लिए कहा जाए तो वह मुल्तवी करने को चिल्लाए, इसके सिवा को उनके पास चारा नहीं है। लेकिन यहां पर सब कुर्सियों को हथियाने तथा एक दूसरे की आलोचना करने पर लगे हुए हैं इसके सिवा और उनके पास कोई कार्य करने को नहीं है।

अभी हमारे उधर से मंजूर अली साहब बयान कर रहे थे कि चौधरी साहब की कांस्टीट्यून्सी में जनता से शराब की बोतलों और डंडों के बल से वोट लिया गया। इसे

[श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)]

सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में कभी गया ही नहीं उसके बारे में ऐसा कहना, उस पर ऐसा दोष लगाना न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है, यह उस व्यक्ति के प्रति सरासर ज्यादती ही है। चौधरी साहब तो अपने चुनाव क्षेत्र में गये ही नहीं, वह तो पूरे प्रदेश भर में दूसरे लोगों के क्षेत्रों में भाषण देते फिरते रहे। उसके बारे में यदि मंजूर अहमद साहब ऐसी बात कहें कि चौधरी साहब ने ऐसा कराया है तो मैं समझता हूं यह नासमझी की ही बात है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है....

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बदतमीजी शब्द का प्रयोग किया है, इसे उन्हें वापस लेना चाहिए।

श्री रघुनाथसिंह (आगरा)---

मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग किया है न कर सकता हूं। शायद आपने ठीक से सुना नहीं है। मैंने नासमझी शब्द अवश्य प्रयोग किया है शायद आपको उसी से कोई भ्रम हुआ है।

श्री अधिष्ठाता---

यदि माननीय सदस्य कह रहे हैं तो ठीक है, ऐसा शब्द नहीं प्रयोग हुआ होगा।

श्री रघुनाथ सिंह (आगरा)---

अगर हमारे भाई साहब ने ऐसा समझा है तो मैं अपनी गलती वापस ले लूंगा लेकिन मैंने वह शब्द नहीं कहे थे और न कभी कहने का इरादा है।

तो मैं कह रहा था कि दर असल यह दोष केवल इतना है कि हम देश के बारे में न सोचकर केवल एक दूसरे की नुक्ताचीनी में समय बिताते हैं। अभी हाल में जो खेर साहब का चुनाव हुआ उसमें विरोध पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों ही इसलिये सहमत हो गये क्योंकि खेर साहब में सभी को विश्वास था, इसी प्रकार से हमारे भाई साहबान जो सरकारी पक्ष में बैठे हुये हैं उन्होंने अपने नेता का भी एकमत से चुनाव कर लिया होता तो सरकार अच्छे ढंग से चल सकती थी। कहने को तो चुनाव नेता जी का निर्विवाद हुआ है लेकिन अगर सब लोगों से बात की जाय तो नेतृत्व जो सरकारी पक्ष का है उसमें सरकारी पक्ष वालों की ही एकता नहीं, विरोध पक्ष वालों की बात तो जाने दीजिये। इसलिये मैं कहता हूं कि यदि सरकारी पक्ष अपने नेतृत्व को ही बदल दे तो शायद विरोधी पक्ष भी उनके साथ सहगत हो जाय और देश का भला हो लेकिन आज नेतृत्व की कमी है और इसी वजह से विरोध पक्ष भी उनको साथ देने को तैयार नहीं है। सरकारी पक्ष से विरोधी पक्ष के नेता के बारे में तो उल्टी सीधी बातें कहने के सिवाय कुछ कहने के लिये ही नहीं है जब कि सरकारी पक्ष के नेता के और सरकारी पक्ष के बारे में जो बातें वहां कही जाती हैं वह जनता का हर आदमी अपनी जबान पर लाता है और जब जनता का हर आदमी अपनी जबान पर किसी बात को लाता है तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा ठोस बात हो ही नहीं सकती। लिहाजा मेरी प्रार्थना सरकारी पक्ष के लोगों से है कि वे अपने नेतृत्व को बदलें और उसको बदलकर कोई दूसरा भाषण करायें और उसमें हमारे संशोधन को मान लें और तब आगे बजट लावें। जय हिन्द।

*श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी का है, उसका समर्थन करते हुये माननीय विरोधी दल के नेता ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो संबोधन इस सदन में प्रस्तुत है वह सरकार की नीतियों का एक दिग्दर्शन होता है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन पेश किया है वह तीन खंडों में है। उसका पहला खंड है "उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण तथा उसके समाधान पर समुचित प्रकाश नहीं डाला।" माननीय नेता विरोधी दल का मैं उनके व्यक्तिगत हैसियत से बड़ा आदर करता हूं किन्तु दुख है कि इतने पुराने अनुभवी, जिन्हें सरकारी और विरोधी पक्षों के बेंचों का अनुभव हो चुका है वे बिना अभिभाषण के पढ़े हुये ही इसमें संशोधन कर देंगे। पहला खंड, जिसका मैंने अभी संदर्भ दिया है, यदि वह कृपा कर देख लेते तो उनकी समझ में आ जाता कि इससे सुन्दर और कोई भाषण नहीं हो सकता था। इस भाषण की पंक्तियों में लिखा गया है कि "आगामी वित्तीय वर्ष का अन्तिम बजट एवं अन्य विधायी कार्यों पर विचार के लिये आपको इसके बाद यथा समय बुलाया जायगा और तभी सरकार अपनी नीतियों व कार्यक्रमों को विस्तार से सामने रख सकेगी।" इस सम्बन्ध में मैं केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सरकार की नीतियों को विस्तारपूर्वक रखे जाने का उन्होंने संकेत कर दिया है। कुछ समय के बाद जब हम एकत्र होंगे उस समय वह सामने आयेगा। आज तो उन्होंने मुख्य बात का ही संकेत किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे सुन्दर और कोई भाषण नहीं हो सकता था कि जिसमें सारी बातों का समावेश हो जाय।

दूसरी तरफ उन्होंने आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों और प्रदेश के प्रशासन एवं सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के निरोध के लिये और तीसरे खंड में काश्तकारों की स्थिति सुधारने के लिये उन्होंने कहा है। पांचवें खंड में आर्थिक विकास में कमी और बेकारी, गरीबों की आय में असमानता और भ्रष्टाचार में वृद्धि और प्रशासन में अकर्मण्यता के विषय में ठोस कदम उठाने की बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी साहब अपनी पुरानी आदत के अनुसार शायद इन बातों को दोहरा रहे हैं क्योंकि आर्थिक विकास के सम्बन्ध में जो उन्होंने जिक्र किया और जो उन्होंने बतलाया वे सब बातें करीब-करीब विस्तारपूर्वक इसमें कही गई हैं। इस भाषण का जो दूसरा पेज है उसमें आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारा प्रदेश भारत के सब से पिछड़े हुये राज्यों में से एक है यह बात स्पष्ट रूप से महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में स्वीकार की है। फिर इसके निराकरण के लिये जो उन्होंने समुचित प्रकाश डाला है मैं समझता हूं वह सबसे बड़ा प्रकरण इस भाषण का है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि इस बात की हम भरसक चेष्टा करेंगे कि केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता मिले जिससे प्रदेश की योजना को कुछ और व्यापक बनाया जा सके और कुछ बहुत आवश्यक योजनायें, जिनको योजना का आकार कम होने के कारण काटना पड़ा उनको चौथी योजना के दौरान में कार्यान्वित किया जा सके ताकि चौथी योजना में पूरी आर्थिक स्थिति को हम अच्छा कर सकें। उससे इस प्रदेश की पर कैपिटा आमदनी दूसरे प्रदेशों के साथ आने में बहुत सहायता मिलेगी। इस विषय में इससे सुन्दर और क्या प्रकाश डाला जा सकता था?

मैं एक और तथ्य की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। उन्होंने प्रशासन में और सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के निरोध का जिक्र किया। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दो खंडों में विशेष रूप से जिक्र किया गया। एक सार्वजनिक जीवन में और दूसरा प्रशासन में मैं उनका आदर करते हुये यह कहना चाहता हूं कि हालांकि वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, कि जब वह माल मंत्री थे तो उस समय उनके सामने एक बार पटवारियों का प्रश्न उत्पन्न हो गया था। उस समय २८ हजार पटवारियों ने प्रदेश में हड़ताल कर दी थी। उस समय वह उनसे इतने रुष्ट थे कि उनको निकालने पर तुले हुये थे। नैनीताल में वह उस समय टिके हुये थे और मैं उनके पास के कमरे में ठहरा हुआ था। रोजाना घूमने के लिये जाया करते थे। साथ-साथ हम आया जाया करते थे। मैंने उनसे कहा था कि पटवारियों को समझा बुझाक बहाल कर दीजिये। तो उस समय उनका एक ही नारा था। उस समय उन्होंने कहा कि तुम जानते हो मैं भ्रष्टाचार का घोर विरोधी हूं और प्रशासन में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आधार ये पटवारी ही हैं जिनको आज लेखपाल कहा जाता है। इन पटवारियों के कारण ही भ्रष्टाचार

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

फैला हुआ है जो नीचे से ऊपर को चलता है तो वह इनको निकाले बिना मिट नहीं सकता है। उनकी भावना ऐसी प्रतीत होती थी कि प्रशासन के अन्दर इन पटवारियों को निकालने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा। मैंने उनसे निवेदन किया कि ये काश्तकारों से प्रति नकल दो रुपया लेते हैं। इससे अधिक और ज्यादा रिश्वत ये नहीं ले सकते हैं और ज्यादा बेईमानी नहीं कर सकते हैं। और वह भी प्रायः काश्तकार अपनी रजामन्दी से उनको दे देता है। परन्तु मेरे निवेदन को उन्होंने समझते हुए नहीं माना और अन्त में उन २८ हजार पटवारियों को निकाल कर लेखपाल रखे उनके स्थान पर। मैं इस बात को बिना किसी संकोच के कह देना चाहता हूं कि लेखपाल ने २ रुपये के स्थान पर २५ गुना भ्रष्टाचार माननीय चरणसिंह के माल मंत्री होते हुए शुरू किया और ५० रुपया रिश्वत दो रुपये के बजाय लेना शुरू कर दी। मैंने फिर निवेदन किया तो उत्तर दिया कि "वहां तो आदमी का आधा ही खराब है, क्या किया जाय ?" तो जब उनके साथ में पूरी शक्ति थी, उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक कदम उठाया और उसमें सफलता न मिलने के कारण उन्होंने घुटने टेक दिये। तो आज किस बात पर नारा लगाया जाता है और दावा किया जाता है और अभिभाषण में जोड़ा जाता है कि उसमें भ्रष्टाचार का तजकिरा नहीं किया गया ?

दूसरे सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार का जिक्र किया है, मैं अदब के साथ यह कह सकता हूं कि उनके शब्दों में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार क्या रुपया पैसा, रिश्वत खाना ही होता है या ब्लैक मार्केटिंग होता है या नैतिक पतन ही सबसे बड़ा मूल कारण है। इस सम्मानित सदन के अन्दर आचार्य नरेन्द्रदेव बड़े प्रकांड नेता और विद्वान् रहे हैं। ऐसा अवसर आया कि वह ट्रेजरी बेंच से फ्लोर क्रास कर गये, लेकिन उसके पूर्व उन्होंने सम्मानित सदन और लोकतंत्र की मर्यादा को निभाते हुए सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया और चुनाव लड़े। सौभाग्य से मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूं, वहां से वे पराजित हो गये और नहीं आये तो बाद में सार्वजनिक सभा में उन्होंने हर्ष प्रकट किया कि कोई बात नहीं, जिस प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हमने स्थापना की है, उसको हमें जीवित रखना है और उसी का यह मार्ग है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहूंगा कि आज से लगभग दो वर्ष पहले इसी सम्मानित सदन के अन्दर महामान्य राज्यपाल के संबोधन पर ही इसी तरह का धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत था और इस सरकार को बनाने की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता के चुनाव के समय माननीय चन्द्रभानु गुप्त का नाम उन्होंने ही प्रस्तुत किया था, जैसा कि हमने अखबारों में देखा था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने तो गये ही, साथ ही अपने चेलों को भी ले गये और फ्लोर क्रास कर गये। मैं समझता हूं कि यह सार्वजनिक जीवन में नैतिक पतन का सबसे बड़ा प्रमाण और सब से बड़ा भ्रष्टाचार था। इस पर भी भ्रष्टाचार का नारा लगाना उनके लिए शोभा नहीं देता, "सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद !!"....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सदन में शान्ति कायम रहे।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मैं डायरेक्ट उत्तर नहीं देना चाहता। तीसरे खंड के अन्दर प्रशासन की कुशलता और सुरक्षा की व्यवस्था के सुधारने पर जोर दिया गया। जहां तक सुरक्षा की व्यवस्था को सुधारने की बात है, माननीय नेता विरोधी दल जिस समय संविद सरकार के मुख्य मंत्री थे जो कि ९–१० महीने चली, उन के कार्य-काल का मैं जिक्र करना चाहता हूं। क्या अपने हाथ में शक्ति और प्रशासन आने के बाद सुरक्षा का यही नमूना था कि मेरठ और इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगे हुए, थानों के अन्दर डकैतियां, चोरियां और कत्लों का बढ़ना। मैं नानपारा का उदाहरण देना चाहता हूं। उनकी सरकार बनने के पहले वहां रेकार्ड नहीं था, लेकिन बनने के बाद डकैतियों, चोरियों और कत्लों का एक रेकार्ड कायम हो गया और ३ महीने के अन्दर १४ कत्ल वहां हुए हैं।

उसके पहले कभी अंग्रेजी सरकार या कांग्रेस सरकार के जमाने में कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि जब अपने हाथ में शासन हो और अपने को कार्य करना पड़े उस समय कुछ न करना और विरोधी दल के रूप में बैठ कर इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करना और सब चीजें सामने लाकर रखना कि यह कमी है, वह कमी है, यह संशोधन होना चाहिए, मैं इस नीति को अच्छा और उपयुक्त नहीं समझता। इसलिये मैं इसका कभी भी समर्थन करने के लिये तैयार नहीं हूं। और उनका घोर विरोध करता हूं।

दूसरी ओर उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए क्लास और कास्ट के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया। जातिवाद के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय भारतीय क्रान्ति दल मध्यावधि चुनाव लड़ रहा था तो चौधरी साहब के पीछे जो उनका विशेषण "चौधरी" लगा हुआ है उसका एक नंगा रूप हम लोगों को पश्चिमी जिलों में सुनने को मिला है। पश्चिम की बात को मैं छोड़ देता हूं, मैंने खुद देखा है कि पश्चिम की गन्दगी पूर्वी जिलों में भी आ गयी और पूरब के इन क्षेत्रों में जहां ज्यादा कुर्मी और अहीर लोग रहते हैं, "चौधरी" शब्द का प्रचार कर करके भारतीय क्रान्तिदल के उम्मीदवारों ने उसका लाभ उठाया और जहां पर जिस जाति का बाहुल्य था उनका वोट भारतीय क्रान्ति दल को दिलवाया। ऐसे कई नमूने वहां देखने को मिले हैं।

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अभी तक मैं चाहता था कि सम्मानित सदस्य इस सदन की परम्परा के अनुसार इस धन्यवाद के प्रस्ताव को मान लेंगे। वरना मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जो अपने संशोधन में दिया है जिसमें कहा गया है कि "मध्यावधि चुनाव में हुई हिंसा तथा आतंक आदि की घटनाओं की न्यायिक जांच करने तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच विधेयक को लागू कराने की घोषणा नहीं की है," उस सम्बन्ध में खड़े होकर वे कुछ कहेंगे। मैं मानता हूं कि जो उन्होंने यह संशोधन दिया है उसका इस अभिभाषण से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने पहले ही कहा है कि थोड़े समय के बाद सरकार अपनी नीतियों व कार्यक्रमों को विस्तार से आपके सामने रख सकेगी तथा उसमें आने वाले कार्य जो हैं यह एक वृहत् विषय है, लेकिन सबसे अहम मसला इस बात का है कि हम प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये, जिस प्रजातंत्रीय प्रणाली में प्रदेश की जनता विश्वास रखती है और जिसके लिये हमारे देश के प्रतिष्ठित नेताओं ने बलिदान किया है, तपस्या में खपा कर अपने जीवन को नष्ट किया है, उन्होंने कुछ संस्थाओं की रचना करने के लिये प्रजातंत्र की बुनियाद डाली थी। रियासतों के जमाने में जब कि राजाओं व ताल्लुकेदारों का बोलबाला था, अगर कोई खुले आम उनके विरोध में तथा कांग्रेस के पक्ष में वोट डालता था तो उसे तरह-तरह से परेशान किया जाता था, उसके घर फुंकवा दिये जाते थे तथा उन पर तरह-तरह के अत्याचार किये जाते थे, तो उन अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिये ही गुप्त मतदान की व्यवस्था की गयी। तो गुप्त मतदान के स्वतंत्रतापूर्वक इस्तेमाल करने का जो अधिकार मिला हुआ है, मैं आपके माध्यम से माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके यहां इसका सही इस्तेमाल होने दिये गया। श्री सलेकचन्द के साथ जो कुछ भी हुआ वह जातिवाद के नाम पर ही हुआ। और तो और विधायक निवास से जब हम लोग आते हैं तो एक हफ्ते से एक व्यक्ति रोज पैम्पलेटों के द्वारा तरह तरह के प्रचार करता है और दीवारों पर जो लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है, उसका विरोध करने का साहस आपको क्यों नहीं होता है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

पैसे प्राप्त करके वह व्यक्ति लिखा करता है। इस तरह का एक पत्र माननीय चरणसिंह के पास भी है कि ५०० रुपये लेकर उनसे यह लिखवाया गया।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

मैं आपके द्वारा माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि अगर पैसे लेकर ही वह व्यक्ति लिखता है तो उसका उत्तर आपकी तरफ से क्यों नहीं दिया जाता ? एक हफ्ते से वह व्यक्ति बराबर प्रचार कर रहा है कि न्यायिक जांच होनी चाहिये। सी० आई० डी० की जांच हुई और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने भी अपना एक संशोधन दिया है कि हिंसा आदि की जांच होनी चाहिये। अखबारों में सी० आई० डी० की रिपोर्ट निकल चुकी है और जांच के कुछ तथ्य भी सामने आ गये हैं। तो मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि जहां पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के ऐसे ज्वलन्त उदाहरण देखने को मिलते हों और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचे हुए और इतने अनुभवी हों, इस बात की कोई चर्चा नहीं की गयी है, इससे मुझे बहुत दुख होता है। इसलिये मैं उनके संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता और मैं उनसे आशा करता हूं, वे एक विद्वान् आदमी हैं, अपनी कमजोरी को मानने वाले हैं, वे अवश्य अपने संशोधन को वापस लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो एक सुन्दर अभिभाषण दिया है और उसके प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसे निर्विरोध पास होने देंगे। इस अभिभाषण में उन्होंने सभी बातों पर प्रकाश डाला है। सारी चीजों का इसके अन्दर समावेश आ चुका है। इसलिये इसे निर्विरोध पास होना चाहिये ताकि प्रदेश का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि आज सम्भवत: चर्चा का रुख कुछ बदल गया। उस पक्ष की ओर से ऐसा लग रहा है जैसे चौधरी चरण सिंह की निन्दा का कोई प्रस्ताव चल रहा है और इधर से, जो संशोधन रखा गया है उस पर प्रकाश डाला जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी को एक 'मंत्र' तो अवश्य मिला। किन्तु हमें उस मंत्र को बोलने वाले की पवित्र आत्मा को भी देखना होता है। केवल 'मंत्र' की अच्छाई से ही काम नहीं चलता, 'मंत्र' के साथ साथ 'मंत्री' के कार्य-कलापों की ओर भी हमको देखना होता है, यह मेरा निवेदन है।

श्रीमन्, सरकार की ओर से यह तो मान लिया गया कि हमारा प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश है और यह भी कहा गया कि पिछले ९ महीनों में कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि आप पिछले २१ वर्षों के इतिहास को क्यों भूल जाते हैं। पिछले २१ वर्षों में जो मैल और काई जमी हुई है उसको ९ महीनों में कैसे हटाया जा सकता है। उसके लिये आपको संयम रखना चाहिये था।

यह कहा गया कि जनसंख्या बहुत अधिक है। उसके लिये उचित या अनुचित रूप से आपका तिकोना चल रहा है। यह कहकर ही काम नहीं चलने वाला है। आपने उद्योगों के बारे में भी कहा है। देश की और प्रदेश की प्रगति उसके साथ जुड़ी हुई है। आपने नये उद्योगों को कुछ छूट भी दी है, बिक्री-कर आदि में भी छूट देने की बात कही है, परन्तु इस बात की ओर अभिभाषण में कहीं कोई संकेत नहीं है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं वे कैसे कम होंगी ? और कैसे उपभोक्ता को राहत पहुंचाई जायेगी ? आप तो उद्योगपतियों को ही अधिक राहत पहुंचाना चाहते हैं, आप उनके ही मुनाफे को बढ़ाना चाहते हैं, उपभोक्ता की ओर आप कतई विचार नहीं करते। मेरा निवेदन है कि आप जब उद्योगों की बात करें तो श्रमिक को न भूल जायें। सरकार की ओर से कहा गया है कि श्रम-कानूनों का दृढ़ता के साथ पालन किया जायगा। उनका पालन करने की बात तो २० वर्षों से कही जाती रही है। परन्तु होता क्या है ? जब किसी श्रमिक का मसला होता है तो उसके मसले को इस तरह कन्सीलियेशन आदि में डालकर ऐसा उलझा दिया जाता है कि वह मर जाता है, उसके बच्चे मर जाते हैं, लेकिन उसको न्यायालय नहीं जाने दिया जाता। उसके लिये आपको श्रम कानूनों में आवश्यक संशोधन करना होगा। श्रमिक-कानूनों के अन्दर संशोधन करने का तात्पर्य यही है कि जो तीनतीन सौ यूनियन्स पड़ी हैं रजिस्ट्रेशन कार्यालय में---उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। इतने कठोर नियमों को

बना दिया गया है अगर श्रमिक कानूनों को ऐसा बना दिया गया है जिसमें कोई भी श्रमिक संस्था आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाती, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता जिससे मान्यता नहीं मिलती।

आज श्रमिकों की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश का श्रमिक सब से गिरी हुई आवस्था में है। हमारे यहां अनेकों विवाद हैं। उनमें से कितने विवाद हैं कि जिन विवादों को न्यायालय के सुपुर्द किया गया? जिन विवादों के अन्दर श्रमिकों को राहत दे पाये? हमने श्रमिक कानूनों को कठोरता से पालन करने की बात कही लेकिन उनको परिवर्तन करने और संशोधन करने की बात नहीं की। मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हमने राजकीय कर्मचारियों के बारे में भी ह्विटले काउन्सिल बनाने की बात कहकर ही सन्तोष या शान्ति कर ली। उनके प्रतिदिन के जो विवाद हैं उससे उनके सुलझाने का प्रयास तो हो सकता है उसको मैं नजर अन्दाज नहीं करना चाहता। वह भी एक प्रक्रिया है वह तो आपस में बातचीत से सुलझाने का एक साधन है। लेकिन इस ओर कोई संकेत नहीं किया गया है कि आज राजकीय कर्मचारी के सामने जो महंगाई भत्ते का प्रश्न है, जो पैरिटी का प्रश्न है उसका क्या होगा? इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि जिन लोगों को निलम्बित किया गया है, जिनको दण्डित किया गया है उनको दोबारा से नौकरियों पर लिया जाय। इस पर भी कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं मिलता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारे प्रदेश के अन्दर हजारों केन्द्रीय कर्मचारी हैं। जो मुकदमे उनके ऊपर न्यायालयों में विचाराधीन हैं १९ सितम्बर की सांकेतिक हड़ताल के कारण, जो हड़ताल के दिन कायम किये गये या बाद में पुलिस ने कायम किये उन मुकदमों पर विचार करना चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार, दिल्ली की सरकार ने, बंगाल की सरकार ने, और केरल की सरकार ने उन सब कर्मचारियों पर आरोपित मुकदमों को वापिस ले लिया है, मामूली मुकदमें हैं १९ तारीख के एक दिन की सांकेतिक हड़ताल होने के बारे में दर्ज किये गये हैं। एक कर्मचारी दफ्तर के दरवाजे पर गया और दरवाजे पर लेट गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, मुकदमा चल गया। गवर्नमेंट क्या एक नया कदम इस नये अधिवेशन के प्रारम्भ में नहीं ले सकती थी उनके मुकदमे वापिस लेकर अन्य राज्यों की तरह उन्हें एक तोहमत नहीं दे सकती थी? साथ ही साथ रोडवेज के बारे में कहा गया।

चौथी योजना के अन्दर पंचवर्षीय योजना में रोडवेज को लेने की बात कही गई लेकिन इसके कर्मचारियों को राहत देने की बात नहीं कही गई है। इसमें कहा गया है कि हम यातायात में सुधार करेंगे परन्तु कर्मचारियों को राहत देने के लिये जो सन् ६० की सेवा शर्तें हमारे रोडवेज कर्मचारियों पर लागू हैं जिनके कारण भेद हो गया है। एक कर्मचारी जो क्लर्क का काम करता है, दूसरा कर्मचारी जो ड्राइवर और कन्डक्टर का काम करता है, उस कन्डक्टर को जो पदोन्नति मिलती थी और जो बुकिंग क्लर्क हो जाया करता था वह रुक गई है। सन १९६० की सेवा शर्तों की वापसी की घोषणायें होनी चाहिये थीं। साथ ही साथ शिक्षकों के बारे में कहा गया है। शिक्षकों के विषय में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पढ़ने से ऐसा लगता था कि कोई बड़ी बात हो जायेगी लेकिन इसके बाद कल शिक्षकों को जो दिया गया उसके अन्दर बड़ी भारी निराशा हमको देखने को मिली। ३५ साल के अन्दर शिक्षक शायद वहां तक पहुंचेगा या नहीं। उस अवस्था तक जाना धीरे-धीरे कई वर्षों में कर दिया गया है। इसके अलावा एफीशियेन्सी के तीन तीन बारें लगाई गई हैं। इनको "एफीशियेन्सी की बारें" कहें या "मैनेजर का डंडा" कहें। मैनेजर जिसको चाहेगा उसकी एफीशिएसी की बार को क्रास करायेगा। क्या इसके सुधार का काम नहीं किया जा सकता? वेतन वृद्धि की बात यद्यपि मानभी ली जाय परन्तु जो बार लगाये गये हैं इतनी लम्बी अवधि तक यह अच्छी बात नहीं है। प्राइमरी टीचर्स के वेतनक्रमों के ९० से १०० तथा १०० से १२५ रुपये वाली बात कही गई है। कोई भी व्यक्ति इस महंगाई के अन्दर इन रुपयों में अपना भरण पोषण नहीं कर सकता। हम विधायकों के सामने और पार्लियामेंट के सदस्यों के सामने भी जब कभी प्रश्न आता है कि वेतन बढ़ाइये तो मैं समझता हूं कि अधिकांश सदस्य इस पक्ष में मत देते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाय। हम महसूस करते हैं कि हमारे लिये ३०० रुपये का वेतन कम है, पार्लियामेंट के मेम्बर महसूस करते हैं कि ५०० रुपया उनके लिये कम है लेकिन

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

अध्यापकों से क्या कहा जाता है कि अपने और अपने परिवार का पालन पोषण १०० रुपया में करो। मैं समझता हूं कि यह आपके हृदय में भी न पचता होगा और न गले में ही उतरता होगा। कम से कम जो मिनिमम वेजेज के आंकड़े १५० रुपये हैं वह तो उनको आपको देना ही चाहिये था।

जिला बोर्ड के अध्यापकों की हालत तो और भी अधिक खराब है। उनका तो कोई माई-बाप ही नहीं है। ४-४, ६-६ महीने तक उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती। उनके वेतन-क्रम के बारे में कोई विचार करने को ही तैयार नहीं हैं। जहां तक नान-टीचिंग स्टाफ के वेतन की बात है उनके लिये जो ६ रुपया और १० रुपया की बढ़ोत्तरी की गयी है उससे भी उनको वह नहीं मिला है जो कि उनको वास्तव में मिलना चाहिये था। इस ओर भी शासन का दुर्लक्ष्य रहा है और राज्यपाल महोदय के भाषण में भी इसकी अवहेलना की गयी है। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सम्बोधन में डिग्री कालेज के अध्यापकों के बारे में जिक्र हुआ कि उनका यह कदम उचित नहीं था। अध्यापकों जैसा सम्मानित पद और कोई नहीं है। लेकिन जैसा कि कहा गया जब तक हड़ताल नहीं होती, जलूस नहीं निकाले जाते, दरवाजे नहीं तोड़े जाते तब तक यह सरकार मांगों को मानने के लिये तैयार ही नहीं होती। डिग्री कालेज के अध्यापक जो इतनी उच्च कक्षाओं को पढ़ाते हैं, अपने विद्यार्थियों के सामने सड़कों पर झंडा लेकर निकलें क्या यह उनके लिये शोभा की बात है? लेकिन उनको भी राहत देने के बारे में इस संबोधन में कुछ नहीं स्पष्ट किया गया है।

गवर्नमेंट की ओर से कहा गया कि पानी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि पतले पानी का जितना अभाव है उतना ही गाढ़े पानी का प्रभाव है। गाढ़े पानी से मेरा मतलब शराब से है। गली-गली में शराब की नयी-नयी दूकानें खोली जा रही हैं। दो दिन के लिये शराब की बन्दी की गयी है, इसका मैं स्वागत करता हूं, उत्तराखंड के जिलों में पूर्ण बन्दी का मैं स्वागत करता हूं, यह चीज अच्छी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी शताब्दि पर तो इस प्रकार की घोषणा होनी चाहिये थी कि २ अक्टूबर, ६९ से इस प्रदेश में पूरे तौर पर मद्य निषेध कर दिया जायगा। लेकिन इसके विरुद्ध जो शराब की दूकानों का नियम है वह यह है कि घनी बस्तियों में ही शराब की दूकानें खोली जायंगी। मोहल्ले-मोहल्ले जाकर वहां के नागरिकों से पूछो तो जगह-जगह से यह आवाज उठायी जा रही है कि इन दूकानों को वहां से हटा दिया जाय। अतः यह नियम अवांछनीय है। जब कि दूसरी ओर जनता मिर्जापुर, गाजीपुर और इलाहाबाद में पानी की कमी के कारण त्राहि-त्राहि कर रही है। लखनऊ में कल से पानी की कमी हो रही है। सरकार को इस पानी के अभाव को दूर करना चाहिये और इस शराब के प्रभाव को कम करना चाहिये।

हमारे राज्यपाल महोदय ने व्यापारियों की ओर भी दुर्लक्ष्य किया है। वह भी तो इसी राज्य की प्रजा हैं आपकी रियाया हैं। उनके ऊपर जो बिक्री कर है, उनको भी सरल और एकसूत्रीय करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की गयी। एक ओर तो व्यावसायिक कर को समाप्त करने की बाबत कुछ नहीं कहा गया है दूसरी ओर कहा गया है कि १७६ करोड़ रुपये के साधन सरकार को जुटाने पड़ेंगे। उसके लिये जनता पर नये करों का बोझ लाद दिया जायगा। कदाचित भूमि भवन कर फिर से लगा दिया जायगा तथा और भी कर जनता पर लगा दिये जायेंगे। राज्यपाल महोदय का भाषण जितनी सुन्दर पुस्तिका में छपाया गया है उतनी ही अधिक उससे निराशा हुई है। उसमें इस प्रदेश की गरीब जनता, कर्मचारियों तथा मजदूरों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है लेकिन उसके साथ ही साथ कहा गया है कि चुनाव बड़े शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए। क्या मैं यह समझूं कि वह मरघट की शांति थी? जहां पर वोटर के लिये वोट डालने की स्वतन्त्रता नहीं रही, जहां पर वोट के लिये रुपए को बहाया गया और उस आधार पर मतदान हुआ, यही शांति से अभिप्राय है? इसलिये यह कहना भी गलत ही है कि

ढंग से निष्पक्ष चुनाव हुये। इसलिए जनता की इस तरह के भुलावे में रखा जाय और प्रदेश म कानून की व्यवस्था ऐसी हो जिससे जनता घबरा न उठे। इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार के अन्दर जो बुद्धिमान लोग हैं वह विचार करेंगे और हम लोग जो इस पक्ष से सुझाव देते हैं प्रदेश की भलाई के लिये उन पर वह विचार करेंगे और वह हमें अवसर देंगे कि हम भी उनके साथ सहभागी होकर देश की और प्रदेश की जनता का कल्याण कर सकें।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो बहस माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही है और उसमें जो संशोधन हमारे विरोधी पक्ष की ओर से आये हैं और सरकारी पक्ष से माननीय गेंदा सिंह जी ने जो अपनी बातें कही हैं उनके संबंध में ही मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। यों तो यहां बहुत सी बातें हुई हैं किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। कहा गया कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें सरकारी कर्मचारियों के बारे में, अध्यापकों के बारे में, खेती व किसानों के बारे में या उद्योगों के बारे में कही गई हैं वे सब गोलमोल हैं और वे ऐसी नहीं हैं जिनसे कोई सही तस्वीर सामने आती हो। श्रीमन्, अभी कुछ दिन पूर्व उधर के लोग इसी स्थान पर जहां आज कांग्रेस है विराजमान थे, उस समय उन्होंने खेती व किसानों के बारे में क्या किया था, वे उस समय इन चीजों को क्यों नहीं अमल में लाये। हम जानते थे, हमें पूरा विश्वास था कि हमारे नेता विरोधी दल कृषि के सम्बन्ध में बड़े माहिर हैं। लेकिन गल्ला उगाही की स्कीम जो अपने जमाने में चलाई उससे किसानों का नुकसान हुआ क्योंकि गल्ले की वसूली उन किसानों के खातों पर हुई है। अगर उसके खाते में बाग या बंजर भी रहा है तो भी उसको गल्ला इस खाते पर के हिसाब से देना पड़ता अगर उसमें बाद में संशोधन न हुआ होता। बहुत से क्षेत्र तो ऐसे थे कि जहां सूखा पड़ा था और वहां भी गल्ला वसूली की गई, कहीं तबाही और बरबादी थी लेकिन उस की दशा में भी वहां गल्ला देने के लिये बाध्य किया गया। उस समय की सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। सख्ती से गल्ले की वसूली की गई। लेकिन आज वही लोग विरोधी पक्ष में बैठ कर किसानों की राहत देने की बात करते हैं। और कहते हैं कि जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है उसमें कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय राज्यपाल मे अपने अभिभाषण में जो भी बातें कही हैं वह निश्चित रूप से प्रदेश को आगे ले जायंगी और हम एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं।

इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि पिछले चुनावों में भ्रष्टाचार और जातिवाद का नारा बुलन्द हुआ। मैं आप को बताऊं कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं यह वही क्षेत्र है जहां से श्री जयराम जी वर्मा भूतपूर्व मंत्री आया करते थे, जहां उनकी बिरादरी की अक्सरियत है और मेरी बिरादरी के केवल ४ वोट हैं जहां बी० के० डी० का गढ़ समझा जाता था, फैजाबाद जनपद में उनका बोलबाला कहा जाता था, जहां उनके बड़े-बड़े नेता थे, लेकिन सब धराशायी हुये और अब वह कहते हैं कि चुनाव में वहां लाखों रुपया खर्च कर के वोट खरीदे गये। जब पी० एस० पी० दल के एक माननीय सदस्य ने मुझसे पूर्व सदन में यह कहा है कि मेरठ में जाति पांति के नाम पर ही हमारे विरोधी दल में माननीय नेता ने वोट मांगा है। मेरठ के अन्दर बेचारे गरीब हरिजनों के साथ जिस तरह से सख्ती की गयी है, जिस तरह से यहां जाति-पांति के नाम पर वोट लिया गया है वह उत्तर प्रदेश के अन्दर एक मिसाल है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि जात-पात के नाम पर ही जब से गुप्ता जी की सरकार आई है प्रदेश में ट्रांसफर किये गये। मैं इस बात को जानता हूं कि जब विरोधी पक्ष की सरकार प्रदेश में यहां थी तो उसने भी तबादले किये थे और पश्चिमी जिलों में उन्हीं तबादलों के बल पर नौकरशाही को हाथ में लेकर गरीब हरिजन जनता को वोट नहीं देने दिया गया है। सच में उन्हीं जुल्मों को यह सरकार खत्म करने जा रही है, वर्ना आने वाला जमाना एक भयानक रूप अख्तियार कर सकता है।

विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्यों ने अपने सुझावों में सिंचाई के सम्बन्ध में भी कहा है। लेकिन जब उनको एक साथ बैठ, मिल जुलकर सरकार चलाने का मौका मिला ही था तो उस

[श्री प्रियदर्शी गेटली---]

समय जो रूप उन्होंने अख्तियार किया उससे साफ जाहिर हो जाता है कि उनके मुकाबले इस देश व प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी किया है वह एक मिसाल है। वही एक पार्टी है जो जनतंत्र को जिन्दा रख सकती है। श्रीमन्, आज बंगाल में जो सरकर है क्या वह कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं है? क्या आज वहां मिनिस्टर बड़े-बड़े बंगलों में नहीं रहते हैं? मैं कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब उनके दल के मंत्री इस प्रदेश की पिछली सरकार में थे तो क्या वे झोपड़ियों में रहते थे क्या बैलगाड़ियों में घूमते थे? क्या, उन्होंने देश के सामने कोई मिसाल पेश की, जिस बात को कि वे आज कह रहे हैं। विरोधी पक्ष में बैठ कर यह बात आसानी से कही जा सकती है क्योंकि विरोधी पक्ष में बैठ कर टीका-टिप्पणी करना आसान होता है। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है उस वक्त सही चीज को निभाना मुश्किल हो जाता है।

पिछली संविद सरकार के हमारे एक साथी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि संविद सरकार प्रदेश को एक नया जीवन देगी। लेकिन उसका जो नमूना हमारे सामने आया उनसे तो प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि करने लगी थी और उसके परिणामस्वरूप ये चुनाव हुए और चुनाव का नतीजा भी हमारे सामने है। मैं मान सकता हूं कि आपके दिल में जजबात हैं लेकिन उनको अमली जामा पहनाना मुश्किल है।

मैं अन्त में यही कहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री गेंदा सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि धन्यवाद के उस प्रस्ताव को यह सदन स्वीकार करेगा।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, १९६४ के पहले जो हमारे नेता गेंदा सिंह जी थे, उनके द्वारा जब यह प्रस्ताव रखा गया तो मैंने सोचा कि मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन कर दूं लेकिन राष्ट्रपति शासन काल में जब सीधे राज्यपाल महोदय के हाथ में शासन सत्ता आई और इटावा जिले में बकेवर में जो घटना घटी कि एक मां के साथ उसके बेटे के द्वारा बदइखलाकी करने पर मजबूर किया गया तो मैंने सोचा कि इस प्रस्ताव का विरोध किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप वैयक्तिक हमला राज्यपाल पर न करें।

श्री रामधारी---

राष्ट्रपति शासन काल में आप जरा गन्ने के दामों पर भी गौर करें। पहले गन्ने के दाम १२ रुपये ७५ पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित किये गये थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन काल में १० रुपये क्विंटल निर्धारित कर दिये गये। और अब मैं अपने मित्रों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज्यों ही आप तख्तनशीन हुये पश्चिमी जिलों में ८ रुपये क्विंटल गन्ना बिक रहा है। इसी के बल पर आप चाहते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर विरोध पक्ष भी आपके साथ रहे।

खेती की बात बहुत कही गयी। यह भी कहा गया कि ९ महीने में संविद सरकार ने कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया। मैं इसे स्वीकार करता हूं एक सोशलिस्ट के नाते कि जिस तरह का आधारभूत परिवर्तन होना चाहिये था वह नहीं हुआ। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से २१ वर्ष तक एक ऐसा दल शासन में रहा जो आज भी संयोग से आ गया उसने क्या किया? आपके २१ वर्ष के शासन में जिस गल्ले का दाम पांच सौ गुना बढ़ गया था अपने नौ महीने के शासन में संविद सरकार ने प्रयास करके उसे दो सौ गुना गिराया था और गन्ने का दाम बढ़ाया था। उसने बराबर यह कोशिश की थी कि शहरों से हट कर गांवों की तरफ लोगों का ध्यान जाय और उन की कुछ तरक्की भी हुई थी। लेकिन ज्यों ही वह सरकार खत्म हुई त्यों ही दो बातें हुई। शहर में बनने वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ते गये और खेती में पैदा होनेवाली चीजों के दाम लगातार

गिरते गये। यह किस बात की ओर इशारा करता है? यह गैर समाजवाद की ओर इशारा करता है और आपका भाषण कोरा प्रलाप सा है। मैं तो कहता हूं कि बड़े जिम्मेदार लोग हैं। प्रस्तावक महोदय स्वयं कृषि मंत्री रह चुके हैं। लेकिन आपकी जितनी योजनायें हैं, चाहे वह नलकूप की रही हैं चाहे लघु उद्योग के सम्बन्ध में रही हों, क्या १०-२० रुपये मालगुजारी देने वाले को उनसे कोई लाभ हुआ है? क्या ५ रुपये मालगुजारी देने वाला किसान अपने खेत में कुंआ खुदवा सकता है? वह दो, चार बोरे फर्टिलाइजर तो पा ही नहीं सकता कृषि की उन्नति तो बहुत दूर रही।

कहा गया कि कोई सुझाव नहीं रखे गये। मैं यह सुझाव रखता हूं कि खेती जब तक उन लोगों के पास नहीं आयेगी जिनके पास हाथ हैं तब तक खेती की तरक्की नहीं हो सकती। आज बिडम्बना इस प्रदेश के अन्दर यही है कि खेती उनके हाथ में है जो काम नहीं कर सकते और हाथ उनके पास हैं जिनके पास खेती नहीं है। हम चाहते हैं कि इस सरकार में भी शक्ति हो कि वह इस असंतुलन को बदल दे और बड़ी जोतों को तोड़कर खेती उनको दे जिनके पास काम करने को हाथ हैं और जो आज बेरोजगारी की वजह से झरिया और आसाम की कोयले की खदानों में ठोकरें खा रहे हैं। जब तक यह नहीं होगा तब तक एक एकड़ में चाहे पचास मन पैदा होने लगे तब तक वह अलाभकर जोत वाला किसान जो ७३ प्रतिशत है उसको क्या फायदा होगा? इसलिये प्रति एकड़ पैदावार ही बढ़ाना काफी नहीं बल्कि भूमि का पुनर्वितरण होना चाहिये और धन का पुनर्वितरण होना चाहिये। आप समाजवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े नौकर की तनख्वाह ५ हजार रुपये महीना है और सब से छोटे नौकर, यानी चौकीदार की तनख्वाह ५ रुपये महीना है।

यह जमीन और आसमान की विषमता चली आ रही है। आप का ध्यान इस ओर नहीं गया है। क्या यह सही नहीं है कि पांच रुपया पाने वाला कर्मचारी कोई महंगाई भत्ता नहीं पाता है जब कि ५ हजार रुपया पाने वाला अधिकारी साढे सत्ताईस हजार रुपया मंहगाई भत्ते और तनख्वाह की शक्ल में खर्च करता है। क्या इस विषमता को दूर किये बिना सुखी समाज की कल्पना की जा सकती है?

सरकारी कर्मचारियों के सिलसिले में ह्विटले कमीशन की बात कही गई है। लेकिन क्या आप उस पर अमल कर सकेंगे? पहले महायुद्ध में जब इंगलैंड में कारखानों में उत्पादन कम हो गया था और उत्पादन बढ़ाना मुशकिल हो गया था तो वैज्ञानिकों ने यह रास्ता निकाला कि काम के घंटे कारखाने में कम कर दिये जायं तो उत्पादन बढेगा। इस पर ह्विटले कमीशन बैठा और उसने सिफारिश की कि कारखानों में १२ घंटे के बजाय ८ घंटे काम हो तो इन्हीं यंत्रों से उत्पादन बढ़ सकता है और इनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तब वह लागू हुआ था और हिन्दुस्तान में यह १९३६ में लागू हुआ।

नेता विरोधी दल ने हमारे यहां बेरोजगारी की तादाद २४ लाख बताई है मैं कहना चाहता हूं कि इसका प्रयोग हमारे यहां होना चाहिये। हमारे कारखानों में काम के घंटे ८ के बजाय ६ होने चाहिये। इस से हमारा उपकार होगा और बेकारी की समस्या भी हल हो जायेगी। इस से जनहित होगा। दुनिया के दूसरे मुल्क इस का प्रयोग कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में अरबपति बढ़ रहे हैं और गरीब इंसान चीत्कार कर रहा है। इसको समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि कारखाने में काम के घंटे ८ के जाय ६ कर दिये जायं। इस से ४-५ लाख लोगों को काम मिलेगा मगर यह तभी संभव है जब सरकार में हिम्मत हो अन्यथा यह संभव नहीं है।

आपने कहा कि संसदीय जनतंत्र की दुहाई दी जा रही है। राष्ट्रपति शासन काल के पहले भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये एक आयोग की स्थापना हुई थी, उसको रद्द कर दिया गया क्या वह संसदीय जनतंत्र का निर्वहन किया गया? अध्यापकों की तनख्वाह सरकारी कोष से देने के लिये संविद सरकार ने फैसला किया। दूसरी सरकार को ऐसे स्वीकार करना चाहिये था लेकिन राष्ट्रपति सरकार ने उसको आलमारी में रख दिया। कहा यह गया कि जहां ८ मील के अन्दर बैंक हैं वहां से वेतन मिलेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ के पास पैसा कहां से आया है।

[श्री रामधारी]

कैसे मंजूर कर सकते हैं। केवल संकेत करने से यह संभव नहीं है। इसलिये इसका राष्ट्रपति काल में खंडन हुआ।

श्रीमन्, यह कहा गया कि हरिजनों के लिये बड़ी तकावी बंटती है। हमारे लिये और आपके लिये यह बड़े अफसोस की बात है कि इतनी योजनायें बनीं और उन पर अरबों रुपया खर्च किया गया लेकिन क्या कोई ऐसा कानून बना कि हरिजनों में एक निकृष्ट जाति चंडाल की है। उसके लिये पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। २१-२२ वर्ष तक गांधी जी के शिष्यों की सरकार रही। उसने क्या यह सोचा कि यह निकृष्ट जाति जो गांव के गड्ढे से पानी पीती है और वह गांव के कुंये से पानी नहीं ले सकती है, उसके लिये नल का इंतजाम किया जाय? राज्यपाल महोदय के भाषण में भी इसका कोई संकेत नहीं था। वास्तव में यदि आप चाहते हैं कि अछूतों की ओर ध्यान दिया जाय तो आपको इस तरह का नियम बनाना चाहिये कि प्रत्येक डोम के दरवाजे पर पानी का नल लगाया जाय। आप सोचिये कि हमारे दिल कितने पत्थर के हो गये हैं। हमारे आपके घर में अगर कोई जलसा होगा चाहे माघ की रात हो या जेठ की दोपहरी हो, लेकिन हमारे यहां डोम नाम की एक जाति बसती है, जब खाकर जूठे पत्तल जमीन पर फेंक दिये जायेंगे तब वह उनको उठा कर ले जाते हैं और खाते हैं। आपको आवश्यक रूप से इस तरह का काम करना पड़ेगा जिस से उनका सुधार पहले हो। उनको कुछ छात्रवृत्तियां देकर या उनके बच्चों को कुछ कपड़े बांट कर इतिश्री कर दें, इस से काम नहीं चलेगा। इस तरह से वह कितने दिनों तक पीछे रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन के पक्ष में अपना मत प्रकट करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास इस वक्त पांच कामरोको प्रस्ताव है। मैंने उनमें से एक को भी स्वीकृत नहीं किया। उसका कारण यह है कि अभी राज्यपाल के संबोधन के ऊपर बहस चल रही है उसमें यह सब प्रश्न उठाये जा सकते हैं। दूसरे साल अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। उस पर भी उठाये जा सकते हैं।

एक सदस्य—

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं। आप कृपा करके बैठें।

वाराणसी में विषैली शराब से मृत्युओं के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

ध्यान आकृष्ट करने वाले ऐसे ९ प्रस्ताव हैं। उनमें से मैंने एक को स्वीकार किया है और वह है श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का वाराणसी के संबंध में। माननीय मुख्य मंत्री के पास उसको भेज दिया है। वह आज इसके संबंध में सदन में कोई सूचना दे सकते हैं? नहीं तो मैं कोई दूसरा दिन मुकर्रर कर दूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, ब्यौरे से इस विषय में सूचना तो किसी और दिन ही दी जा सकेगी क्योंकि अभी पौने चार बजे जब त्रिपाठी जी मेरे कमरे में आये तो उसके दो मिनट पहले मुझे यह चीज

मिली है मैंने अभी अपने सेक्रेटरी को बुला कर पूछा तो उन्होंने इतनी सूचना दी कि मैजिस्टीरियल इनक्वायरी इस विषय में वहां हो रही है। किन्तु जो रिपोर्ट है वह यह है कि कई दफा पुलिस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है। तो मैंने अभी आदेश दिया है कि इस विषय में सी० आई० डी० से इनक्वायरी करवायें वह ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अधिक ब्यौरा में .....

श्री अध्यक्ष---

कल या परसों दे सकेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मुझे टेलीफोन पर सूचना मिली है कि १२ आदमी वहां मर गये। अब तक जांच भी नहीं हुई। शराब की दूकान.....

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कल या परसों किस दिन वे सूचना दे सकेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

परसों जब अधिक सूचना प्राप्त कर लेंगे तब इस विषय में ब्योरे से बात कर सकेंगे।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मिर्जापुर और गाजीपुर में इतना भीषण अकाल है कि इस समय वहां पर लोग मर रहे हैं और गाय और जानवर भग रहे हैं। उसके संबंध में एक कामरोको प्रस्ताव है। कृपा करके उस पर चर्चा का अवसर तो दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

एक ही तो एक रोज लिया जा सकता है।

एक सदस्य---

इलाहाबाद में भी यही हालत है। रोज लोग भूखों मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

अभी वादविवाद हो रहा है। आप कृपा करके बैठ जायं। मैंने कहा कि नियम के अनुसार मैं एक ही महत्वपूर्ण विषय स्वीकार कर सकता हूं एक रोज में। वह तो स्वीकार कर लिया और उसके लिये कह दिया कि परसों सूचना दें। बाकी अस्वीकृत हुए क्योंकि बहस चल रही है। बहस में आप ध्यान आकृष्ट कर दें। मैं माननीय मंत्रियों से कहूंगा कि बहस में जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट किया गया तो वह अपने उत्तर में, जब वह बीच-बीच में बोलेंगे, इन विषयों पर अपना उत्तर देने की कृपा करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद जब यह बहस समाप्त हो जायेगी तो उस विषय मा० सदस्य उठा सकते हैं। मैं मौका दे दूंगा यदि आप मेरा ध्यान आकृष्ट करें। मैं देखूंगा यदि वह महत्व का कोई प्रश्न होगा तो उसके लिये आपको सूचना मिल जायेगी।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

इलाहाबाद में वहां की दो तीन तहसीलों में सूखा पड़ा हुआ है, बड़ी विषम दशा है। करछना, मेजा आदि तहसीलों में सूखा पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ऐसी व्यवस्था कर दें कि इस पर सरकार की तरफ से उचित कार्यवाही करने की चेष्टा हो जाये।

श्री अध्यक्ष---

कल आप मेरे पास भिजवा दें, मैं सूचना दिलवा दूंगा।

एक सदस्य—

श्रीमन्, मुझे इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में सरकार से एक बड़ी शिकायत है कि माननीय मुख्य मंत्री गुप्त जी वहां पर गये और वहां पर हम लोगों से वहां के विधायकों से बिना मिले हुये यानी वहां की वास्तविक स्थिति को हम जनता के प्रतिनिधियों से सुने हुये चले आये ।

सूखे की स्थिति पर विवाद के लिए समय की मांग

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

इस बड़े सूखे के कारण प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है । उस पर विवाद के लिये काफी समय की आवश्यकता है । परसों माननीय मंत्री जी उसके बारे में सूचना देंगे, तो मेरा निवेदन है कि जब तक उस पर डिटेल में बात न कही जाये, जब तक विस्तृत जानकारी न मिल जाये तब तक उस पर विचार करना ठीक नहीं होगा । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि नियम ५३ की नोटिस दी गयी है उस पर आप ढ़ाई घंटे की बहस की आज्ञा दे दें, तो बहुत अच्छा होगा और तब तक सारी बात का पता चल जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी नोटिस आयी है, उस पर मैंने अभी फैसला नहीं किया है । मैं सचिव से सम्मति लूंगा और फिर उस पर विचार करके यदि आवश्यक समझूंगा तो ज्यादा समय की आज्ञा दे दूंगा । यह तो एक जिले का प्रश्न नहीं है, अनेक जिलों का प्रश्न है । यदि आवश्यक समझूंगा तो उस पर कुछ अधिक समय भी बाद में निर्धारित कर दूंगा ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

श्रीमन्, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले के अलावा भी इस प्रदेश में कई और जिलों में सूखा है, खासकर बुन्देलखंड के जिलों में सूखा पड़ा हुआ है । इसलिये निवेदन है कि इलाहाबाद और मिर्जापुर की स्थिति पर विचार करने के साथ-साथ दूसरे जिले भी उसमें शामिल कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी सूचना दे दें तो उनको भी शामिल कर लिया जायेगा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव
(क्रमागत)

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करता हूं, साथ ही मैं अपनी भावना प्रकट करने की आज्ञा चाहूंगा । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के तीन जिलों को ड्राई डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है । इस संबंध में कुछ सज्जन राज्यपाल महोदय से, शिष्ट-मंडल के रूप में मिले थे । लेकिन जो नीचे के जिले हैं, तथा पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा वंचित रह गये हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर भी विचार किया जाये । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी बताया कि पहाड़ों पर ऊन संबंधी कुछ उद्योग धंधों को स्थापित किया जायेगा । इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक जंगलात विभाग से चरागाहों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ऊन की इंडस्ट्री वहां पर चल नहीं सकती है ।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कुमायूं में एक यूनिवर्सिटी खोलने के विषय में चर्चा की है । पिछले बार भी, जब मैं गवर्नर के सलाहकार में गया था इस संबंध में चर्चा की थी

और निवेदन किया था कि यूनिवर्सिटी अवश्य खुले लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि हमारा देश गरीब है ।हमारे देश के बालक इलाहाबाद, लखनऊ कालेजों में जाकर डेढ़ सौ रुपया माहवार खर्चा करने की क्षमता नहीं रखते । डेढ़ सौ रुपया माहवार बालकों को पढ़ाने के लिये देना बहुत कम लोगों के लिये मुमकिन है । इसलिये निवेदन है कि पहले हर जिले में रूरल एरियाज में दो दो डिग्री कालेज खोले जायं और तब यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो। मेरा सदन से निवेदन है कि इस पर पुनः विचार करें ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिये बहुत मेहनत करने की जरूरत है लेकिन पहाड़ों में मेहनत करने पर भी उत्पादन नहीं बढ़ सकता और इसलिये वहां फ्रट बेल्ट्स खोलने की योजनायें बनना बहुत जरूरी है, इससे पहाड़ों की गरीबी मिट सकेगी । मेरा निवेदन है कि इस पर अवश्य ध्यान दिया जाय ।

बहुत दिनों से हिल बोर्ड की बात चली आ रही है । पिछले समय जब संविद सरकार बनी थी, हिल बोर्ड बना उससे संतोष नहीं मिल सका और वह हिल बोर्ड अच्छी तरह से काम नहीं कर सका । निवेदन है कि हिल बोर्ड की स्थापना इस तरह से कर दी जाय जिससे वह कुछ काम कर सके और पहाड़ों की उन्नति हो सके ।

पहाड़ों में शीघ्र उद्योग धंधों के खुलने की संभावना नहीं है लेकिन यातायात की सुविधायें आप दे सकते हैं और उस सुविधा के साथ टूरिज्म के उद्योग को बढ़ावा दें तो वहां की गरीबी कुछ धुल सकेगी । मैं आशा करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जायगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने राज्य कर्मचारियों के विषय में आलोचना की । इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां हजारों राज्यकर्मचारी कार्य करते हैं कुछ न कुछ त्रुटि उनमें पायी जायेगी और इसके लिये उनको दंडित भी किया जायगा लेकिन हमको उन्हें खुश भी रखना पड़ेगा। वरना प्रदेश का प्रशासन चलाने में बहुत सी कठिनाइयां अवश्य होंगी । मेरा निवेदन है कि इस मसले को तय करने के लिये एक स्पेशल कमेटी अवश्य बनायी जाय ताकि भविष्य में प्रदेश प्रगति कर सके और राज्य कर्मचारी मिलों के मजदूर और अन्य लोगों को संतोष हो सके । यदि समय पर इनके द्वारा आन्दोलन होते रहेंगे तो देश में प्रगति नहीं होगी ।

अन्त में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सबको सन्मति दे ताकि हम सब मिल कर इस प्रदेश को ऊंचा उठा सकें । राज्यपाल महोदय ने लिखा है यह प्रदेश उड़ीसा को छोड़कर सबसे गरीब है । हमें चाहिये कि हम सब मिल कर इस प्रदेश को ऊंचा उठावें और ऐसे उद्योग धंधे लगावें जिस से देश का कल्याण हो और हमारे भाइयों की आर्थिक दशा सुधर सके । मैं इन शब्दों के साथ एक बार पुनः राज्यपाल महोदय को धन्यबाद देता हूं और धन्यबाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । ।

श्री हुकमसिंह (जिला आगरा पश्चिम)—

अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण उपस्थित किया गया है उसमें भाषा का बहुत सुन्दर प्रयोग किया गया है इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि यह अभिभाषण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इसकी व्याख्या दो शब्दों में ही की जा सकती है कि यह अभिभाषण विडम्बना या कल्पना की छाया है क्योंकि इसमें केवल शब्दों का ही हेर फेर है । जिस प्रकार से प्रदेश के विकास के लिये यातायात के साधन यानी सड़कें, पुल आदि आवश्यक हैं । खासतौर से दहातों में यातायात की और पुलों के निर्माण की विशेष आवश्यकता है । उससे किसानों को और अन्य उत्पादकों को नगरों में जाकर अपनी वस्तुओं को विक्रय करने का अवसर मिलता है । अब यह पता नहीं है कि सड़कों के लिये रुपया कहां से आयेगा । और कितनी सड़कें बनेंगी और कहां पर पुल बनाये जायेंगे तथा सड़कें बनेंगी । मुझे अपनी कांग्रेस सरकार के सन् १९६२ का समय याद आता है कि उस जमाने में ऐसा हुआ कि निर्माण मंत्री महोदय ने आगरा जिले में केवल अपने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया। कहने का मतलब यह है कि सड़कों का निर्माण इस प्रकार से कराया कि हर एक गांव तक जिले

श्री हुकुम सिंह [जिला आगरा–पश्चिम]

में उनका आना जाना अच्छी तरह से हो जाय। साथ ही जो पड़ोसी क्षेत्र था उसको छोड़ दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने अपने जिले में काम कराया। पड़ोसी क्षेत्र जो बिलकुल डाकुओं का क्षेत्र था उसको बिलकुल छोड़ दिया गया। इसी कारण से आज आगरा जिले का वह क्षेत्र डाकुओं से ग्रस्त है और डाकुओं की भरमार है। ऐसे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया गया कि जिस क्षेत्र में विशेष आवश्यकता नहीं थी। डाकुओं को प्रोत्साहन देने के लिये वह क्षेत्र वैसे ही छोड़ दिया गया। जनता ने तो उनको वोट दिया ही पर डाकुओं ने भी उनको वोट दिलाया और मदद की।

अब मैं इसमें यह संशोधन लाना चाहता हूं कि इस पुराने इतिहास को दोहराया न जाय। जैसे शिक्षा को लीजिये। शिक्षा के लिये अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि नि: शुल्क शिक्षा यहां तक होगी। हजारों-लाखों छात्रों को शिक्षा दी जाती है। कागज पर अच्छी भाषा में लिख दिया जाता है। अच्छे कागज तैयार किये जाते हैं। आंकड़े लम्बे चौड़े दिये जाते हैं। आंकड़ों से कागज भर दिये जाते हैं किन्तु क्षेत्र में काम कुछ दिखाई नहीं देता है। इस तरह से कैसे शिक्षा बढ़ सकती है और किस प्रकार की यह शिक्षा है। यह केवल धोखा दड़ी है। यह वही बात है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। पब्लिक स्कूल हैं। मुंह से कहने के लिये पब्लिक स्कूल हैं पर शिक्षा किसके लड़के वहां पर पाते हैं। जो वहां पर ३००, ४०० रुपये खर्च कर सके वही वहां पर अपने बच्चों को भेज सकता है। नाम के लिये यह पब्लिक स्कूल कहे जाते हैं लेकिन उनमें मिनिस्टरों के लड़के या साहूकार के लड़के ही पढ़ते हैं। तो इनका नाम मिनिस्टर स्कूल या साहूकार स्कूल होना चाहिये। यह सब धोखा दड़ी है। सरकार को मालूम है कि देहातों में जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं उनके अध्यापकों को कितना वेतन मिलता है। जो के० जी० स्कूल या सैनिक स्कूल हैं उनके अध्यापकों को तीन-तीन और चार-चार सौ रुपये वेतन मिलता है। लेकिन देहातों में जो ये १, २, ३, ४ कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनको मासिक वेतन केवल ७०, ९० या ११० ही मिलता है। फिर कहा जाता है कि अध्यापक कार्य नहीं करते हैं। बिना पेट भरे वह कैसे काम कर सकते हैं। इसका उपाय सरकार को सोचना है। गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे में इस प्रकार से अन्तर किया जाता है तो यह कितने दुख की बात है। बजट को देखा जाय तो फेमली प्लानिंग के लिये रुपया भरा पड़ा है मगर गरीब अध्यापकों के लिये बजट में कुछ भी नहीं है। उनके वेतन को बढाने के लिये कोई उपाय नहीं है। साथ ही साथ दूसरी तरफ से यह कहा जाता है कि सुझाव बतलाइये और आलोचना न कीजिये। हमारे पास और इसके अलावा क्या सुझाव हो सकता है। अगर आप नेकनियती के साथ हमारा सुझाव मानें तो हम आपके सामने स्पष्ट शब्दों में निवेदन करते हैं कि एडेड स्कूल और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में क्या अन्तर नहीं है ? क्या सरकार को पता नहीं है और क्या शिक्षा विभाग को पता नहीं है कि इनमें कितना अन्तर है ?

अगर वही ग्रेजुएट एल० टी० किसी ऐडेड स्कूल में पढ़ावे तो उसे १२० का ग्रेड और वही किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ावें तो उसे १५० रु० का स्केल। वही एम० ए० लेक्चरार किसी एडेड इंटरमीडियेट कालेज में हो तो उसे १७५ रु० का ग्रेड मिले और वही अगर गवर्नमेंट इंटर कालेज में रहे तो उसे २५० रु० से शुरू होता है। आखिर यह क्या है ? कहा जाता है कि बजट कहां से आवे। आपके पेट में सब कुछ है, आपको सब पता है कि कहां पैसा है और कहां से उसे लेना चाहिये। लेकिन आपका ध्यान उधर न हो कर आपका ध्यान तो कारखानों के लिये सेठों के लिये, तथा पूंजीपतियों को खुश करने की तरफ है। इस गरीब जनता की तरफ आप कोई ध्यान नहीं देते हैं।

देहातों के लिये अगर सड़कें बनती हैं तो इसलिये कि उन्नति कर सके, शहरों में सड़कें इसलिये बनती हैं कि मिनिस्टरों व पूंजीपतियों को आराम मिले और कहीं ऐसा न हो कि उनकी कार के नीचे कोई कंकड़ आ जाय जिस से उनके पेट में झटका लग जाय। ठीक है यह कीजिये, लेकिन यह बात ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। आपको सोचना पड़ेगा और बजट में

इसके लिये कोई न कोई प्रबन्ध करना पड़ेगा। विरोधी दल इसलिये नहीं होता है कि वह सिर्फ सरकार की आलोचना करे, बल्कि विरोधी दल का काम यह है कि वह आपको सही मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करे और आपको भी चाहिये कि इस में आप विरोधी दल का समर्थन लें आप किसी का समर्थन कहां लेना चाहते हैं ? एक कहावत है कि "काणा जो है वह अपने को नहीं देखता, दूसरों को ही देखता है। यह देखना आपका काम है कि बजट कहां से आवे और हम आपको बतलाने के लिये तैयार हैं। आप जब कोई भी योजना बनावें तो उसके लिये बजट में प्रोविजन होना चाहिये। आप खेती में मदद करना चाहते हैं, सहकारिता का स्वर्ग यहां पर लाना चाहते हैं लेकिन इस अभिभाषण में सहकारिता के लिये कोई विशेष संकेत नहीं किया गया है। आगरा के एक जज ने कोआपरेटिव केश के सम्बन्ध में कहा है कि हमारे जीवन में मेरे सामने कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें मैंने किसी न किसी को दोषी न ठहराया हो परन्तु कोआपरेटिव का एक ऐसा मसला है जिसमें १५ हजार रुपये का जो गबन है, वह गबन तो जरूर है लेकिन उसके लिये मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। आखिर वह गबन किसके द्वारा हुआ ? वह विभाग जिसके द्वारा न्याय न हो, और वह विभाग ऐसा है जिसके लिये आपने एक अलग से मिनिस्टर रखे हुये हैं, उसका अलग विभाग है, जिसके ऊपर लाखों, करोड़ों रुपये का अपव्यय हो रहा है अगर आप समझते हैं कि उस से जनता की सेवा नहीं हो रही है और उसका सही इन्तजाम नहीं हो रहा है तो अच्छा यही है कि ऐसे विभाग को ही तोड़ दिया जाय। अगर आपने कोई योजना बनायी तो वह योजना चल ही जाय, यह जरूरी नहीं है। अगर योजना अच्छी है तो उसे चलाइये वरना उसे बन्द कर दीजिये। मुहम्मद तुगलक जैसा शासन हम नहीं चाहते हैं। अगर आपने कोई योजना बनायी जो अच्छी चले तो उसका समर्थन देना चाहिये, लेकिन अगर गलत हो तो उसे मानकर उसे अलग कर देना चाहिये।

यह कहा गया कि पिछले दिनों शिक्षकों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिये हड़ताल का रास्ता अपनाया जो बड़े ही खेद का विषय है। ठीक ही है, भूख से मरो, लेकिन अगर रोटी कपड़े के लिये आवाज उठायी तो वह गलत है। ऐसे सन्यासी तो मंत्रिमंडल के लोग और हम लोग ही हैं जो जनता की सेवा करने के साथ साथ १५ रु० रोज दैनिक भत्ता और ३०० रु० माहवार और टी० ए० वगैरह मिलता है। जब मैं प्रोफेसर था तो वहां १५०–३५० के ग्रेड में था, तो इसमें इतना अन्तर क्यों ? पढ़ई-लिखाई वही है, फिर यह अन्तर क्यों ? भगवान जाने इन गरीब शिक्षकों की सुनवाई कब होगी ? मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप देश की रक्षा व उसका उत्थान करना चाहते हैं तो शिक्षकों का सम्मान करना पड़ेगा और प्राइमरी से लेकर डिग्री कालेज तक के शिक्षकों की सही व्यवस्था करनी पड़ेगी। बजट कहीं से लाइये, लेकिन शिक्षकों को अच्छी तरह से जिन्दा रहने का प्रबन्ध आपको करना ही पड़ेगा। वरना जिस दिन भीड़ य माब आपके खिलाफ हो जायेगी तो फिर आपके सामने कोई इलाज नहीं रह जायेगा। इसके लिये आवश्यक है कि आप असभ्यों को सभ्य बनावें ताकि आपका और आपके प्रदेश का भला हो सके। इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सभी चीजों को देखें और सबको सामने रखते हुये अध्यापकों, छात्रों व शिक्षकों को सहयोग दें। इसलिये यह संशोधन दिया गया है जिसको आप स्वीकार कर लें ताकि प्रदेश की तमाम समस्याओं तथा देश की रक्षा व उसके उत्थान पर ध्यान दे सकें।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है और इसमें भी पूर्वी जिले तथा बुन्देलखंड के जिले सबसे अधिक पिछड़े हुये हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इनके पिछड़ेपन के कारण जो आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है उसको दूर करने के लिये प्रयास किया जायेगा, यह बड़ी खुशी की बात है। पटेल योजना पूर्वी जिलों में जो कुछ स ाय पहले विकास के लिये चलायी गयी थी उसको कुछ समय पूर्व खत्म क

[श्री माता प्रसाद]

दिया गया था, इस अभिभाषण में इस ओर भी राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि उसको पुनः लागू किया जायगा और उसके द्वारा वहां के पिछड़ेपन को दूर किया जायगा, वहां पर यातायात सिंचाई, शिक्षा, बिजली, आदि का समुचित प्रबन्ध किया जायगा और इस ओर जो असमानतायें हैं उनको दूर किया जायगा ।

उन्होंने एक कमीशन भी नियुक्त करने की बात कही है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के प्रश्न पर विचार करेगा ताकि देश में राष्ट्रीय एकता को बनाये रखा जा सके । राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिये यह एक उत्तम कदम है जो स्वागत योग्य है । किन्तु एक चीज पर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने अपने अभिभाषण में हरिजनों के संबंध में कोई विशेष संकेत नहीं किया है । मान्यवर, यह गांधी शताब्दी वर्ष चल रहा है, गांधी जी को हरिजन सबसे प्रिय थे, उनके विकास के लिये अवश्य इसमें कुछ संकेत होना चाहिये था । जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र है उसमें भी इसका स्पष्ट उल्लेख है । संविद सरकार द्वारा जो उनको पीने के पानी आदि की सुविधा मिलती थी वह भी खत्म कर दी गयी थी, उसको चालू करने का भी संकेत अभिभाषण में होना चाहिये था । जिन हरिजनों ने बहुत पहले से मकान बना रखे हैं और जो पुश्त दर पुश्त से बने हुए हैं, उनको अभी तक आबादी न दर्ज करके बाग या खेत दर्ज किये हुए हैं । इसका परिणाम यह होता है कि उनसे बेगार ली जाती है । सरकार को इस ओर भी उचित कदम उठाना चाहिये । जहां पर जो लोग बहुत दिनों से बसे हुए हैं, मौके पर देख कर उनको आबादी दर्ज किया जाना चाहिये । जहां चकबन्दी हो रही है, उसमें भी उनको आबादी दर्ज नहीं किया जा रहा है । इस कारण वहां हमेशा झगड़े होते रहते हैं मुकदमे चलते हैं और उनके मकान उजाड़ दिये जाते हैं । उधर बैठने वाले एक माननीय सदस्य मंजूर साहब ने उनके बारे में मेरठ का जिक्र किया कि वहां पर तो हरिजनों को पाखाना-पेशाब तक करने देना बन्द कर दिया गया है, वे बारात नहीं निकाल सकते हैं । मेरठ की ही बात नहीं सब जगह, उनको जो राजनीतिक अधिकार वोट देने का मिला हुआ है उसका भी वे प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं । इस संबंध में भी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये और कोई भी उपाय करना चाहिये जिससे कि वे अपने राजनैतिक अधिकारों का उपयोग कर सकें । दूसरी बात, मान्यवर, मैं हरिजनों की नौकरियों के विषय में कहना चाहता हूं । यद्यपि सरकार की ओर से १८ प्रतिशत नौकरियां रिजर्व की गई हैं लेकिन आज तक इतने प्रयासों के बावजूद भी चार प्रतिशत से ज्यादा नौकरियां नहीं दी गई हैं । इसका परिणाम यह हो रहा है कि हरिजनों में और नवयुवक हरिजनों में बड़ा भारी असंतोष पैदा हो रहा है । मैं मांग करता हूं कि सरकार इनकी समस्याओं को हल करने के लिये एक स्थायी आयोग नियुक्त करें जो यह देखे कि जो नौकरियां रिजर्व हैं उन सरकारी आदेशों का उल्लंघन क्यों हो रहा है । १८ प्रतिशत जगहें तृतीय तथा चतुर्थ में तो ४५ प्रतिशत तक रिजर्व की गई हैं । लेकिन आश्चर्य होता है कि उन आदेशों का पालन बिल्कुल नहीं किया जाता है । मैं मांग करता हूं सरकार से आपके द्वारा कि एक स्थायी आयोग नियुक्त किया जाय । जिस तरह से अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये या उनकी सुविधाओं के लिये एक स्थायी आयोग नियुक्त की घोषणा की है उसी तरह से मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह एक आयोग नियुक्त करे । उनकी समस्याओं के विषय में राधाकृष्णन आयोग, आचार्य गुलकिशोर आयोग या कमीशन नियुक्त हुआ था उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि अपनी सिफारिशें दी थीं हरिजनों के उत्थान की बहुत सी बातें बतलाई । परन्तु मान्यवर, दुख है कि उनका पालन बिल्कुल नहीं होता । मैं चाहता हूं कि उनके हितों के संरक्षण के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाय और वह देखें कि जो आदेशों पालन नहीं कर रहा है उनको दंडित किया जाय । जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हरिजनों के उत्थान के विषय में आगे कदम नहीं उठाया जा सकता है ।

इसी प्रकार से मान्यवर जो पूर्वी जिले हैं जिनमें बुन्देलखंड और इलाहाबाद के जिले हैं इनमें सूखा पड़ रहा है । महामान्य ने अपने भाषण में संकेत किया है कि वहां पानी पीने की योजनायें हैं । यह बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देहाती हिस्सों में पानी पीने की समस्या

दूर नहीं हुई है । कुएं सूख रहे हैं । पानी पीने की जटिल समस्यायें पैदा हो गई हैं । सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । एक सर्वेक्षण करना चाहिये और उसके आधार पर जहां आवश्यकता हो वहां कुएं, हैन्ड पम्प या दूसरे साधन सरकार को करने चाहिये । बड़ी बात यह है कि इस समय गरमी का मौसम आ रहा है और एक बड़ी समस्या पानी पीने की हो जायेगी । सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिये और इस समस्या की तरफ फौरन ध्यान दिया जाय । मान्यवर, सरकार के जो आदेश होते हैं उनका पालन नहीं होता है । जैसे हिन्दी के विषय में आदेश हैं । पहले भी कई आदेश लागू हो गये हैं कि सारा काम काज हिन्दी में होगा लेकिन इसके बावजूद भी चाहे सेक्रेटेरियेट के हों या जिले स्तर के कर्मचारी या अफसर हैं वे ज्यादातर अंग्रेजी में काम करते हैं । कभी-कभी वे कठिनाइयों को बताते हैं कि हिन्दी के टाइपिस्ट नहीं हैं तरह-तरह की दिक्कतें बताते हैं । सरकार के आदेश होते हुये भी ये आदेश का पालन नहीं करते हैं । सरकार को चाहिये कि जिलों में या सेक्रेटरियेट में इन आदेशों का कड़ाई से पालन होना चाहिये । हिन्दी का जो आदेश है वह लागू किया जाय । मान्यवर, इसी तरह से यह एक प्रसन्नता की बात है कि महामान्य ने संकेत दिया कि जो किसानों की सुविधायें चाहे बिजली संबंधी रही हों या अल्प सिंचाई योजना में छूट की रही हों जो पिछली सरकार ने खत्म कर दी थीं उनको फिर से लागू करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । इसके लिये महामान्य बधाई के पात्र है और जो बिजली की छूट किसानों को दी गयी थी, उसको यह सरकार देने का प्रयत्न करेगी । इसी प्रकार से सड़कों के विषय में भी महामान्य ने संकेत किया है कि हेड क्वार्टर पर जाने वाली सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जायगा । गांवों से जो लोग हेडक्वार्टर और तहसीलों को जाते थे उनको बड़ा कष्ट होता था, इस से वह कष्ट उनका दूर हो जायेगा । उसी प्रकार ने राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शताब्दी चल रही है । इसमें हमें कोई ऐसा काम अवश्य उठाना चाहिये जो महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार हो और जिससे हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। उससे महात्मा गांधी की आत्मा को अवश्य ही शान्ति मिलेगी ।

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । संविद सरकार की समाप्ति के बाद इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा । उसके बाद यह पहली लोकप्रिय सरकार आयी है । उससे आशा थी कि राज्यपाल महोदय के भाषण में कुछ नई रीतियों, कुछ नई योजनाओं का सन्निवेश किया जायेगा, जो आज देश की और प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें हैं जैसे किसानों मजदूरों और प्राथमिक अध्यापकों की समस्यायें, लेकिन उनके संबंध में महामहिम राज्यपाल ने अपने संबोधन में कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया । भाषण को पढ़ने से ऐसा लगता है मानो परम्परागत संबोधन ही दे दिया गया हो । उसमें किसी नयी दशा और किसी नयी नीति को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

आज जो नये चुनाव संपन्न हुये, उनमें जितनी धांधली हुई है वह सन् ५२ से लेकर आज तक कभी नहीं हुई । उनके बारे में सब पार्टियों के नेताओं की ओर यह मांग की गयी थी कि उसके बारे में जांच की जाय । जनता को उनके मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोका गया । बहुत से मतदान केन्द्रों पर ऐसा भी हुआ है कि कोई वोटर जब वोट डालने के लिये गया तो मालूम हुआ कि उसका वोट तो पहले ही पड़ चुका है । सब पार्टियों ने इन बातों के बारे में न्यायिक जांच की मांग की थी । सरकार को उनकी न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार करके उसके बारे में कोई घोषणा अवश्य करनी चाहिये थी ।

जहां तक प्राथमिक शिक्षकों का प्रश्न है, वे राजनीति के शिकार बने हुये हैं । वे फुटबाल की तरह इधर से उधर फेंक दिये जाते हैं । अध्यक्ष अपनी मर्जी से चाहे जहां, चाहे जितनी बार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णस्वरूप]

तबादले कर देते हैं। मैं अपने जिले की बात तो जानता हूं वहां पर एक-एक अध्यापक का एक माह में ४-४ स्थान पर तबादला हुआ है। जिस प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का स्थानान्तरण एक मास में ४-४ बार हो भला बताइये वह किस प्रकार से पढ़ाने में मन को लगा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि इस प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषद् से सरकार को ले लेना चाहिये जिससे बच्चों का अध्ययन ठीक प्रकार से हो सके। इसके लिये सरकार को एक अलग शिक्षा बोर्ड का संगठन करना चाहिये।

इसके अलावा आज न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों में बड़ा भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उसका शिकार किसानों को होना पड़ता है। उदाहरण के लिये यदि किसी किसान को जमानत करानी होती तो उसको उसकी तस्दीक के लिये तहसील में जाना होता है, जिसके लिये उसे सदा ही पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा उसको ऋण लेना है, लगान के लिये प्रमाण-पत्र लेना है तो भी उसको पैसा देना होता है। उसका एक बड़ा सुन्दर इलाज जनसंघ के संशोधन में बताया गया है। किसानों को ऐसी परिचय पुस्तिका दी जानी चाहिये जिसमें उसकी भूमि का विवरण, उसका लगान आदि सब बातें अंकित की जानी चाहिये। लेखपाल जब कभी खाता पड़ताल करने के लिये जाय अपने रजिस्टर के साथ-साथ उनकी परिचय पुस्तिका में उन सब बातों को अंकित करे। मैं समझता हूं कि इस से किसानों को बहुत सुविधा हो जायेगी और रिश्वत भी बहुत हद तक कम हो जायगी। मेरा विचार है कि इस प्रकार की परिचय पुस्तिका अवश्य ही शीघ्रातिशीघ्र जारी की जानी चाहिये। आज जिन क्षेत्रों में चकबन्दी हो चुकी है वहां भी कागजात सही नहीं हैं, नक्शों में इन्दराज कुछ है, मौके पर कुछ है, मौके पर ४ बीघा जमीन है लेकिन कागज में कम दिखाई गई है। कहीं कागज में कम है तो मौके पर ज्यादा है। ठियेबन्दी और डिमार्केशन के तमाम केसेज आते हैं अभी से। तो क्या लाभ हुआ इस चकबन्दी कराने का और इतना खर्च जनता पर लादने का जब इन्दराज सही नहीं हुये तो सब बेकार है। मैं चाहता हूं कि सारे प्रदेश में सर्वे कराया जाय और देखा जाय कि मौके पर कौन काबिज है और नक्शे में किसका इन्दराज है। एक-एक गांव में आज दस-दस-बीस-बीस केसेज ठियेबन्दी के आ रहे हैं, सारे सूबे में देखकर इन इन्द्राजात को ठीक कराया जाय।

माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक अल्पसंख्यक आयोग बनाने की भी घोषणा की है। यह अल्पसंख्यक आयोग की बात करना ही और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की संज्ञा ही द्विराष्ट्रवादी विचार को जन्म देने की बात है। आज इस स्वतंत्र देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है और आज जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो उसके साथ ही इस बात को बढ़ावा मिलता कि इस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है और अमुक वर्ग को यह कठिनाई हो रही है हमारे संविधान में हर नागरिक के समान अधिकार हैं किसी को विशेष महत्व देने का प्रश्न नहीं है। धर्म या सम्प्रदाय के आधार पर कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं हो सकता। इससे तो एक तुष्टीकरण की नीति को ही प्रश्रय मिलता है और यह नीति हमारे राष्ट्र के लिये घातक है। हमारे यहां सबको समान अधिकार हैं और अगर हम इस तरह की वर्गभेद की नीति अपनायेंगे तो यह तुष्टीकरण होगा और यह एक अलगाव की नीति को पदा करना होगा। आज इस तरह की चीज का कोई औचित्य नहीं है और कोई ऐसी चीज प्रारम्भ न की जाय तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि प्रदेश के विकास के लिये और उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हमें अपने साधनों को बढ़ाना होगा। यह संकेत इस भाषा में किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ नये कर सरकार द्वारा आगे लगाये जायं परन्तु प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह नये करों का और भार उठा सके। अभी केन्द्रीय सरकार ने कृषि के उपयोग की कुछ वस्तुओं पर कर लगाने की व्यवस्था की है और आप भी और कर लगायेंगे तो अवश्य ही कृषक उसका विरोध करेंगे और मैं आज यहां भारतीय जनसंघ की ओर से कहना चाहता हूं कि यदि कोई नया कर लगाया गया तो हमारा दल उसका विरोध करेगा और हम नया कर न लगने देंगे अब किसान की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति

ऐसी नहीं हैं कि वह नये करों का और भार उठा सके। यदि साधनों का जुटाव ही है तो बड़े मिलमालिकों और और पूंजीपतियों पर यह भार डाला जाय और उनसे जो करोड़ों रुपया वह वसूल किया जाय, गन्ने के सेस का और अनेक ऋणों का जो पैसा बाकी है वह रुपया वसूल किया जाय। कारखानेदारों पर आज कितना रुपया सरकार का बाकी है? विकास के नाम पर योजना के नाम पर और अगर कोई भी नये कर लगाये गये तो किसान और मजदूर उसका विरोध करेगा और हमारा जनसंघ दल भी उसका पूरा विरोध करेगा तथा किसी नये टैक्स को नहीं लगने देगा।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर भी सरकार का विशेष कर श्रम मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां एक सूती मिल है, जिसमें पिछली ४ फरवरी से तालाबन्दी है और ५०० मजदूर बेकार पड़े हुए हैं। उन्होंने २४ घण्टे की सांकेतिक भूख हड़ताल भी की थी। मैंने श्रम मंत्री को एक तार भी भेजा था कि वे इसमें हस्तक्षेप करें क्योंकि मिल मालिकों ने अकारण मिल बन्द कर रखी है। इस मिल को खुलवा । जाय।

बदायूं नगरपालिका को संविद सरकार ने २ लाख ८० हजार रुपया सड़कों के निर्माण के लिये दिया था, लेकिन आज तक उनका निर्माण नहीं हो सका है। राष्ट्रपति शासन काल के दौरान २१ मेंम्बरों में से १० मेंम्बरों ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि इस नगरपालिका को सुपरसीड करके सरकार अपने हाथ में ले ले क्योंकि बदायूं नगरपालिका अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों का भी पालन नहीं कर पा रही है। इस नगरपालिका के अधीन सड़कों का निर्माण सरकार पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा कराये। मैं यह भी बतलाऊंगा कि संविद सरकार ने कई लाख रुपया बदायूं नगर के अन्दर सड़कों को बनाने के लिये पी० डब्ल्यू० डी० को दिया था जैसे बिलौली से इस्लामनगर वाया बहजोई तक की सड़क तथा बबरौला से गवां तक की सड़क, लेकिन आज तक पी० डब्ल्यू० डी० ने उन सड़कों का निर्माण नहीं कराया। मैं संबंधित मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो रुपया विभाग को मिला है वह लैप्स न हो लिहाजा सड़कों का निर्माण शीघ्र तिशीघ्र प्रारंभ हो। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह द्वारा जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और विरोधी दल के विभिन्न दलों तथा नेताओं के द्वारा तथा माननीय सदस्यों के द्वारा जो संशोधन उसमें प्रस्तुत किया गया है, उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सबसे बड़ी जो गौरव की बात है वह यह है कि महामहिम राज्यपाल ने पहली बार अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी में अपने भाषण को संबोधित किया। यह इस प्रदेश के लिये ही नहीं वरन् सारे देश के लिये गौरव की बात है। इसका मैं स्वागत करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किसी भी तथ्य को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया है। आप देखें कि अभिभाषण के पहल ही उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हमारा प्रदेश देश के प्रत्येक राज्य से पिछड़ा हुआ है। पिछड़ेपन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बढ़ती हुई आबादी का जिक्र किया है। यहां कौन नहीं जानता कि पिछले सालों में देश और प्रदेश की आबादी बढ़ी है और उसकी गति उस गति से ज्यादा है जो आर्थिक प्रगति की है।

इसके अलावा आप देखें कि पिछले १५, २० वर्षों में हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदायें, बाढ़ें आईं, सूखा पड़ा और हमारे देश में लड़ाई हुई जिससे यह प्रदेश पिछड़ गया। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप देखें तो आपको साफ जाहिर हो जायगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह प्रदेश किसलिये पिछड़ा हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामप्यारे]

आप देखें कि उत्तर प्रदेश के १५ जिलों में आबादी का घनत्व कितना है। दूसरी तरफ आप पहाड़ों को देखें कि वहां की क्या स्थिति है, बुन्देलखण्ड की क्या स्थिति है। प्रदेश की ४७ प्रतिशत आबादी इन इलाकों में रहती है जो सदैव डेफिसिट रहते हैं। वे कई दृष्टिकोण से पिछड़े हुये हैं। आज हमारी जो आमदनी कम हुई है उसके कुछ मुख्य कारण हैं, एक तो है जन संख्या की प्रगति, दूसरा विशेष भौगोलिक परिस्थिति। उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए महामहिम राज्यपाल ने संक्षेप में बातें कही हैं जो विशेष रूप से ध्यान देने के योग्य हैं। उनका ध्यान सबसे पहले आर्थिक असंतुलन मिटाने की ओर गया है।

उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वी क्षेत्र और बहु चर्चित पटेल आयोग का जिक्र किया है। यह भी एक स्वागत की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि अगली पंचवर्षीय योजना में या अगले वित्तीय वर्ष में नयी सरकार का प्रयास होगा कि वह कृषि को बढ़ावा दे। जहां तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है यह सर्व विदित है कि हमारा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ गया है। हमें खुशी है कि उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार ने मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में एक ऐसी कमेटी बनायी है जो कि नये उद्योगों की स्थापना के लिए सभी प्रकार की सुविधायें देगी और पहले की तरह अब उद्योगपतियों को सभी विभागों में न दौड़कर केवल इस कमेटी से ही सम्पर्क स्थापित करना होगा। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था तो एक उद्योगपति मिले। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बात की शिकायत है कि कोई इन्डस्ट्री लगाना चाहता है तो अलग-अलग विभागों से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। इससे काफी समय का नुकसान होता है। उन्होंने मद्रास का उदाहरण दिया कि एक बार वे ट्रेन से जा रहे थे तो वहां के उद्योग मन्त्री उन्हें मिल गये और उस प्रदेश में इन्डस्ट्री लगाने की चर्चा हुई तो उन्होंने उनका सारा इन्तजाम कर दिया। जिस होटल में वे जाकर ठहरे वहां सभी विभागों के अधिकारी उनसे जा कर मिले और तुरन्त उनका सब काम हो गया। इसलिए अगर अपने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना है तो इस तरह की कमेटी बहुत आवश्यक थी।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने जो सब से नयी बात की है, वह आदिम जातियों की बात कही है। हर प्रदेश में आदिवासियों के उत्थान के लिए योजनायें बनीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पर विचार नहीं है। अब नयी सरकार का इस ओर भी ध्यान गया है। पहाड़ की कई जातियों को आदिवासियों में मिलने का निश्चय किया गया है और उनके लिए अलग से विकास योजनायें बनायी जायेंगी। यह खुशी की बात है।

यही नहीं, यदि आप सिंचाई की योजनाओं को देखें तो पिछली बार संविद सरकार जब आयी थी, तो उसने सिंचाई में कई दिक्कतें किसानों के लिए पैदा कर दी थीं। लेकिन खुशी की बात है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में उन कठिनाइयों को जो पिछले साल में किसानों पर लादी गयी, उनका निवारण करने का संकेत किया गया है और देहातों में छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के विस्तार का भी इस में संकेत है। शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने संकेत दिया है। अध्यापकों के मामले को साधन को दृष्टि में रखते हुये उन की दिक्कतों को दूर किया जायेगा और जो पैरिटी वे चाहते हैं, उन को देने का प्रयत्न किया जायेगा।

राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि उन्होंने हरिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का भी प्रश्न उठाया है। क्या यह आज किसी से छिपा हुआ है कि हरिजनों के लिए पीने के पानी की बड़ी असुविधा है? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसकी चर्चा है।

यही नहीं कई जिले हमारे आज सूखा से त्रस्त हैं। उनके ऊपर भी राज्यपाल महोदय ने निगाह रखी है। मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि जिले इस से ग्रसित हैं। इस के लिए उन्होंने व्यवस्था करने का संकेत किया है। इस के अलावा प्रदेश में कई जगहों पर

असमानता है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो या विकास की असमानता हों सबका उसमें समावेश है।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महा महिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा के सम्बन्ध में अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में जो बात कही है वह शिक्षा की प्रगति के लिए काफी नहीं है। मैं मानता हूं कि किसी राष्ट्र का निर्माण उस के नागरिकों के निर्माण के द्वारा आंका जाता है। नागरिकों का निर्माण विद्यालयों में होता हैं। हमारे प्रदेश में पिछले २०-२१ वर्षों में जो शिक्षा दी गयी है, उसके द्वारा जो नागरिक तैयार हुये हैं, उन को गैर जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन हमने यह नहीं सोचा कि इसका कारण क्या है ?

हमारे प्रदेश में आय का १५ प्रतिशत शिक्षा के ऊपर व्यय होता है जब कि केरल में ३५ प्रतिशत होता है। मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात और बढ़ायी जाय कि शिक्षा पर होने वाला व्यय ३५ प्रतिशत न किया जा सकता हो तो २५ प्रतिशत जरूर किया जाय। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो या दोनों तरीकों से चलें। प्राइवेट स्कूल भी चलें और सरकारी स्कूल भी चलें। लेकिन यह आवश्यक है कि हमारे स्कूलों में साज-सज्जा अच्छी हो, बच्चों के लिए फर्नीचर और अन्य सामग्री अच्छी हो।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ।
१८ मार्च, १९६९।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४९ पर)

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का स्वरूप
२	श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (उपस्थित किया हुआ माना गया)।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में—

१—शासन द्वारा 'हर खेत को पानी तथा हर हाथ को काम' की नीति अपनाने,

२—गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राजकोष से वेतन दिलाने की व्यवस्था करने,

३—निरन्तर बढ़ती हुई बेरोजगारी की रोक-थाम के लिए कोई निश्चित कदम उठाने,

४—राज्य कर्मचारियों, मजदूरों, विश्वविद्यालय, माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए समुचित कदम उठाने,

५—हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग की उन्नति के लिए विशेष ध्यान देने, हरिजनों के लिए नौकरियों में सुरक्षित १८ प्रतिशत स्थानों की गारन्टी दिलाने तथा योजना में २५ प्रतिशत व्यय उन के विकास में व्यय करने,

६—प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आय १५० रु० प्रति मास करने,

७—प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषद् से पृथक कर राज्य सरकार के अधीन करने,

८—बालकों के लिए हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क करने,

९—बिना दस गुना लिये सभी को भूमि का मालिक बनाने,

१०—फसलों की बीमा योजना चालू करने,

११—भूमि का विवरण, लगान, देयधन आदि अंकित करने हेतु प्रत्येक किसान को एक परिचय-पत्र दिलाने की व्यवस्था करने जिस में कि पड़ताल के समय लेखपाल इन्दराज किया करेगा,

१२—गन्ने का मूल्य १८ रु० प्रति क्विंटल घोषित करने की सिफारिश करने,

१३—बिक्री-कर की वर्तमान पद्धति को बदल कर सिंगिल प्वाइंट सिस्टम लागू करने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम (श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी)	संशोधन का स्वरूप
		१४—श्रम कानूनों को दृढ़ता से लागू करने,
		१५—सभी अनाज के मूल्य, कृषि उपयोगी वस्तुओं तथा कल-कारखानों से बनने वाली जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से किसी निश्चित योजना को,
		१६—मध्यावधि चुनाव में हुई हिंसा तथा आतंक आदि की घटनाओं की न्यायिक जांच करने तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच विधेयक को लाग कराने की,
		घोषणा नहीं की है।"
३—श्री अनन्तराम जायसवाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जायें :—
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
		१—अलाभकर जोतों से मालगुजारी समाप्त करने का,
		२—एक निश्चित अवधि जैसे ७ वर्षों के भीतर सभी सिंचाई लायक जमीन के लिए सिंचाई आयोजनों का,
		३—विशेष खर्च के प्राथमिक स्तर के स्कूलों को बन्द करने का,
		४—अंग्रेजी की अनिवार्य पढ़ाई बन्द करने का,
		५—सार्वजनिक प्रयोग से अंग्रेजी को हटाने का,
		६—मन्त्रियों व अफसरशाहों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए स्थायी जांच आयोग नियुक्त करने का,
		७—पुलिस गोलीकांडों की अनिवार्य न्यायिक जांच करने के लिए स्थायी आयोग नियुक्त करने का,
		८—छोटी आमदनी वाले शहरियों को मकान बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए शहर की जमीन कीमत से मुनाफाखोरी समाप्त करने का,
		९—मध्यावधि निर्वाचन में किये गये प्रचार व कृत्यों के परिणामस्वरूप विभिन्न सम्प्रदायों व जातियों में ऐसे पूर्वाग्रह व अभिमान के उदय होने के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण प्रदेश में गांव-गांव शांति भंग का एवं राष्ट्रीय एकता के भंग होने का खतरा उत्पन्न होने का,
		१०—कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्यावधि निर्वाचन में सफलता प्राप्त के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों के इस्तेमाल का,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का स्वरूप
	(श्री अनन्तराम जायसवाल)	११--महंगाई समाप्ति की ऐसी योजना का कि जिस के अन्तर्गत दो फसलों के बीच किसी भी अन्न के भाव में २० प्रतिशत से ज्यादा हेर फेर न होने के तथा कारखानें की बनी हुई आवश्यक वस्तुओं के बिक्री-भाव लागत खर्च और ढुलाई खर्च के डयोढ़े से ज्यादा न होने की व्यवस्था करने का, १२--परती और बंजर जमीन को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटने की व्यवस्था का, १३--चीनी मिल मालिकों से गन्ना उत्पादकों के बकाया दाम के अविलम्ब भुगतान पर, और १४--प्रदेश भर में मास्टर प्लान, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट व इन्डस्ट्रियल एरिया बनाने के नाम पर गरीब किसानों की उपजाऊ भूमि और झोपड़ियों के अधिग्रहण को रोकने का, उल्लेख नहीं किया है।"
४--श्री भानु प्रताप सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया है)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-- "परन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कृषि के महत्व तथा कृषकों की संख्या को देखते हुये उन की समस्याओं के समाधान की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया।"
५--श्री रामप्रसाद देशमुख (उपस्थित किया हुआ माना गया है)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में-- १--किसानों को जो बिजली दी जाती है उस में कोई सुविधा नहीं दी जाती है, न उनको उद्योगपतियों के रेट में जो छूट है वह दी जाती है और न उनको कम रेट पर बिजली मिलती है" इसका जिक्र नहीं किया है। २--आजकल जो विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है उस के मिटाने का जिक्र नहीं किया है। ३--महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में हरिजनों को नौकरियों में जो १८ परसेंट और ४० परसेंट नौकरी दिलाने का तथा उनका कोटा पूरा करने का जिक्र नहीं किया है। ४--हरिजनों तथा गरीब लोगों को परती जमीन दिलाने का जिक्र नहीं किया है।
६--श्री रामगोपाल संड (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-- "किन्तु खेद है एवं महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित घोषणाएं नहीं कीं:-- १--राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के समान कर दिया जायगा।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	(श्री राम गोपाल संड)	२--माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं गैर अध्यापकों को वेतन तथा महंगाई भत्ता कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिया जायगा।
		३---प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को कम से कम १५० रु० मूल वेतन दिया जायगा।
		४---सरकारी कर्मचारियों तथा अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बड़े नगरों जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, बरेली एवं मेरठ आदि में सस्ते मकान बनवाये जायेंगे।
		५--इलाहाबाद की बाधम्बरी गृह स्थान योजना एवं इसी प्रकार की अन्य गृह निर्माण योजनाओं को पूरा कराया जायगा।
		६—इलाहाबाद के करेलाबाग एवं नैनी श्रमिक बस्तियों की समस्याओं का समाधान किया जायगा।
		७--उत्तर प्रदेश के उन केन्द्रीय कर्मचारियों को जो प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और जिन पर १९ सितम्बर की हड़ताल के सम्बन्ध में मुकदमें चलाये जा रहे हैं वह उठा लिये जायेंगे।
		८—व्यावसायिक कर को समाप्त कर दिया जायगा।
		९--भूमि-भवन कर की वापसी हो जायगी।
		१०--नगर महापालिका एवं स्वायत्त शासन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि की जायगी।
		११--प्रयाग नगर की पवित्र नदियों, गंगा एवं यमुना में पड़ने वाले गन्दे जल की निकासी के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायगी।
		१२—उत्तर प्रदेश की सीमा में स्वचालित संगणक (Electronic Computors) को किसी भी संस्थान में नहीं लगने दिया जायगा।
७--श्री विजय बहादुर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)।		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-- किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जनपद मिर्जापुर में भीषण पानी संकट का सामना करने के लिए क्या स्थायी हल हो सकता है जब कि मिर्जापुर जनपद की वर्तमान स्थिति यह है कि भीषण अकाल है और हजारों गांवों में पेय जल नहीं है तथा मिर्जापुर जनपद में घनरौल बन्धे को पानी देने के लिए सोन नदी से लिफ्ट कैनाल स्कीम चालू करने का जिक्र नहीं है। मिर्जापुर नगर की जनता ने मांग की थी कि एक मात्र जलाशय नगर की जनता को पेय जल देने के लिए सूख गया है और १९१६ की बनी हुई पानी वितरण के लिये पाइप लाइन नष्ट हो चुकी हैं उसके राहत के लिए कदम उठाया जाय, क्या कार्यवाही की गयी इसका जिक्र नहीं है।

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(श्री विजय बहादुर सिंह)	हिन्दुस्तान अल्मोनियम कम्पनी लिमिटेड, रेणुकूट के हजारों मजदूरों को गन्दी झोपड़ियों तथा बैरिकों में रहने वाले गरीब पिछड़े सताये हुये मजदूरों के विषय में सरकारी नीति की घोषणा नहीं की । अकाल-ग्रस्त मिर्जापुर जनपद जहां भूख एवं गरीबी से त्रस्त होकर वहां की जनता औबरा रेणुकूट तुर्रा में ५-५, ६-६ वर्ष के लड़के, लड़कियां बेचने के लिए लाती है और विदेशी मिशनरियों के दलाल उन्हें ५०-१०० रुपयों में खरीद कर अन्य स्थानों पर भेज देते हैं ऐसी स्थिति में वहां की जनता के सहायतार्थ ठोस कदम उठाने की कोई घोषणा नहीं की । किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने इस भाषण में अल्पसंख्यकों के हुकुक, भाषा व संरक्षण आदि को पूरा करने के बारे में कुछ नहीं कहा है ।
८—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री हबीब अहमद तथा श्री नसीमउद्दीन । (उपस्थन किया हुआ माना गया) ।	
९—श्री सर्वसुख सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—राज्य के नगरों में बढ़ती हुई जन-संख्या से उत्पन्न भयंकर गृह-आवास समस्या का निराकरण करने, तथा २—ग्रामीण क्षेत्र में उचित संख्या में कन्या पाठशालाओं की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं किया है ।"
१०—श्री चेतराम गंगवार (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—भूमि के लगान को प्रवेश में आधा करने, २—बालकों के लिये हाई स्कूल तक की शिक्षा को निःशुल्क करने ३—गन्ने तथा अनाजों के मूल्य को निर्धारित करने, ४—चक बान को समाप्त करने तथा आबपाशी कम करने, ५—जिला बरेली के प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की ५ माह से न मिली तनख्वाह अविलम्ब दिलाने, तथा ६—जिला बरेली में नवाबगंज से बहिर जागीर तक सड़क बनवाने की घोषणा नहीं की ।"

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
११—श्री उदित नारायण शर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की बात तो लिखी लेकिन किस प्रकार और किन-किन क्षेत्रों में यह कार्य सरकार करने की चेष्टा करेगी उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। इसी प्रकार सिंचाई योजनाओं का प्रसार कार्य कितना, किस प्रकार और किस क्षेत्र में किया जायगा इस पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला"
१२—श्री मलिखान सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित पर प्रकाश नहीं डाला— १—यह कि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट, कत्लों की भरमार का कहीं उल्लेख नहीं किया। २—यह कि किसानों की बढ़ी हुई बिजली की दरें समाप्त करने तथा सस्ती खाद देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ३—यह कि मिल के द्वारा तैयार की हुई चीजों के दाम बराबर बढ़ते जा रहें हैं उन्हें सस्ता कराने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ४—यह कि गांव क्षेत्र में सस्ती शिक्षा व्यवस्था तथा चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने और गरीबों को न्याय दिलाने आदि का कोई सम्बोधन नहीं किया।"
१३—श्री रामचन्द्र विकल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—किसानों पर लगान हटाने के संबंध में तथा किसानों की फसल के बीमा के संबंध में कुछ नहीं कहा। २—पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं की। ३—शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की कोई चर्चा नहीं की। ४—प्रदेश के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने वाले गूजरों के बसाने आदि की कोई चर्चा नहीं की। ५—तेन्दू की पत्ती के राष्ट्रीयकरण की कोई चर्चा नहीं की।
१४—श्री नित्यानन्द स्वामी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय। "किन्तु खेद है कि— १—श्री राज्यपाल महोदय ने न तो अपने भाषण में अपने प्रदेश के सैकड़ों केन्द्रीय कर्मचारियों पर १९ सितम्बर की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में चल रहे मुकदमों को वापस लेने की ओर संकेत नहीं है, न ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समानता लाने का कोई ठोस आधार ही दिया है।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	(श्री नित्यानन्द स्वामी)	२—प्रदेश में म्युनिसिपल कर्मचारियों की अपनी मांगों के लिये चल रहे आन्दोलन तथा डिग्री कालेज के अध्यापकों में फैले व्यापक असंतोष के समाधान की ओर ही कोई संकेत राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं है, प्रदेश के अध्यापकों की वेतन दरों की वृद्धि की घोषणाओं पर अमल किये जाने का कोई आश्वासन नहीं है। ३—प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था के आवश्यक सुधार तथा गन्ना उत्पादकों के व मिल मालिकों में चलते आ रहे संघर्ष की समस्याओं पर भी समुचित प्रकाश नहीं डाला गया है। ४—राज्यपाल महोदय ने व्यापारियों पर सेल्स टैक्स को सरल एवं एकसूत्री करने तथा व्यावसायिक कर की समाप्ति की घोषणा नहीं की। ५—प्रदेश भर के मजदूरों पर स्थान-स्थान पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने में पूर्णतः असफल श्रम कानूनों में आवश्यक संशोधन करने की ओर भी कोई संकेत नहीं किया गया है। ६—उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की योजनाओं की ओर जो आशा जनता करती है उसकी पूर्ति के बारे में कुछ नहीं कहा। ७—भूमि भवन कर की समाप्ति से जो राहत प्रदेश की जनता को मिली थी उसे पुनः न लगाये जाने का आश्वासन नहीं दिया गया है।"
१५—श्री धर्म सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि— १—किसी ऐसी नीति की घोषणा नहीं की जिससे शासन की असफल एवं अव्यावहारिक नीतियों के कारण प्रदेश की दुखी जनता को कोई राहत मिलने की सम्भावना होती। २—कृषि कार्यों के लिये किसानों को बिजली देने में विशेष प्राथमिकता तथा सुविधा दिया जाना। ३—अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये विशेष रूप से कोई ठोस कदम उठाना। ४—गांव-गांव में समुचित अस्पताल एवं चिकित्सा की व्यवस्था, अस्पतालों में डाक्टरों की कमी, दवाइयों की समुचित व्यवस्था, भवन एवं शैय्या आदि-आदि। प्रदेश में परिवार नियोजन असफल रहा है। ५—ग्रामीण क्षेत्र में औरतों के लिये शौचालय उपलब्ध करने की कोई योजना नहीं बनी है। ६—इन्जीनियर्स (टेक्निकल हैन्ड्स) प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
१६	श्री जगदीश गांधी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया है— १—भ्रष्टाचारी राजनैतिक नेताओं और मन्त्रियों के विरुद्ध जांच आयोग गठन किया जायगा । २—शिक्षा में व्याप्त अनुशासनहीनता को रोकने का प्रयास किया जायगा । ३—शिक्षा का स्तर उच्च बनाने के लिये स्कूलों में आवश्यक साज-सज्जा की वृद्धि, मेधावी छात्रों की वजीफों में वृद्धि तथा प्राथमिक अध्यापकों का न्यूनतम वेतन १५० रुपया मासिक किया जायगा । ४—बाल कल्याण एवं युवक कल्याण कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जायगा तथा इसके पर्याप्त साधन जुटायें जायेंगे । ५—देश की नयी पीढ़ी छात्र-छात्राओं में शिक्षा के प्रति अभिरुचि, राष्ट्र के प्रति अनुराग एवं आत्म-विश्वास तथा उत्साह की भावना जागृत करने के उद्देश्य से छात्रों के लिये खेल-कूद एवं पाठ्य-क्रमेत्तर क्रियाओं की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी । ६—मेधावी निर्धन क्षात्रों को किताबों, कापियों, कपड़े, आवास तथा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी । ७—बालक के सुन्दर चरित्र एवं संस्कारों के निर्माण तथा सुगठित व्यक्तित्व के विकास के लिये विदेशों की भांति हमारे प्रदेश में भी २ वर्ष से ६ वर्ष तक के बालकों के लिये सुन्दर शिशु शिक्षण एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षण की व्यवस्था प्रदेश भर में की जायेगी । ८—पूर्व प्राथमिक, हायर सेकन्डरी, इन्टर, डिग्री कालजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की जायगी तथा उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाया जायगा । ९—प्रदेश में २ अक्तूबर, १९६९ तक पूर्ण नशाबन्दी की जायगी । १०—प्रदेश के हाई स्कूलों में स्काउटिंग की ट्रेनिंग देने की अनिवार्य व्यवस्था की जायेगी ।"
१७	श्री जितेन्द्र पाल सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है— १—राजनैतिक भ्रष्ट मन्त्रियों के विरुद्ध एक जांच कमेटी बैठाई जायेगी । २—मन्त्रियों के व्यय तथा वेतन में कमी की जायेगी ।

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	संशोधन का रूप
	(श्री जितेन्द्रपाल सिंह)	३—प्राथमिक, सेकेन्डरी तथा डिग्री कालेज के अध्यापकों का वेतन कोठारी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार दिया जायेगा ।
		४—प्रदेश के शैक्षिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा जिससे प्राइवेट प्रबन्धक कमेटियां शिक्षा प्रसारण में बाधक न बन सकें ।
१८—श्री भारत सिंह चौहान (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में"—
		१—प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे संगीन अपराधों और उन्हें रोक सकने में पुलिस की अक्षमता तथा पुलिस उत्पीड़न एवं अत्याचारों और नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा की गारन्टी देने,
		२—अभाव-ग्रस्त एवं अर्सिचित क्षेत्रों के निःसहायक किसानों का इस फसल का लगान माफ करने तथा तकावी की वसूली स्थगित करने,
		३—हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने,
		४—स्वायत्त शासन विभागीय कर्मचारियों को समान वेतन भत्ता देने,
		५—अपने पदों का दुरुपयोग करके नाजायज सम्पत्ति अर्जित करने वाले निर्वाचित राजनीतिज्ञों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने के लिये निष्पक्ष उच्चाधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय आयोग आदि गठन की व्यवस्था का कोई उल्लेख तक नहीं किया ।"
१९—श्री जगवीर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)		अन्त में निम्न लिखित शब्द जोड़ दिये जायं : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
		१—किसी ऐसी नीति की चर्चा जिससे जनता में सरकार के प्रति फैलता असन्तोष रुक सके,
		२—प्रदेश में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को रोकने,
		३—देहातों में बिजली की व्यवस्था करने,
		४—किसानों को नलकूपों के लिये बिजली मिलने में परेशानी दूर करने,
		५—मिल मालिकों द्वारा गन्ने की कीमत कम करने,
		६—किसानों के माल की मन्डी में खुली लूट होने व मन्डी बिल सब जगह तुरन्त लागू करने,
		७—किसानों की पैदावार और उसकी इस्तेमाल की वस्तुओं में Parity लाने,
		८—किसानों पर लगाये जाने वाले टैक्स व fertilizers की कीमत में वृद्धि के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने,

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(श्री जगवीर सिंह)	६—सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम उठाने की चर्चा नहीं की है।"
२०—श्री दीपनारायण (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: परन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं की है— प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धियां, माध्यमिक एवं डिग्री कालेज के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशेष योजनायें।
२१—श्री चन्द्रभान (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: खेद है कि श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में यह नहीं कहा है कि प्रदेश की सुरक्षा व शांति बनाये रखने और इस ओर कदम उठाकर लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिये सरकार क्या करेगी।
२२—श्री शफीक अहमद खां (उपस्थित किया हुआ माना गया)	किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने खुतबे में उस यकीन-दिहानी का कोई तजकिरा काबिल इतमीनान नहीं दिया, जो उन्होंने विधायकों की तरफ से उर्दू में हलफ लेने के बन्दोबस्त के बारे में विधायकों के डेपूटेशन को दी थी।
२३—श्री गजेन्द्र सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया— १—प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बहने वाली नहरों ने फसल पर ठीक से पानी नहीं दिया जिससे किसान की फसलें सूख गयीं। २—खेतों पर काम करने वाले लाखों खेतिहर मजदूरों को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ३—इटावा, फर्रुखाबाद कानपुर जिलों में फैली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया। ४—इटावा जिले की विधूना, भर्थना तहसीलों व फर्रुखाबाद जिले की कन्नौज, छिबरामऊ तहसीलों और कानपुर जिले की देरापुर तहसील में बढ़ते हुये खारी ऊसर से खेतिहर भूमि बर्बाद हो रही है इसका जिक्र नहीं किया। ५—पश्चिमी जिलों खासतौर से चम्बल घाटी तथा चम्बल व गंगा नदी के बीच के क्षेत्र में नये-नये डाकुओं के गिरोहों से त्रसित जनता की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया। ६—प्रदेश में फैले हुये लाखों शिक्षित बेकारों को रोजगार दिलाने हेतु ध्यान नहीं दिलाया गया।"

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
२४	श्री हरिवंश सहाय (उपस्थित किया हुआ माना गया)	धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में— १—बकेवर, हथियागढ़ आदि पुलिस काण्डों की जांच स्थानीय अधिकारियों को हटाकर न कराने की निन्दा नहीं की । २—गन्ने का दाम वर्तमान सीजन में १८ रु० क्विंटल करने की घोषणा नहीं की । ३—चौथी पंचवर्षीय योजना में बाढ़-कटाव निरोधक योजना की स्वीकृति करने का एलान नहीं किया । ४—सरकारी मशीनरी तथा पुलिस द्वारा चुनाव में किये गये दुरुपयोग की जांच के लिये हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त करने की घोषणा नहीं की । ५—जिला परिषदों का उपयोग एक राजनैतिक दल के चुनाव अभियान में किये जाने की निन्दा नहीं की तथा उसके रोक-थाम के लिये जांच करने एवं जिला परिषदों को भंग करके बालिग मताधिकार पर चुनाव कराने की बात नहीं कही । ६—मिलों में मजदूरों के संगठन को मान्यता देने हेतु प्रजातांत्रिक ढंग से मताधिकार कराके बहुमत के आधार पर मान्यता देने की व्यवस्था नहीं की तथा सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बोनस देने की घोषणा नहीं की ।"
२५	श्री मोहन लाल कपूर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय : किन्तु १—खेद है कि प्राथमिक अध्यापकों को न्यूनतम मासिक वेतन १५० रु० करने का उल्लेख नहीं है । २—खेद है कि प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों तक कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का उल्लेख नहीं है । ३—खेद है कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन सरकारी कोषागारों से दिलाने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है । ४—खेद है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले गैर शिक्षकों के वेतन मान व महंगाई भत्ते का उल्लेख नहीं हुआ है । ५—खेद है कि केन्द्रीय कर्मचारियों पर चल रहे मुकदमों को उठाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । ६—खेद है कि हड़ताल के कारण निकाले गये राज्य कर्मचारियों को फिर से लेने के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है । ७—खेद है कि व्यावसायिक कर को समाप्त करने के संबंध में कोई चर्चा नहीं है । ८—खेद है कि पश्चिमी प्रदेश के मेरठ जिले में हाई कोर्ट की बेंच खोलने का उल्लेख नहीं है ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	(श्री मोहनलाल कपूर)	९—खेद है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के आन्दोलनों के परिणामस्वरूप सुविधाओं को देने का जो फैसला सरकार ने लिया था उसको लागू करने के संबंध में उल्लेख नहीं है। १०—खेद है कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
२६	—श्री राम करन सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में— १—छोटे किसानों की मालगुजारी को खत्म करने का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। २—गंडक योजना में ली गयी जमीन के मुआवजा का भुगतान करने का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। ३—गन्ने के मूल्य में वृद्धि हो, इस पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। ४—पटेल कमीशन लागू हो इसमें संबंधित समस्त जिले शामिल रहेंगे उस पर भी कोई जिक्र नहीं है। ५—पूर्वी जिलों में सिंचाई की प्राथमिकता किस प्रकार दी जायगी, इस पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। ६—प्रदेश में प्रतिदिन बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति के लिए कोई ठोस सुझाव नहीं है कि उसे किस प्रकार कम किया जाय।
२७	—श्री मही लाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्दावली जोड़ दी जाय: किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— (अ) जनता की समस्याओं के तात्कालिक निराकरण के उपायों पर कोई प्रकाश नहीं डाला, तथा (ब) ग्रामीण जीवन की सामाजिक व प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने की शासन की भावी योजनाओं एवं विधायन कार्यों की विस्तार से चर्चा नहीं की।
२८	—श्री दीप नारायण (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा की विस्तृत योजना, बालिकाओं की शिक्षा, माध्यमिक एवं डिग्री कालेज स्तर की शिक्षा की समस्याओं के हल करने की योजना पर प्रकाश नहीं डाला है।
२९	—श्री चिरंजी लाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिये जायं : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—भूमि-भवन-कर, वृत्ति एवं व्यापार कर को समाप्त करने,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	(श्री चिरंजी लाल)	२—कृषि योग्य ऊसर भूमि, परती, बंजर जमीन को मुफ्त बांट देने और वितरण में खेतिहर मजदूर, हरिजन, आदिम जाति आदि में प्राथमिकता देने, ३—अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये विशेष रूप से संरक्षण देने की कोई समुचित योजना बनाने, ४—देहातों में यातायातों की साधन-व्यवस्था करने, विशेषकर जलेसर से फिरोजाबाद को पक्की सड़क का निर्माण तथा जलेसर-आगरा व जलेसर-सिकन्दराराऊ को पक्की सड़क का निर्माण करने, की घोषणा नहीं की है ।"
३०—श्री राम सिंह खन्ना तथा श्री ओम प्रकाश सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—स्थानीय निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार के निराकरण के उपायों पर प्रकाश नहीं डाला । २—प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं के सुधार का भी कोई जिक्र नहीं किया ।
३१—श्री रामधारी (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर-सरकारी माध्यमिक शिक्षकों का वेतन सरकारी खजाने से देने, अलाभकर जोतों से मालगुजारी समाप्त करने, दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, बड़ी-बड़ी जोतों को छोटी कर भूमिहीनों में वितरण करने, बेरोजगारों को जीविका प्रदान करने तथा हरिजनों को पेय-जल की मुफ्त व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।"
३२—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—कृषि योग्य ऊसर धरती परती बंजर जमीन को मुफ्त बांट देने और वितरण में खेतिहर मजदूर, भूमि-हीन किसान, हरिजन, थारू, कोल आदि कमजोर तबकों को प्राथमिकता देने, २—अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये विशेष रूप से कोई समुचित योजना बनाने, की घोषणा नहीं की।"
३३—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में मिलों के बन्द होने की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न श्रमिक संकट को हल करने तथा श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों के सामान्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोई समुचित योजना की घोषणा नहीं की है ।"

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
३४	श्री कृष्ण स्वरूप वैश (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में उझयानी सूती मिल जो ४ फरवरी से बन्द है उसे खुलवाने के प्रयास की घोषणा नहीं की है।
३५	श्री शिव दास (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ऐसी किसी भी व्यवस्था का जिक्र नहीं किया है जिससे राज्य के सभी व्यक्तियों को भर पेट भोजन, कपड़ा, मकान, पढ़ाई तथा दवाई प्राप्त हो सके।
३६	श्री बलबीर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय : "किन्तु खेद है कि— १—राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिये हाई कोर्ट की बांच व बोर्ड आफ रेवेन्यू की बांच उन जिलों में से किसी में भी स्थापित करना आवश्यक है। इन जिलों की जनता को न्याय प्राप्त करने में बड़ी तकलीफ व हानि उठानी पड़ती है। २—राज्यपाल महोदय ने यह नहीं कहा कि गन्ने के किसान को गन्ने का उचित मूल्य १८ रु० प्रति क्विंटल मिलना चाहिये। ३—राज्यपाल महोदय ने यह नहीं कहा कि राज्य विधान परिषद् अनावश्यक है सरकार शीघ्र विधान परिषद् को भंग करने की ओर कदम उठायेगी।"
३७	श्री जगदम्बा प्रसाद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय : "किन्तु खेद है कि— १—प्रदेश के पूर्वी अंचल में अविकसित क्षेत्रों की तरफ विकास की योजनाओं के विषय का कोई उल्लेख नहीं है। २—प्रदेश में सिंचाई साधन के प्रति नलकूपों की समुचित व्यवस्था के विषय में विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अभी तक नलकूप नहीं लगे हैं पर कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। ३—यह प्रदेश व्यवसाय-कर एवं भूमि-भवन कर समाप्ति पर कोई उल्लेख नहीं किया है।"
३८	श्री जगन्नाथ राव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की घोषणायें नहीं की— कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की गरीबी मिटाने हेतु पटेल आयोग की सिफारिशों को अविलम्ब कार्यान्वित किया जायगा।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
३९	श्री शिव राज सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्भाषण में— १—कृषि में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों के बढ़ते हुये मूल्यों पर कोई चिन्ता प्रकट नहीं की और उन्हें घटाने और स्थिर रखने की किन्हीं योजनाओं की चर्चा नहीं की। २—कृषि तथा औद्योगिक उत्पाद के मूल्यों में सन्तुलन स्थापित करने की किसी योजना का या प्रोग्राम की चर्चा नहीं की। ३—वर्तमान कृषि वर्ष में आलू व गन्ने के गिरते हुये मूल्यों को उठाने की किसी योजना की चर्चा नहीं की। ४—कृषि खोज के वेग को बढ़ाने की किसी समुचित योजना की चर्चा नहीं की।
४०	श्री शम्भूनाथ चौधरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—राज्य से गरीबी व बेरोजगारी मिटाने की नीति, २—राज्य की निरंकुश पुलिस को कर्तव्य-परायण बनाने की, ३—हर खेत को पानी और हर गांव को बिजली देने की योजना, ४—अलाभकर जोत से लगान खत्म करने, ५—जाति प्रथा का विनाश करने, ६—शिक्षा से अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त करने, ७—जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें बांधने और मिल से निकली वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों को रोकने, ८—खेतिहर पैदावार और पक्के माल की कीमतों में सन्तुलन कायम रखने, ९—पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक जातियों को समता के स्तर पर लाने हेतु संरक्षण संबंधी नीति का प्रतिपादन करने, १०—कृषि कार्य हेतु सिंचाई और बिजली की दरों में कमी करने, ११—बाढ़-पीड़ित लोगों की आवास की व्यवस्था और अग्नि पीड़ित लोगों को समुचित सहायता प्रदान करने, १२—स्वायत्त शासन विभाग के प्रत्येक निर्वाचन में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का अनुसरण करने,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		१३—कटान पीड़ित लोगों के लिये पेय जल की समुचित व्यवस्था करने,
		१४—अन्न पर से विक्रीकर हटाने और इस कर को एक-पदीय करने,
		१५—हरिजनों के लिये नौकरियों में सुरक्षित स्थानों की अनिवार्यता को चरितार्थ करने,
		१६—राष्ट्रपति शासन के ३६६ दिन के क्रिया-कलापों का जिक्र नहीं किया ।"
४१—	श्री कन्हैयालाल सोनकर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित घोषणायें नहीं की हैं—
		१—प्रदेश के हरिजन तथा पिछड़ी जाति के बालकों को ग्रीष्मावकाश के पूर्व उन्हें उनका वजीफा दिया जाय ।
		२—प्रदेश के हरिजन तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को ग्रामीण उद्योग-धन्धे लगाने के लिये बिना सूद के कर्ज दिये जांय । कर्ज बड़ी मात्रा में दिया जाय जिससे उद्योग लगाने में सहूलियत हो ।"
४२—	श्री रामवचन यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "खेद है कि महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार दूर करने हेतु कोई कदम उठाने की ओर संकेत नहीं किया है ।"
४३—	श्री गोविन्द सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि—
		१—टिहरी-गढ़वाल तथा पर्वतीय अंचल के जिलों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं घोषित किया और पर्वतीय विकास परिषद् को स्वायत्त संस्था बनाने और उसको विकास संबंधी पूर्ण वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार देने के संबंध में स्पष्ट घोषणा नहीं की ।
		२—पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा का पर्वतीय जनता की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिये प्रयोग में लाने की किसी ठोस योजना की चर्चा नहीं की ।
		३—कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा तो की है परन्तु जिला टिहरी-गढ़वाल में डिग्री कालेज खोलने की कोई चर्चा नहीं की ।
		४—तराई क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू करने की बात तो कही है, लेकिन यह स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है कि तराई और भावर में केवल पर्वतीय भूमिहीनों और सैनिक परिवारों को ही जमीन एलाट की जावेगी ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		५--टिहरी जिले में रियासत के विलीनीकरण से पूर्व और बाद को नियुक्त किये गये प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के वेतन-क्रम व सर्विस कन्डीशन में बरते जाने वाले भेदभाव को अन्त करने की घोषणा नहीं की गई ।
		६---अलाभकर जोतों का लगान माफ करने की घोषणा नहीं की गई ।
		७--केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों, विद्यार्थियों, भूमिहीन किसानों व कालागढ़ के मजदूरों के आन्दोलन के संबंध में चलाये गये मुकदमों को वापिस लेने की घोषणा नहीं की ।
		८--हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में कोई अफसोस जाहिर नहीं किया और जातीयता, साम्प्रदायिकता, छुआछूत को मिटाने और पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं मानवीय अधिकारों की रक्षा करने की कोई ठोस नीति की चर्चा नहीं की गई ।
		९---प्रदेश में जो बहुत सी मिलें बन्द हैं उनको खुलवाने और मालिकों की ओर से आये दिन होने वाली छंटनी के संबंध में किसी नीति की चर्चा नहीं की गई है ।
		१०---चुनाव में कुछ पार्टियों की ओर से जो संगठित तथा अनियन्त्रित आतंक, भ्रष्ट तरीकों, सम्प्रदायवाद तथा जातिवाद का प्रयोग किया गया और गरीब जनता को अपने वोट देने के मूलभूत अधिकार से बल प्रयोग की धमकी देकर वंचित रखा गया । उसकी जांच करने के लिये किसी उच्च-स्तरीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा नहीं की गई ।
		११---प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल व डिग्री कालेज के प्राध्यापकों के वेतन बढ़ोत्तरी की कोई घोषणा नहीं की गई ।
		१२---भूमिहीनों को भूमि देने की किसी ठोस कार्यक्रम की चर्चा नहीं की ।
४४---श्री दुर्जन (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि---
		१--प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र की समस्याओं, जैसे यातायात, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थय की सुविधाओं व विकास के संबंध में किसी ठोस योजना की घोषणा नहीं की है । राज्य के एक अत्यन्त पिछड़े हुये क्षेत्र बुन्देलखण्ड के विकास के लिये और इस क्षेत्र की अपनी विशेष परिस्थितियों को देखते हुये इसके विकास के लिये किसी आयोग का गठन करने की चर्चा नहीं की गई ।
		२---बुन्देलखण्ड में भयानक सूखे से खरीफ तथा रबी फसल बड़े पैमाने पर नष्ट होने और सिंचाई के व पीने के पानी के कुयें सूख जाने की दृष्टि से न तो बड़े पैमाने पर

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	राजकीय ट्यूबवेलों के निर्माण के संबंध में और न निजी काश्तकारों को छोटे ट्यूबवेलों व पम्पिंग सेट देने के लिये किसी ठोस कार्य क्रम की घोषणा की गई । ३—हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में कोई अफसोस जाहिर नहीं किया गया और न छुआछूत को मिटाने और पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं मानवीय अधिकारों की रक्षा करने की कोई ठोस नीति की चर्चा नहीं की गई है ।
४५—श्री नैपाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि— १—प्रदेश में भ्रष्टाचार के रोकने के लिये किसी कमीशन के नियुक्त करने का कोई जिक्र नहीं किया है । २—किसानों को सस्ती दर पर नलकूपों के लिये बिजली स्वीकृत करना तथा उससे संबंधित कठिनाइयों को दूर करने का कोई जिक्र नहीं किया । ३—किसानों को सिंचाई के साधनों की तुरन्त सुविधा देने, जिसे वर्त्तमान रबी की फसल की उपज में कमी को रोका जा सकें, की घोषणा नहीं की । ४—देहातों में बिजली की अधिक से अधिक सुविधा शीघ्रातिशीघ्र देने की नीति की घोषणा नहीं की ।
४६—श्री राम सागर तथा श्री उमानाथ सिंह । (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में— १—उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला और विशेषकर जिले की केराकत तहसील का डोभी ब्लाक जिसके ८० प्रतिशत कुयें सूख गये हैं सूखा-पीड़ित घोषित करने तथा सूखे हुये कुओं की सरकारी बोरिंग कराने एवं पानी पीने की समस्या को हल करने, २—बेकार तथा बिगड़े हुये नलकूपों को कार्यदक्ष्य बनाने तथा जिले में सिंचाई की सघन योजना चलाने, ३—सूखा-पीड़ित जिले जौनपुर के किसानों की हर प्रकार की वसूली स्थगित करने, ४—जौनपुर जिले में मड़ियाहूं से रामगढ़ मार्ग बाया जलालपुर तथा थाना गद्दी का जो पटेल आयोग में स्वीकृत हो चुका है, निर्माण कराने, ५—ग्राम समाज की ऊसर, परती तथा बेकार जमीन को भूमिहीनों में बांटने, ६—भूमिहीन, बेरोजगार, अपाहिजों, अपंगों को काम दिलाने एवं उन्हें गुजारे लायक पेंशन की व्यवस्था करने, की घोषणा नहीं की ।

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
४७—श्री जंग बहादुर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में— १—किसानों पर लगे बिजली अधिभार तथा बिजली कर की दरों में कमी करने की घोषणा नहीं की। २—हरिजन जातियों के लिये नौकरियों में १८ प्रतिशत स्थान दिलाने के लिये ठोस कदम उठाने की घोषणा नहीं की गई। ३—प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों के अभाव की शीघ्र पूर्ति का राज्यपाल महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया। ४—किसानों को सस्ता न्याय दिलाने के लिये राज्यपाल महोदय ने कोई घोषणा नहीं की। ५—राज्यपाल महोदय ने सबसे बड़े एवं पिछड़े उत्तर प्रदेश की जनता की राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिये सिंचाई एवं उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार से बड़ी सहायता की मांग की घोषणा नहीं की।
४८—श्री लक्ष्मण स्वरूप (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण में सरकारी धनराशि जो कि उद्योगपतियों को १९५६ से ऋण के रूप में किसी निश्चित समय के लिये दी गई थी और जिसको काफी मात्रा में अभी तक वसूल नहीं किया गया, इस बारे में कुछ नहीं कहा है।
४९—श्री आशा राम "इन्दु" (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणायें नहीं की हैं: १—खेतिहर मजदूर, भूमिहीन किसान, हरिजन, थारू, कोल आदि कमजोर वर्गों के लिये तकनीकी शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिये, २—इन वर्गों के लिये उद्योग धन्धों में प्राथमिकता देना चाहिये, ३—देहातों में नई चिकित्सा सुविधायें प्रारम्भ करना चाहिये, तथा ४—बिक्री-कर विभाग में करों की चोरी रोकने के नियमों को सुदृढ़ बनाना चाहिए।
५०—श्री शमीम आलम (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में :— १—भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि उपलब्ध कराने का कोई जिक्र नहीं किया।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		२—फुटकर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी की दर नियत करने की व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं किया।
		३—अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के संरक्षण को पूरा करने के निर्धारित लक्ष्य का कोई जिक्र नहीं किया।
		४—व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के, जाति द्वारा जाति के, वर्ग द्वारा वर्ग के शोषण, दोहन, दलन और दमन का अन्त करने का कोई जिक्र नहीं किया।
		५—जिन लेखों, पुस्तकों, ग्रंथों आदि के द्वारा साम्प्रदायिक भावनाओं ने जन्म लिया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई जिक्र नहीं है।
		६—भाषाई अल्प-संख्यकों को संरक्षण के साथ सामाजिक व धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षणों का कोई जिक्र नहीं है।
		७—भ्रष्टाचार के अन्त करने का कोई जिक्र नहीं किया है।
५१—श्री शिव प्रसाद पांडिया (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणायें नहीं हैं—
		१—अलाभकर जमीनों पर लगान न हो,
		२—सूखा से पीड़ित किसानों के लगान में माफी की जाय।
		३—हर खेत को पानी व हर गांव को बिजली मिले।
		४—जनता के खाद्य सामान से महंगाई खत्म हो व रोजाना के जरूरी सामान चीनी व डालडा इत्यादि के दामों में कमी हो।
		५—चुनाव में हुये अत्याचारों की जांच हो, पुलिस की निरंकुशता तथा सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, चकबन्दी इत्यादि से खत्म की जाय।
		६—अस्पतालों में डाक्टरों के अलावा दवाइयों का भी उचित प्रबन्ध हो।
		७—प्राथमिक अध्यापकों को १५० रुपये वेतन मिले।
		८—निलम्बित तथा निकाले राज्य कर्मचारियों को उनकी जगहें दी जायं।
		९—राज्य की बन्द मिलों को सरकार स्वयं चलाने की व्यवस्था करे।
		१०—न्याय सस्ता व शीघ्रता से मिले।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		११—भूमिहीनों को जमीन तथा बेरोजगारों (बेकारों) को काम मिले ।
		१२—दसवें कक्षा तक बालकों की फीस माफ की जाय तथा निर्धन व होनहार बालकों को विशेष सुविधायें दी जायं ।
		१३—नसबन्दी के अन्दर के भ्रष्टाचार का अन्त हो ।
५२—श्री कल्यान सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
		१—दैवी प्रकोपों से होने वाली महती क्षति से कृषकों की सुरक्षा हेतु फसलों का बीमा करने,
		२—किसानों को अपनी भूमि के लेखे-जोखे की "पास-बुक" देने,
		३—कृषि उत्पादनों (अनाज, गुड़ आदि) के मूल्यों और कृषि उपयोगी वस्तुओं तथा कल-कारखानों में बनने वाली जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में सन्तुलन, एकरूपता एवं समानता (पैरिटी) बनाये रखने के लिये किसी निश्चित योजना और क्रय-मूल्य तथा विक्रय-मूल्य में अधिकतम अन्तर २० प्रतिशत तक सीमित रखने की प्रभावी व्यवस्था,
		४—अनाज और गुड़ के स्वच्छन्द एवं स्वतन्त्र आवागमन,
		५—सिंचाई की दरों, खाद, बीज, सिंचाई के साधन, कृषि, औषधियों तथा कृषि उपयोगी यन्त्रों के मूल्य कम करने,
		६—सिंचाई और लघु उद्योगों के लिये सस्ती दर पर बिजली देने में प्राथमिकता प्रदान करने,
		७—राजकीय नलकूप से ६०० मीटर की दूरी पर निजी नलकूप लगाने के कड़े प्रतिबन्ध को ढीला करके ३०० मीटर की दूरी निश्चित करने और निजी नलकूपों से दूसरे किसानों को पानी बेचने का अधिकार देने,
		८—राजकीय नलकूपों से द्विभागीय--उपकर-पद्धति को समाप्त करने तथा नलकूपों की संख्या बढ़ाने,
		९—बिना दरागुना लिये किसान को अपनी भूमि का स्वामी बनाने,
		१०—किसान मजदूरों को सस्ती दर पर ऋण देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखायें खोलने,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		११—प्रशासन-व्यय में कमी करने, फिजूल खर्ची रोकने तथा प्रशासन में सुचिता और दक्षता लाने,
		१२—भ्रष्टाचार दूर करने के लिये किसी "विशेष उच्चाधिकार सम्पन्न आयोग" की स्थापना करने,
		१३—"विजिलेन्स कमीशन" को सीधे शिकायत मिलने पर बिना राज्य के पूर्व आदेश प्राप्त किये जांच तथा कार्यवाही करने का अधिकार देने,
		१४—न्याय को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्रतर करने तथा न्यायालय की भाषा हिन्दी बनाने,
		१५—प्रदेश में पूंजीपतियों पर बकाया करोड़ों रुपये के टैक्स को वसूल करने, कर से बचने की प्रवृत्ति को रोकने की किसी प्रभावी योजना,
		१६—बिक्री-कर को एक पदीय (सिंगिल प्वाइन्ट) करने,
		१७—हर सक्षम हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बालक को शिक्षा, हर रोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराने की किसी व्यापक योजना,
		१८—हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और प्रधानाचार्यों के पद का प्रान्तीयकरण करने,
		१९—२०० रुपये मासिक से कम आय वालों के बच्चों को उच्च स्तर तक निःशुल्क शिक्षा,
		२०—समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के अनुसार प्रदेश के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के समान वेतन-क्रम, महंगाई भत्ता और अन्य परिलाभ प्रदान करने,
		२१—प्रदेश के सभी स्तरों के विद्यालयों में काम करने वाले गैर-शिक्षक (कार्यालय अधीक्षक, लिपिक वर्ग, लाइब्रेरियन, दफ्तरी, माली, जमादार तथा चपरासी आदि) कर्मचारियों के वेतन-क्रम एवं महंगाईभत्ता को मूल्य सूचकांक के अनुरूप संशोधित करने और चपरासी आदि की सेवा नियमावली बनाने,
		२२—अध्यापकों का वेतन सरकारी खजाने से देने,
		२३—प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का न्यूनतम वेतन १५० रुपये मासिक करने,
		२४—प्राइमरी शिक्षा को जिला परिषदों के चंगुल से मुक्त करने और इस शिक्षा के संचालन के लिये "प्राथमिक शिक्षा आयोग" की स्थापना करने,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		२५—हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं में हिन्दी को अनिवार्य एवं अंग्रेजी को अतिरिक्त ऐच्छिक विषय बनाने,
		२६—१५० रुपये अथवा इससे कम की मासिक आमदनी वालों के लिये अतिरिक्त आय की उपलब्धि कराने की योजना,
		२७—अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के विकास एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये योजना का २५ प्रतिशत भाग व्यय करने,
		२८—हदबन्दी (सीलिंग) से बची भूमि तथा परती भूमि को हरिजनों और भूमिहीनों में बांटने,
		२९—उद्योगों और कारखानों के लाभ तथा प्रबन्ध में मजदूरों को भी साझीदार बनाने,
		३०—स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रम, महंगाई भत्ता और अन्यपरिलाभ बढ़ाकर समान करने,
		३१—पंचायत मंत्रियों की सेवा नियमावली बनाने और उनका वेतन आदि बढ़ाने,
		३२—ग्राम-पंचायतों के आर्थिक-साधन स्रोत बढ़ाने की दृष्टि से लगाने का ५० प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों को देने,
		३३—शस्त्रास्त्र (बन्दूक, पिस्तौल तथा रिवाल्वर आदि) की लाइसेंस नीति को उदार करने,
		३४—चोरी, डकैतियों और हत्याओं के बढ़ते हुये अपराधों की चिन्ताजनक विषम परिस्थिति पर काबू पाने की व्यापक योजना,
		३५—चौकीदारों, कान्स्टेबुल्स तथा थानेदारों के वेतनक्रम संशोधित करने, कान्स्टेबुल्स के लिये "फैमिली क्वार्टर्स" प्रदान करने और थानों के काम में कार्यकुशलता तथा तीव्रता लाने के लिये प्रत्येक थाने में टेलीफोन तथा जीप देने,
		३६—"पुलिस मैनुअल" और "कोड आफ पुलिस कन्डक्ट" को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करने,
		३७—"पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी, १९४७–४८" और "यू० पी० पुलिस कमीशन, १९६०–६१" की आख्याओं में की गई अनुशंसाओं के अनुसार पुलिस विभाग को (१) शांति एवं कानून व्यवस्था को कायम रखने वाली और (२) "इन्वेस्टीगेशन" करने वाली दो अलग-अलग शाखाओं में विभक्त करने की योजना,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		३८—अलीगढ़ जिले की अति उपेक्षित एवं पिछड़ी हुई तहसील अतरौली के अन्तर्गत : (१) अतरौली–पालीमुकीमपुरह-रदोई की सड़क के नव-निर्माण, (२) बरौठा से रामघाट, (३) बिजौली से छर्रा, (४) अतरौली से कासगंज और (५) पनेटी से सांकुरा जाने वाली सड़कों को पक्का (डाबर रोड) कराने।
		३९—आर्थिक विकास एवं उन्नति के लिये अतरौली तहसील में शुगर मिल (गन्ना मिल) तथा अन्य कोई उद्योग धन्धा प्रारम्भ करने,
		४०—उपरोक्त तहसील के हारनपुर कलां और किरतौली ग्रामों की लगभग सभी भूमि गंगा की धार से कट चुकने पर भी इन ग्रामों तथा पड़ोस के अन्य ग्रामों को सर्वनाश से बचाने के लिये गंगा पर बन्धा लगाने और गंगा की उत्तर दिशा में धार से छूटने वाली भूमि से वन विभाग का अधिकार समाप्त करने, उस पर उक्त ग्रामों के पीड़ित किसानों का अधिकार मान लेने,
		४१—उच्चाधिकारियों द्वारा विनाशपूर्ण स्थिति की भयावहता का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के बावजूद भी लगभग १२,००० (बारह हजार) बीघा अति उपजाऊ भूमि को प्रति वर्ष जलमग्न होने से बचाने के लिये अतरौली तहसील के (१) नहल, (२) काजिमाबाद, (३) जुझरका, (४) चन्दोआ-तची, (५) दरी-ममोरी और (६) जिरौली के नालों के नव-निर्माण और खिरीरी-ककराली-दादों वाले नाले को और अधिक चौड़ा तथा गहरा करने,
		४२—जिला बुलन्दशहर के डिबाई थाने के घोर आतंकवादी, अत्याचारी और स्थानीय राजनीति में सक्रिय भाग लेने वाले एस० ओ० का अविलम्ब स्थानान्तरण करने,
		४३—१९ सितम्बर, १९६८ की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश में कार्य करते हैं, के विरुद्ध मुकदमों को वापिस लेने तथा उन्हें बहाल करने, की घोषणा नहीं की।
५३—श्री दल सिंगार यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायें : किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में– (अ) आजमगढ़ जिले में बढ़ती हुई पुलिस अकर्मण्यता तथा आतंक के कारण चोरी, डकैती तथा कत्ल पर प्रकाश नहीं डाला । (ब) साधारण किसानों को प्राप्त होने वाली सिंचाई के लिये बिजली से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने के उपायों की ओर संकेत नहीं किया ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(स) प्रदेश के डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के शिक्षकों के महंगाई भत्ते, वेतन असमानता तथा सेवा नियमावली के सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला।
		(द) प्रदेश के डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के शिक्षकों की हड़ताल समाप्ति के बाद भी अब तक फरवरी मास का वेतन न दिये जाने पर प्रकाश नहीं डाला।
५४—श्री हुबीबुर्रहमान नोमानी (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जायें : किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—
		१—(अ) अलग से करघा उद्योग को सहायता का,
		(ब) बुनकरों की एकतेसादी बदहाली को दूर करने का,
		२—पूर्वी जिलों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था के लिये कोई निश्चित अवधि जैसे ४ वर्ष का उल्लेख नहीं किया है।
५५—श्री सुखपाल पाण्डेय (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि—
		१—किसानों के खाद, बीज तथा बिजली, बाढ़ की समुचित व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया गया है।
		२—प्रदेश में फैले हुये भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, पुलिस जुल्म के विषय में प्रस्ताव में अंकित नहीं है।
५६—श्री राम चरण तथा श्री श्याम सूरत उपाध्याय (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि—
		१—राष्ट्रपति शासन-काल में जो प्रदेश में भ्रष्टाचार, पुलिस जुल्म तथा नौकरशाही बढ़ी उसकी जांच कराकर कार्यवाही करने की चर्चा नहीं की,
		२—जिन स्थानों में आज अकाल की स्थिति है जैसे इलाहाबाद उसके निराकरण की घोषणा नहीं की है।
५७—श्री रणंजय सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं। "किन्तु खेद है कि—
		महामहिम श्री राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई अशान्ति, उद्दण्डता एवं उपद्रवों को दूर करने के लिये सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में तुरन्त मद्य निषेध लागू करने की घोषणा नहीं की।"

क्रम-संख्या प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
५८—श्री रामधारी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि— राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेशीय सरकार के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने तथा विगत आन्दोलन में बर्खास्त व निलम्बित कर्मचारियों को पुनः काम पर लेने के सम्बन्ध में कुछ संकेत नहीं किया है।"
५९—श्री शम्भू नारायण सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—प्रदेश के पूर्वी जिलों में भयानक सूखे से खरीफ तथा रबी की फसल नष्ट होते हुये भी और न सिंचाई के लिये, न पीने के लिये कुओं के सूख जाने पर भी न तो बड़े पैमाने पर राज्यकीय ट्यूबवेलों के निर्माण के सम्बन्ध में और निजी काश्तकारों के छोटे ट्यूबवेलों व पम्पिंग सेट देने के लिये किसी ठोस योजना की घोषणा नहीं की, २—यह देखते हुये भी कि चीनी के मिल मालिक, चीनी की कीमत बढ़ा कर उपभोक्ताओं को मनमानी तरीके से लूट रहे हैं, बेचते हैं किन्तु गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं इसकी चर्चा नहीं की, ३—यह देखते हुये भी ट्यूबवेल क्षेत्रों में द्विभागीय उपकर पद्धति को लागू करके गरीब तथा मध्यम किसानों को सिंचाई से वंचित किया जा रहा है और नये ट्यूबवेल नहीं लगाये जा रहे हैं, जहां के किसान बीस रुपया अतिरिक्त शुल्क देंगे इस प्रथा को खत्म करने के लिये कोई घोषणा नहीं की, तथा ४—किसानों को पानी व बिजली देने के लिये चार फर्लांग तक की बिजली की लाइन मुफ्त दी जायेगी इसकी घोषणा नहीं की।
६०—श्री किशन लाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि— १—पीलीभीत जिले की सड़कों के बारे में, २—सहकारी बीज भंडारों तथा सहकारी कर्ज देने वाली सोसाइटियों (जिला पीलीभीत) के बारे में, ३—वन विभाग की ओर से जिला पीलीभीत में सुविधायें दिलाने के विषय में,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
६१	श्री हर नरायन (उपस्थित किया हुआ माना गया)	४.—शिक्षा के बारे में जिला पीलीभीत में स्कूल-कालेज खुलवाने के विषय में, ५.—सिंचाई के सम्बन्ध में नहर तथा बिजली में सुधार के बारे में, कोई घोषणा नहीं की।" प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि— १.—सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला पीलीभीत से पूरनपुर सड़क के शीघ्र निर्माण कराने, २—जिला पीलीभीत में शारदा नदी पर पैंटून पुल शीघ्र बनवाने, ३—पूरनपुर से कसगंजा की सड़क बनवाने, ४—जिला शाहजहांपुर में खुटार से मैलानी सड़क बनवाने। ५—पूरनपुर टाउन एरिया को सहायता अथवा कर्ज देकर सड़क तथा नालियां ठीक कराना, ६—शारदा कैनाल हरदोई ब्रांच व लखीमपुर ब्रांच से किसानों को कुलाबे दिलाने तथा एक छोटी नहर लखीमपुर ब्रांच से दक्षिण से माधौ टांडा की ओर उत्तर भाग में निकालने, ७—पूरनपुर के प०ई० कालिज को बारहवें में सहायता देकर साइंस की मान्यता दिलाने, ८—खुटार तथा पूरनपुर में जिला परिषद् के स्कूलों में मास्टरों की व्यवस्था कराने तथा स्कूल खुलवाने, ९—खुटार तथा पूरनपुर में एक-दो डिग्री कालेज बनवाने। १०—पूरनपुर में स्त्री चिकित्सालय बनवाने, ११—पूरनपुर तहसील खुटार ब्लाक के भूमिहीन किसानों को वन विभाग की खाली वर्ग १६,००० एकड़ भूमि दिलाने, १२—भूमिहीनों को ग्राम समाज की भूमि दिलाने, १३—जिला पीलीभीत में ग्राम समाज हजारा के सही पट्टों की भूमिहीनों के ठीक कराने तथा गलत को खारिज कराके कब्जा लेने, १४—जिला परिषद् पीलीभीत, शाहजहांपुर की सड़कों पर मुजफ्फरनगर, घुंधचाई कलीनगर, घनेगा की पुलिया, तथा १५—सहकारिता व्यवस्था के भ्रष्टाचार को रोकने, का जिक्र नहीं किया है।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
६२	चौधरी रामपाल सिंह यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—वन विभाग की बेकार पड़ी उपजाऊ भूमि गरीबों को बांटने का एलान नहीं किया है, २—जरूरत भर सिंचाई के वास्ते नहर और बम्बों में पानी पहुंचाने का जिक्र नहीं किया है, ३—कानपुर जिले के रूरा से इटावा जिले के बिबियापुर कस्बे तक नहर गंग शाखा इटावा की सर्विस रोड को यातायात की सुविधा के लिये पक्का कराये जाने की घोषणा नहीं की है, ४—प्रदेश की नट, बंजारा, जोगी और कंजड़ जातियों को आवास की सुविधा देकर जगह-जगह बसाने का एलान नहीं किया है। ५—गांव में शकर वितरण की दूकानें रिटेलरों से हटा कर ग्राम पंचायतों के सुपुर्द करने की कोई व्यवस्था का जिक्र नहीं किया है।
६३	श्री हुक्म सिंह परिहार (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने— १—राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रदेश में पुलिस द्वारा बरती गई निरंकुश तानाशाही व खुली कानून अवज्ञा यथा—सोफीपुर तोतलपुर कांड में फिरोजाबाद थाने (आगरा) की पुलिस द्वारा १ जून, १९६८ को ११ परिवारों की खुली लूट व जनता की बेइज्जती व उक्त कांड के बाद उक्त परिवारों को फिर से बसाने के लिये दिये जाने वाले अनुदान के आश्वासन व उसकी पूर्ति की कोई चर्चा नहीं की। २—संविद सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री के लिखित आश्वासन के बावजूद आगरा जिले की फतेहाबाद तहसील की सम्साबाद–फतेहाबाद सड़क के तुरन्त निर्माण की चर्चा नहीं की। ३—आगरा जिले में ओखला बांध से निकलने वाली जमुना कैनाल में पानी की कमी होते हुये भी जिसके कारण सिंचाई व्यवस्था आगरा पूर्व की अस्त-व्यस्त हो गई है, ओखला बांध के विस्तार की चर्चा नहीं की है। ४—जमुना–चम्बल घाटी क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये —खास तौर से कृषि व्यवस्था ठीक करने, छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने, बिजली फैलाने व सिंचाई व्यवस्था का विस्तार व शांति व्यवस्था और डाकू समस्या व पुलिस आतंक से निपटने की कोई चर्चा नहीं की।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
(६३	श्री हुकुम सिंह परिहार)	५.—बाढ़ समस्या की रोक-थाम—विशेषकर आगरा जिले में बाढ़ से होने वाली बर्बादी व उसके समाधान की कोई चर्चा नहीं की।
६४	श्री प्यारे लाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने— १—गन्ना ग्राम—सेवक संघ उत्तर प्रदेश के सदस्यों की मांगों के बारे में माननीय राज्यपाल ने कोई जिक्र नहीं किया और न उनकी मांगों को मानने की घोषणा ही की। २—परिवहन विभाग के २५,००० हजार कर्मचारियों पर १९६० में लागू की गई नयी सेवा शर्तें वापस लेने की घोषणा नहीं की। ३—उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण कर बंजर बनाने से रोकने तथा कल्लर बंजर, परती जमीन को उपजाऊ बनाने का उल्लेख नहीं किया। ४—प्राइवेट कम्पनियों एवं खेत में काम करने वाले मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा करने का उल्लेख नहीं किया। ५—हायर सेकेंडरी तथा डिग्री कालेज के अध्यापकों से हुये समझौते तथा उनके पालन करने का उल्लेख भी नही किया।
६५	श्री मनोहर लाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल में अपने अभिभाषण में— १—शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की कोई बात नहीं कही जो कि अति आवश्यक है। २—श्रमिक क्षेत्र में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये कुछ नहीं कहा है। ३—कानपुर की बन्द मिलों के चलाने के लिये कोई अवस्था का जिक्र नहीं किया। ४—स्कूलों के केन्द्रीयकरण करने की योजना का जिक्र नहीं किया। ५—अध्यापकों एवं छात्रों के स्तर को ऊंचा उठाने की योजना का जिक्र नहीं किया। ६—सरकारी सम्पत्ति जो कि महापालिकाओं एवं गांव सभाओं में निहित है उसकी सही व्यवस्था के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं का जिक्र नहीं किया। ७—खेती की उन्नति एवं काश्तकारों की दशा सुधारने के लिये कोई ठोस योजना का जिक्र नहीं किया।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		८—प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, डाकाजनी, लूटमार एवं कत्ले आम की रोकथाम की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया।
		९—कानपुर में चर्म उद्योग में कार्य करने वालों की दशा को सुधारने की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया।
		१०—कुटीर उद्योग के अन्तर्गत दरियों के व्यापार पर लगाये गये बिक्री-कर को समाप्त करने की घोषणा नहीं की।"
१६	श्री मोतीलाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—
		१—किसानों की सर्वोन्मुखी उन्नति एवं उनकी समस्याओं के समाधान के उपायों का कोई जिक्र नहीं किया,
		२—प्रदेश में छोटी जाति वाले कृषकों के लाभ के लिये अल्प सिंचाई योजना के किसी उपाय का उल्लेख नहीं किया,
		३—प्रदेश में मुसहर कही जाने वाली जाति के बच्चों के लिये शिक्षा की समुचित व्यवस्था एवं उनके प्रोत्साहन की किसी योजना का जिक्र नहीं किया,
		४—प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में बिजली देने की किसी योजना का जिक्र नहीं किया,
		५—जौनपुर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की योजना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा,
		६—प्रदेश में वास्तविक खेतिहर यानी हल जोतने वालों की भूमि के स्वामित्व के अधिकार को दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं रखी,
		७—प्रदेश में जातिवाद समाप्त करने पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया,
		८—जिला परिषद् के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सुविधायें राज्य कर्मचारियों के बराबर करने की कोई योजना का जिक्र नहीं किया, तथा
		९—जिला परिषद् के अध्यक्षों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार की जांच एवं उसे रोकने के लिये किसी व्यवस्था का जिक्र नहीं किया।
१७	श्री छांगुर राम तथा श्री सजीवन लाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में—
		१—राज्य में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिये किसी ठोस योजना की घोषणा नहीं की,

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
६७	श्री छांगुर राम तथा संजीवन लाल	२—राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये हदबन्दी द्वारा उपलब्ध तथा बंजर भूमि को अविलम्ब भूमिहीन और गरीब किसानों में बांटने की घोषणा नहीं की, ३—राज्य के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु एक आयोग बनाने की घोषणा नहीं की, ४—उद्योगपतियों द्वारा कानपुर तथा अन्य स्थानों पर की गई मिल-बन्दी तथा तालाबन्दी द्वारा हजारों मजदूरों और उनके परिवारों की आजीविका पर किये गये हमलों को रोकने और बन्द मिलों को खुलवाने की घोषणा नहीं की, ५—समान काम के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के अनुरूप प्राइमरी ,माध्यमिक तथा डिग्री कालेज के शिक्षकों के वेतन-क्रम निर्धारित करने की घोषणा नहीं की, ६—राज्य सरकार द्वारा उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का स्थान देने की घोषणा नहीं की, ७—मजदूरों, किसानों तथा विद्यार्थियों एवं अन्य जन-आन्दोलनों से सम्बन्धित मुकदमों को वापिस लेने की घोषणा नहीं की, ८—राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर १९ सितम्बर की हड़ताल के सिलसिले में चल रहे मुकदमों को वापिस लेने की घोषणा नहीं की, ९—कुछ अन्य प्रदेशों की भांति शिक्षा को कम से कम हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क करने की घोषणा नहीं की, तथा १०—राज्य सरकार द्वारा सवा ६ एकड़ तक की जोतों पर लगान माफी और तीन एकड़ तक की जोतों को सिंचाई-कर से मुक्त करने की घोषणा नहीं की।
६८	श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में— १—नगर महापालिका, कानपुर द्वारा अर्जित काश्तकारों की भूमि का उचित मुआविजा देने के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला, २—बिक्री-कर को एक सूत्रीय करने तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं को सप्लाई किये जाने वाले सामानों पर बिक्री-कर माफ करने तथा बिक्री-कर में पंजीकृत व्यापारी का उत्तर प्रदेश के अन्दर एक दूसरे से क्रय-विक्रय में बिक्री कर की छूट के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला है।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी	२५,००० रु० तक की बिक्री पर कोई बिक्री-कर नहीं होना चाहिये इस पर भी कुछ नहीं कहा गया, ३—कानपुर में विक्टोरिया मिल तथा महेश्वरी देवी जूट मिल को पुनः चालू करने की कोई बात नहीं कही गई है। कूपर एलन तथा लक्ष्मी रतन काटन मिल में प्ले आफ बन्द करने की भी कोई बात नहीं कही गई है। तीन महीने में मजदूरों को निकाल कर फिर से रखे जाने के लिये विरोध में भी कोई बात नहीं है, ४—कानपुर सिटी बस सर्विस को कुशल एवं सक्षम बनाने के सम्बन्ध में भी कोई बात नहीं कही गई है, ५—लेबर क्वार्टर में रहने वाले पुराने किरायेदारों को खाली करने के जो नोटिस दिये जा रहे हैं उसको रोकने के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, ६—नगर महापालिका के सफाई मजदूरों को रेगुलर ग्रेड और नौकरी के स्थायित्व के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, ७—प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का कम से कम वेतन १५० रु० होना चाहिये इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ८—गरीब जनता, मजदूर और किसान वर्ग को पुलिस प्रकारण ही १५१ और १६० दफाओं में बन्द कर देती है। इस पर रोकथाम करने के लिये कोई प्रकाश नहीं डाला गया। विरोधी राजनैतिक दलों के लोगों को शासनारूढ़ राजनैतिक दल के लोग प्रकारण ही पुलिस के इशारे पर बन्द कर दिया जाता है। इसको रोकने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
६९	श्री मनफूल सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने— १—उत्तर प्रदेश खेत-मजदूरों के आर्थिक उत्थान हेतु उनको परती की व बनों की खाली पड़ी जमीन एलाट करने और कुटीर उद्योगों में लगाकर उनकी बेरोजगारी दूर करने पर प्रकाश नहीं डाला, २—अनुसूचित जातियों के साथ होते हुये अन्याय और छुआछूत को दूर करने के प्रयास के लिये कोई नया कदम उठाने पर प्रकाश नहीं डाला, ३—पिछड़ी जातियों विशेषकर धींवर, कहार, नाई, बढ़ई आदि जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में कोई सुविधा पर प्रकाश नहीं डाला,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्री मनफूलसिंह	४.—प्रदेश में पिछड़ापन तथा अज्ञानता दूर करने के लिये मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा (कक्षा १० तक) का कहीं जिक्र नहीं किया, तथा ५.—हरिजनों के उत्थान के लिये १८ प्रतिशत आरक्षणों को पूरा न करने वाले विभागों एवं अधिकारियों पर कोई कार्यवाही करके उन्हें पूरा करने का कोई जिक्र नहीं किया।"
७०	श्री उमेन्द्र नाथ (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में— (१) राज्य में होने वाले पुलिस अत्याचारों की रोक-थाम की व्यवस्था के लिये कोई प्रकाश नहीं डाला (२) गांव सभाओं की भूमि से दोषपूर्ण अध्यासन हटाने और भूमि-हीन कृषकों को भूमि दिलाने के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला (३) जिला परिषदों के लिपिकों के वेतन के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।"
७१	श्री रामपाल सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "परन्तु खेद है कि— राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में सिंचाई के हेतु कृषकों को सुविधापूर्वक बिजली मिलने का कोई निश्चित सुधार के तरीके का जिक्र नहीं किया, इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने सिंचाई हेतु सहकारी विकास बैंकों से कृषकों को मिलने वाले कर्ज में कठिनाई और अनुचित विलम्ब को दूर करने का भी कोई उपाय नहीं बताया।"
७२	श्री सतीश चन्द्र (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि— १.—महामान्य राज्यपाल ने गांधी शताब्दी के नाम पर नशेबन्दी को छोटी-सी सीमा तक कम किया है, २.—प्रदेश में व्याप्त गुंडागर्दी तथा बदमाशी जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, डकैती व कत्लों की संख्या इसका प्रमाण है, को कम करने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं किया गया, ३.—प्रदेश में शिशुओं की शिक्षा के विषय में भी उचित निर्देश अभिभाषण में नहीं किया गया।"

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
७३	श्री रघुनाथ सिंह यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—आल इंडिया बैकवर्ड कमीशन की रपट के आधार पर पिछड़ वर्ग के लोगों को सभी सरकारी नौकरियों में ६० प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने के लिये कोई जिक्र नहीं किया, २—जाति प्रथा विनाश के लिये कोई ठोस कदम उठाने की घोषणा नहीं किया, ३—पिछड़े वर्ग के छात्रों को मेडिकल व इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने हेतु कोई स्पेशल सुविधा पर प्रकाश नहीं डाला, ४—मंत्रि-परिषद् के साइज तथा मंत्रियों के वेतन व भत्ता आदि पर इकानमी प्रकाश नहीं डाला, ५—गांवों में डिग्री कालेज व अस्पताल खोलने की समस्या पर कोई प्रकाश नहीं डाला, ६—सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिय कोई उल्लेख नहीं किया, ७—गांव सभाओं की परती व बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये मुफ्त सिंचाई व बिजली साधन देने की योजना का जिक्र नहीं किया, ८—जो नौकर शाह हैं उनके खर्चे, भत्ते, वेतन तथा अन्य जो रियायतें हैं उनको एक सीमा के अन्दर लाने की योजना का उल्लेख नहीं किया।
७४	श्री सिया राम (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में— १—भूमिहीन हरिजनों को निःशुल्क परती व ऊसर बंजर भूमि देने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, २—हरिजन कृषकों के लिये खेती करने के लिये अनुदान तथा ऋण दिलाने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, ३—बड़े-बड़े किसानों से जो सीलिंग ऐक्ट की जमीन निकली थी उन्हीं पर छोड़ रखी है, उसे शीघ्र लेने की व्यवस्था नहीं की है, ४—ग्राम सभाओं ने ग्राम सभा की जमीन को अपने रिश्तेदारों को तथा किसानों को उठा दी है उसको बेदखल करके भूमिहीन तथा खेतिहर मजदूरों को देने का उल्लेख नहीं किया।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
७५	श्री सन्तू (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित घोषणायें नहीं की : १—जिला बस्ती में राम-जानकी मार्ग एवं मैनसीर से मोलनापुर तक की सड़क को पक्की कराने की, २—दोआबा क्षेत्र में कुआनो नदी व सरजू नदी के बीच किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिलने की।
७६	श्री राम निहोर राम (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में : १—राज्य में कृषकों के पम्पिंग सेट व निजी कार्यों में बिजली की दरों में छूट करने की घोषणा नहीं की, २—कृषकों को रासायनिक खादों में छूट देने की घोषणा नहीं की, ३—मिर्जापुर नगर में जमींदारी उन्मूलन का भी कोई जिक्र नहीं किया, ४—हरिजनों और विमुक्त जाति के लोगों को बंजर भूमि देने का भी कोई जिक्र नहीं किया।
७७	श्री धूम प्रसाद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने भूमिहीनों एवं खेतिहर मजदूरों को कृषि योग्य भूमि दिलाने, हरिजनों को अधिक सुविधायें बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता देने तथा फैजाबाद में सड़कों एवं नलकूप के विस्तार की कोई घोषणा नहीं की है।
७८	श्री फिरंगी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में— १—दो नदियों के बीच (दोआबा) के क्षेत्रों में विकास कार्य करने, २—हरिजन एवं भूमिहीनों को परती या किसी अन्य प्रकार की भूमि देने। ३—बेहातों से नदियों को पार करने के लिये सड़कों पर पुल बनाने, ४—ऐसे बांध जिनके बन जाने से कई जिलों के जन-धन की रक्षा हो और जिसका सम्बन्ध नदियों के किनारे वाले बांधों से है, पर विशेष बल एवं ठोस कदम उठाने, का वर्णन नहीं किया है।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
७९	श्री नगीना सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया गया है : १—निर्माण कार्य में उस क्षेत्र की जनता का भी पूरा सहयोग होना चाहिये व उनकी भी राय हो, २—जनता की इच्छा के विरुद्ध किसी क्षेत्र में कोई कार्य न हो, ३—इंजीनियर, ओवरसियर क्षेत्र की जनता से सहयोग करें व उनकी राय लें, ४—बांध वगैरह बनाने में किसानों की उपजाऊ भूमि का अपहरण उनकी इच्छा के विरुद्ध न किया जाय, ५—जनता की मांगों का ध्यान रखा जाय कि कहां पर वह कौन सा निर्माण कार्य चाहती है। ६—इंजीनियर तथा ओवरसियर की धांधली को रोका जाय।
८०	श्री मोती लाल बेहलवी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में— १—योजनाओं के नाम पर धन की बरबादी व निजी स्वार्थों की पूर्ति की जांच कराने, २—किसानों व कारखानेदारों को समान रेट पर बिजली दिलाने, ३—नहर व बम्बों में समय पर पानी न देने के अभियोग में अधिकारियों को दण्ड देने, तथा पानी के अभाव में सूखी फसलों का किसानों को मुआवजा देने की गारंटी देने, ४—अपने ही द्वारा सड़कों के बनवाने के पत्रोत्तर के सन्दर्भ में भी आश्वासन न देने, ५—शहरों की ही तरह गांव में भी शक्कर दिलाने की व्यवस्था कराने, ६—अलाभकर जोत से मालगुजारी समाप्त की घोषणा , ७—कारखानों में बनने वाली चीजों का दाम लागत मूल्य से डयोढ़ा तक में ही बांधने, ८—बन्द मिलों को तत्काल सरकार द्वारा कब्जे लेने व चालू कराने, ९—किसानों द्वारा पैदा की गई जिन्सों का उचित दाम दिलाने का उल्लेख नहीं किया।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
८१	श्री शिव प्रसाद पांडिया (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित घोषणायें नहीं की गयी हैं— १—भारत को स्वतन्त्रता दिलाने वाले असहाय कार्यकर्त्ताओं की जो महान शोचनीय दशा है उसके प्रति ध्यान देने की, व ५० रुपये से कम पेन्शन नहीं होने तथा जो अभागे इस प्रकार वंचित रह गये हैं उनकी पुकार पुनः सुनने की, २—झंझाहार (मुस्तफाबाद) से जो सड़क कुसुमापुर बैलों की बड़ी मंडी है सलीमपुर भैरों (अकोदिया) को होकर जाती है, केवल १० मील की ही लम्बी होगी, पक्की किये जाने के संबंध में, ३—मुस्तफाबाद की पक्की सड़क से जो केवल लगभग ½ मील ही है जो कंदरावां होते हुये खरौली को जाती है उस कच्ची सड़क को पक्की किये जाने के सम्बन्ध में, ४—सलोन से लगभग १० मील तक की सड़क जो भटका होते हुये जगतपुर को जाती है तथा जो लखनऊ से आने वाली सड़क से मिलती है, के पक्की किये जाने की, ५—सलोन से मानिकपुर को जो मीरजहांपुर को होते हुये कच्ची सड़क लगभग १० मील के हरधनापुर तक पक्की किये जाने की— ६—छोटे कर्मचारियों, चौकीदारों, चपरासियों इत्यादि के वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में।
८२	श्री रामगोपाल सण्ड (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने— १—नैनी कारावास में गत दिसम्बर मास में लाठी चार्ज के विषय में कुछ नहीं कहा, २—निलम्बित तथा निष्कासित उत्तर प्रदेश के १३२ राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनको पुनः कार्य पर रखने के विषय में नहीं कहा ३—गैर-सरकारी विद्यालय के कर्मचारियों को जिनमें लिपिक, चपरासी तथा दाइयां आदि हैं उन्हें सरकारी विद्यालय के कर्मचारियों के समान वेतन-क्रम देने के विषय में कोई घोषणा नहीं की, ४—करौलाबाग श्रमिक बस्ती व नैनी श्रमिक बस्ती की सड़कों की मरम्मत रोशनी का प्रबन्ध तथा जमुना ब्रिज पर रोशनी के प्रबन्ध के विषय में कुछ नहीं कहा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्री रामगोपाल सण्ड	५—संगम मार्ग—अरेल से श्री सच्चा आश्रम तथा बल्लभाचार्य आश्रम तक लगभग २ मील लम्बी पक्की सड़क बनवाने के विषय में कुछ नहीं कहा; ६—प्रयाग विश्वविद्यालय तथा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तथा अध्यापकों को समान महंगाई भत्ता देने के प्रश्न पर कुछ नहीं कहा, ७—प्रदेश के ११वीं तथा १२वीं कक्षा में विद्यार्थियों के लिये ५ विषयों को घटाकर ४ विषय करने के लिये कुछ नहीं कहा, ८—प्रदेश में बड़ी मात्रा में कुटीर उद्योग धंधों का विकास करने की योजना का जिक्र नहीं किया, ९—पिछड़े हुये तथा हरिजन बन्धुओं को समता के स्तर पर लाने के हेतु संरक्षण सम्बन्धी नीति का प्रतिपादन करने की घोषणा नहीं की, १०—अन्न पर से बिक्री-कर हटाने तथा उसे एक पदीय करने की घोषणा नहीं की, ११—प्रदेश में बन्द मिलों को खुलवाने के सम्बन्ध में तथा कर्मचारियों की छटनी रोकने तथा उन्हें उचित बोनस दिलाने की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया, १२—इलाहाबाद—पुरखास मार्ग को पक्का बनाने के विषय कुछ नहीं कहा, १३—प्रयाग नगर महापालिका का चुनाव कराने, तिथि तथा तब तक स्वायत्त मंत्री द्वारा घोषणा कि इलाहाबाद नगर महापालिका के प्रशासक तब तक कोई टैक्स नहीं लगायेंगे, इसकी घोषणा नहीं की तथा इलाहाबाद के प्रशासक साइकिल टैक्स १ रु० प्रति वर्ष से ७ रु० प्रति वर्ष करने वाले हैं, इसका जिक्र नहीं किया, १४—प्रदेश में पूर्ण रूप से अंग्रेजी हटा कर केवल राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग करने की आज्ञा का संकेत नहीं किया,
८३	श्री संजीवन लाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में:— १—राज्य में यातायात सम्बन्धी असुविधाओं को दूर करने, २—प्रादेशिक परिवहन आयुक्त कार्यालय अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मनमानी जन-विरोधी नीतियों तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने, ३—समस्त प्रदेश में परिवहन अधिकारियों द्वारा पक्षपात, अनियमितताओं और अधिकारों का दुरुपयोग करने तथा उनकी धांधली से जनता को मुक्त कराने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्री सजीव ा लाल	४—मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों में हरिजन छात्रों से दुर्व्यवहार करने तथा छात्रों में साम्प्रदायिकता फैलाने और जन-विरोधी कार्यों में भाग लेने वाले अध्यापकों को हटाने तथा ऐसी शिक्षा संस्थाओं को दिये गये सरकारी अनुदानों को को बन्द करके प्रदेश में जनप्रिय निर्दोष शिक्षा प्रणाली लागू करने,
		५—भूतपूर्व जनसंघी मंत्रियों द्वारा किये गये पद के दुरुपयोग की शिकायतों विशेषतः भूतपूर्व उपमुख्य मंत्री द्वारा भूतपूर्व स्वशासन मंत्री को दिनांक ४ अक्तूबर, १९६७ को अपने हस्ताक्षर व मुहर से यह लिखना कि "पत्रवाहक अपने व्यक्ति हैं इनकी समस्या का समाधान कराने की कृपा करें", और उसके परिणामस्वरूप लखनऊ नगर-महापालिका के प्रशासक द्वारा अनियमित कार्यवाही कराने के आदेश, का कोई उल्लेख नहीं किया है।

———

विधान भवन